

विषय-सूची

| पैरा नं. | ब्योरे | पृष्ठ सं. |
|----------|--|-----------|
| क | उद्देश्य | 1 |
| ख | वर्गीकरण | 1 |
| ग | पिछले अनुदेश | 1 |
| घ | प्रयोज्यता | 1 |
| 1. | प्रस्तावना | 1 |
| 2. | दिशानिर्देश | 2 |
| 2.1 | सांविधिक प्रतिबंध | 2 |
| | 2.1.1 बैंक के अपने शेयरों की जमानत पर अग्रिम | 2 |
| | 2.1.2 बैंक के निदेशकों को अग्रिम | 2 |
| | 2.1.3 कंपनियों में शेयर रखने पर प्रतिबंध | 6 |
| | 2.1.4 कंपनियों को उनकी प्रतिभूतियों के पुनः क्रय के लिए ऋण देने पर प्रतिबंध | 6 |
| 2.2 | विनियामक प्रतिबंध | 7 |
| | 2.2.1 निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण और अग्रिम प्रदान करना | 7 |
| | 2.2.2 बैंकों के अधिकारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के रिश्तेदारों को ऋण और अग्रिम स्वीकृत करने पर प्रतिबंध | 11 |
| | 2.2.3 ओजोन कम करनेवाले पदार्थ बनानेवाले/उनका उपभोग करनेवाले उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर प्रतिबंध | 14 |
| | 2.2.4 चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत संवेदनशील पण्यों की जमानत पर दिये जानेवाले अग्रिमों पर प्रतिबंध | 15 |
| | 2.2.5 अधिकारियों सहित स्टाफ सदस्यों को कमीशन का भुगतान करने पर प्रतिबंध | 18 |
| | 2.2.6 किसी भी बैंकिंग उत्पाद को प्रोत्साहन देने पर प्रतिबंध | 19 |
| 2.3 | अन्य ऋणों और अग्रिमों पर प्रतिबंध | 19 |
| | 2.3.1 शेयरों, डिबेंचरों और बांडों की जमानत पर ऋण और अग्रिम | 19 |
| | 2.3.2 मुद्रा बाजार म्युच्युअल फंड | 27 |
| | 2.3.3 अन्य बैंकों द्वारा जारी सावधि जमा रसीदों की जमानत पर अग्रिम | 27 |
| | 2.3.4 एजेंटों/मध्यस्थों को जमाराशि जुटाने के प्रतिफल पर आधारित अग्रिम | 27 |
| | 2.3.5 जमा प्रमाण पत्रों की जमानत पर ऋण | 28 |
| | 2.3.6 इंडियन डिपॉजिटरी रसीद (आईडीआर) की जमानत पर ऋण/अग्रिमों के लिए वित्त | 28 |
| | 2.3.7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंक वित्त | 28 |

| | | |
|----------|---|----|
| 2.3.8 | मूलभूत सुविधाओं/आवास परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण | 28 |
| 2.3.9 | वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में बैंक गारंटी जारी करना | 36 |
| 2.3.10 | बैंकों द्वारा बिलों की भुनाई/पुनर्भुनाई | 40 |
| 2.3.11 | बुलियन/अपरिष्कृत सोने की जमानत पर अग्रिम | 43 |
| 2.3.12 | सोने के आभूषणों तथा गहनों की जमानत पर अग्रिम | 44 |
| 2.3.13 | स्वर्ण (धातु) ऋण | 44 |
| 2.3.14 | स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण तथा अग्रिम | 47 |
| 2.3.15 | माइक्रो तथा लघु उद्यमों को ऋण और अग्रिम | 47 |
| 2.3.16 | बैंक ऋण की सुपुर्दगी के लिए ऋण प्रणाली | 47 |
| 2.3.17 | संघीय/व्यवस्था बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत उधार | 48 |
| 2.3.18 | सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर उद्योग को कार्यशील पूंजी संबंधी वित्त | 49 |
| 2.3.19 | भारत सरकार के सरकारी क्षेत्र उपक्रम संबंधी विनिवेशों के लिए बैंक वित्त हेतु दिशानिर्देश | 50 |
| 2.3.20 | किसान विकास पत्र लेने के लिए ऋण प्रदान करना | 53 |
| 2.3.21 | 7 प्रतिशत बचत बॉण्ड, 2002; 6.5 प्रतिशत बचत बॉण्ड 2003 (जिन पर कर नहीं लगेगा) तथा 8 प्रतिशत (कर योग्य) बॉण्ड 2003 - संपार्श्विक सुविधा | 54 |
| 2.3.22 | अनर्जक परिसंपत्तियों के समझौता निपटान संबंधी दिशानिर्देश - न्यायालय से सहमति आदेश (कन्सेंट डिक्री) प्राप्त करना | 54 |
| 2.3.23 | बैंकों का परियोजना वित्त संविभाग | 55 |
| 2.3.24 | सरकार से प्राप्य राशियों की जमानत पर पूरक ऋण | 55 |
| 2.4 | उधार खातों का एक बैंक से दूसरे बैंक में अंतरण | 56 |
| 2.5 | ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता संबंधी दिशानिर्देश | 57 |
| 2.6 | बैंको द्वारा नियुक्त वसूली एजेंटों के संबंध में दिशानिर्देश | 61 |
| अनुबंध 1 | नियंत्रित पदार्थों की सूची | 67 |
| अनुबंध 2 | नियंत्रित पदार्थों की सूची | 68 |
| अनुबंध 3 | चयनात्मक ऋण नियंत्रण - अन्य परिचालनात्मक विनिर्देश | 69 |
| अनुबंध 4 | स्वर्ण आयात के लिए नामित बैंकों की सूची | 71 |
| अनुबंध 5 | अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - मुद्दे तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 की प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टीकरण | 73 |
| अनुबंध 6 | बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत वित्त के लिए प्रस्ताव करते समय उधारकर्ता संस्था द्वारा बैंकों को घोषित की जानेवाली न्यूनतम जानकारी | 77 |
| परिशिष्ट | समेकित परिपत्रों की सूची | 93 |

ऋण और अग्रिम - सांविधिक और अन्य प्रतिबंध पर मास्टर परिपत्र

क. उद्देश्य

इस मास्टर परिपत्र में ऋण और अग्रिमों पर सांविधिक तथा अन्य प्रतिबंधों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को जारी अनुदेशों को समेकित किया गया है।

ख. वर्गीकरण

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सांविधिक दिशानिर्देश

ग. पिछले अनुदेश

इस मास्टर परिपत्र में परिशिष्ट में सूचीबद्ध परिपत्रों में उपर्युक्त विषय पर निहित अनुदेशों को समेकित तथा अद्यतन किया गया है।

घ. प्रयोज्यता

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों पर लागू।

संरचना

1. प्रस्तावना

2. दिशानिर्देश

2.1 सांविधिक प्रतिबंध

2.2 विनियामक प्रतिबंध

2.3 अन्य ऋणों और अग्रिमों पर प्रतिबंध

2.4 ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता संबंधी दिशानिर्देश

2.5 बैंको द्वारा नियुक्त वसूली एजेंटों के संबंध में दिशानिर्देश

3. अनुबंध

अनुबंध 1 - नियंत्रित पदार्थों की सूची

अनुबंध 2 - नियंत्रित पदार्थों की सूची

अनुबंध 3 - चयनात्मक ऋण नियंत्रण - अन्य परिचालनात्मक विनिर्देश

अनुबंध 4 - स्वर्ण आयात के लिए नामित बैंकों की सूची

अनुबंध 5 - अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न – मुद्दे तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 की प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टीकरण

अनुबंध 6 - बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत वित्त के लिए प्रस्ताव करते समय उधारकर्ता संस्था द्वारा बैंकों को घोषित की जानेवाली न्यूनतम जानकारी

4. परिशिष्ट - समेकित परिपत्रों की सूची

1. प्रस्तावना

इस मास्टर परिपत्र में ऋणों तथा अग्रिमों पर सांविधिक तथा अन्य प्रतिबंधों के संबंध में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को जारी किए गए नियमों/विनियमों/अनुदेशों का संग्रह है।

बैंकों को इन अनुदेशों को कार्यान्वित करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके द्वारा बैंकिंग कार्यकलाप सुदृढ़, विवेकपूर्ण और लाभप्रद तरीके से चलाये जाते हैं उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपाय अपनाना चाहिए।

2. दिशानिर्देश

2.1 सांविधिक प्रतिबंध

2.1.1 बैंक के अपने शेयरों की जमानत पर अग्रिम

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 (1) के अनुसार कोई भी बैंक अपने शेयरों की जमानत पर कोई ऋण और अग्रिम नहीं दे सकता।

2.1.2 बैंक के निदेशकों को अग्रिम

2.1.2.1 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 (1) में ऐसे निदेशकों और फर्मों को ऋण और अग्रिम देने पर भी प्रतिबंध निर्धारित किये गये हैं जिनका उनमें पर्याप्त हित निहित हो।

2.1.2.2 बैंकों पर निम्नलिखित को या उनकी ओर से कोई ऋण या अग्रिम धन देने के लिए किसी प्रकार का वचन देने पर प्रतिबंध है इसका कोई निदेशक, अथवा कोई ऐसी फर्म, जिसमें उसके किसी निदेशक का भागीदार, प्रबंधक, कर्मचारी अथवा गारंटीकर्ता के रूप में हित निहित हो, अथवा कोई ऐसी कंपनी (जो उस बैंकिंग कंपनी की समनुषंगी कंपनी अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी अथवा सरकारी कंपनी न हो) अथवा वह समनुषंगी अथवा धारक कंपनी, जिसका उस बैंक के निदेशकों में से कोई निदेशक, प्रबंध एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी अथवा गारंटीकर्ता है या जिसमें उसका पर्याप्त हित निहित है, अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जिसका भागीदार या गारंटीकर्ता उसके निदेशकों में से कोई है।

2.1.2.3 इस संबंध में कुछ छूटें हैं। उक्त धारा के स्पष्टीकरण में, 'ऋण अथवा अग्रिम' में ऐसा कोई लेनदेन शामिल नहीं होगा, जिसे रिज़र्व बैंक ने सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा उक्त धारा के प्रयोजन के लिए ऋण अथवा अग्रिम न होने के रूप में विनिर्दिष्ट किया हो। ऐसा करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक लेनदेन के स्वरूप, लेनदेन के कारण देय हुई राशि को कितनी अवधि के भीतर और किस रूप में तथा किन परिस्थितियों में वसूल किये जाने की संभावना है, जमाकर्ताओं के हित तथा अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखेगा।

2.1.2.4 उक्त धारा के प्रयोजन के लिए किसी लेनदेन के संबंध में यदि प्रश्न पैदा होता है कि उसे ऋण अथवा अग्रिम माना जाए या नहीं, तो उसे भारतीय रिज़र्व बैंक के पास भेजा जायेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा ।

2.1.2.5 उक्त प्रयोजन के लिए 'ऋण और अग्रिम' शब्द में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे :-

- (क) सरकारी प्रतिभूतियों, जीवन बीमा पालिसियों अथवा सावधि जमाराशियों की जमानत पर दिये गये ऋण अथवा अग्रिम;
- (ख) कृषि वित्त निगम लिमिटेड को स्वीकृत ऋण अथवा अग्रिम ;
- (ग) ऐसे ऋण अथवा अग्रिम जो किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा उसके किसी निदेशक को (जो निदेशक बनने के तत्काल पूर्व उक्त बैंकिंग कंपनी का कर्मचारी रहा हो), उस बैंकिंग कंपनी के कर्मचारी की हैसियत में तथा ऐसी शर्तों पर जो बैंकिंग कंपनी का निदेशक न होने की स्थिति में उस बैंकिंग कंपनी के कर्मचारी के रूप में उस पर लागू होतीं, दिये गये हों। बैंकिंग कंपनी में ऐसा प्रत्येक बैंक शामिल है जिस पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 के उपबंध लागू होते हैं।
- (घ) ऐसे ऋण अथवा अग्रिम जो भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से तथा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों पर बैंकिंग कंपनी द्वारा उसके अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को, जो अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में उसकी नियुक्ति के तत्काल पूर्व बैंकिंग कंपनी का कर्मचारी न रहा हो; कार, पर्सनल कंप्यूटर, फर्नीचर खरीदने के प्रयोजन से या उसके अपने उपयोग के लिए मकान बनवाने/ अर्जित करने के लिए स्वीकृत किये गये हों और त्यौहार अग्रिम।
- (ङ) ऐसे ऋण अथवा अग्रिम जो भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से तथा इसके द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों पर बैंकिंग कंपनी द्वारा अपने पूर्णकालिक निदेशक को फर्नीचर, कार, पर्सनल कंप्यूटर खरीदने के प्रयोजन से या उसके अपने उपयोग के लिए मकान बनवाने/ अर्जित करने के लिए स्वीकृत किये गये हों और त्यौहार अग्रिम।
- (च) बैंकिंग कंपनियों द्वारा एक दूसरे को दिये गये मांग ऋण।
- (छ) खरीदे गये/ भुनाये गये बिलों (चाहे वे दस्तावेजी बिल हों अथवा बेजमानती बिल हों और दर्शनी हों या मुद्दती और चाहे वे स्वीकृति पर प्रलेख के आधार पर हों अथवा अदायगी पर प्रलेख के आधार पर), चेकों की खरीद, बिलों की स्वीकृति/ सहस्वीकृति जैसी निधीतर आधारित अन्य सुविधाएं, साखपत्र खोलना और गारंटी जारी करना, तीसरे पक्षकारों से डिबेंचरों की खरीद आदि जैसी सुविधाएं ।

(ज) आसान निपटान की सुविधा के लिए निपटान बैंकरों द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन कार्पोरेशन लिमिटेड (एनएससीसीएल) / भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआइएल) को प्रदत्त स्वीकृत अधिकतम ऋण सीमा/ ओवरड्राफ्ट सुविधा।

(झ) बैंक द्वारा अपने निदेशकों को प्रदत्त ऋण सीमा की हद तक क्रेडिट कार्ड सुविधा के अंतर्गत प्रदान की जानेवाली ऋण सीमा, जो क्रेडिट कार्ड कारोबार के सामान्य परिचालन में बैंक द्वारा लागू किए जाने वाले मानदंडों को ही लागू करते हुए बैंक निर्धारित करता है।

नोट: उक्त खंड (घ) और (ङ) में निर्दिष्ट किये गये अनुसार रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के लिए बैंक को चाहिए कि वह बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को आवेदन करे।

2.1.2.6 निदेशकों और उनके प्रतिष्ठानों के बेजमानती निभाव के स्वरूप के बिलों को खरीदने या भुनाने को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 के प्रयोजन के लिए 'ऋण और अग्रिम' के रूप में माना जायेगा।

2.1.2.7 जहां तक गारंटियां देने और बैंक के निदेशकों की ओर से साखपत्र खोलने का संबंध है, प्रसंगवश यह नोट किया जाये कि यदि मूल ऋणकर्ता अपनी देयता के उन्मोचन में चूक करता है और गारंटी अथवा साखपत्र के अंतर्गत बैंक को दायित्व निभाने के लिए कहा जाता है तो बैंक और निदेशक के बीच लेनदार और देनदार का संबंध बन सकता है। साथ ही, यह संभव है कि निदेशक बैंक द्वारा दी गयी गारंटी की जमानत पर तीसरे पक्षकार से उधार लेकर धारा 20 के उपबंधों से बच जाये। इस प्रकार के लेनदेनों से धारा 20 के अंतर्गत लगाये गये प्रतिबंधों का प्रयोजन ही पूरा नहीं होगा यदि बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम न उठाए कि उसके तहत देयताएं उन पर न आने पायें।

2.1.2.8 उपर्युक्त बातें ध्यान में रखते हुए निदेशकों एवं कंपनियों/फर्मों, जिनमें निदेशकों का हित निहित हो, की ओर से गारंटी, साखपत्र, स्वीकृति जैसी निधीतर सुविधाएं प्रदान करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि -

(क) बैंक के संतोषपर्यंत इस बात के लिए पर्याप्त और प्रभावी व्यवस्थाएं की गयी हों कि साखपत्र खोलनेवालों, या स्वीकार करनेवालों, या गारंटीकर्ताओं द्वारा उनके अपने संसाधनों से वचनबद्धताएं पूरी की जाएंगी,

(ख) गारंटी लागू करने पर होने वाली देयताएं पूरी करने के लिए बैंक से यह नहीं कहा जायेगा कि वह कोई ऋण या अग्रिम स्वीकृत करे, और

(ग) साखपत्र/स्वीकृतियों के कारण बैंक पर कोई देयता नहीं आयेगी।

2.1.2.9 उक्त (ख) और (ग) जैसी आकस्मिकताएं आने पर बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 के उपबंधों के उल्लंघन का एक पक्षकार माना जायेगा।

2.1.2.10 ऋण माफ करने की शक्ति पर प्रतिबंध

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20क के अंतर्गत यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 293 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई बैंकिंग कंपनी, रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना ऐसे किसी ऋण को पूर्णतः या अंशतः माफ नहीं करेगी जो -

- (क) उसके निदेशकों में से किसी के द्वारा देय है, अथवा
- (ख) ऐसी किसी फर्म या कंपनी द्वारा देय है जिसमें उसके निदेशकों में से किसी का निदेशक, भागीदार, प्रबंध एजेंट अथवा गारंटीकर्ता के रूप में हित निहित हो, और
- (ग) ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा उस दशा में देय है जब उसका भागीदार या गारंटीकर्ता उसके निदेशकों में से कोई हो।

ऊपर उल्लिखित उपबंधों का उल्लंघन करते हुए दी गयी कोई भी माफी अमान्य और अप्रभावी होगी।

2.1.3 कंपनियों में शेयर रखने पर प्रतिबंध

2.1.3.1 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19 (2) के अनुसार बैंक किसी कंपनी में उपखंड (1) में किये गये प्रावधानों को छोड़कर अन्य किसी रूप में गिरवीदार, बंधकग्राही या पूर्ण स्वामी के रूप में कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी के 30 प्रतिशत अथवा उसकी अपनी प्रदत्त शेयर पूंजी और प्रारक्षित निधि के 30 प्रतिशत, जो भी कम हो, से अधिक राशि के शेयर नहीं रखेंगे।

2.1.3.2 साथ ही, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(3) के अनुसार बैंकों को गिरवीदार, बंधकग्राही या पूर्ण स्वामी के रूप में ऐसी किसी कंपनी में शेयर नहीं रखने चाहिए जिसके प्रबंध में उस बैंक का प्रबंध निदेशक या प्रबंधक किसी भी रीति से संबद्ध हो अथवा उसका कोई हित निहित हो।

2.1.3.3 तदनुसार, शेयरों की जमानत पर ऋण और अग्रिम स्वीकृत करते समय धारा 19 (2) और (3) में निहित सांविधिक उपबंधों का कड़ाईपूर्वक पालन किया जाना चाहिए।

2.1.4 कंपनियों को अपनी प्रतिभूतियों के पुनःक्रय के लिए ऋण देने पर प्रतिबंध

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 77 क (1) के अनुसार कंपनियों को इस बात की अनुमति है कि वे निम्नलिखित से अपने शेयर अथवा अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां खरीद सकती हैं :

- मुक्त प्रारक्षित निधियां, अथवा
- प्रतिभूति प्रीमियम खाता, अथवा
- किसी शेयर या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की आगम राशियां

बशर्ते कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1999 में विनिर्दिष्ट विभिन्न शर्तों का पालन किया गया हो। अतः बैंकों को शेयरों/ प्रतिभूतियों के पुनःक्रय के लिए कंपनियों को ऋण प्रदान नहीं करना चाहिए।

2.2 विनियामक प्रतिबंध

2.2.1 निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण और अग्रिम प्रदान करना

बोर्ड के पूर्वानुमोदन के बिना अथवा बोर्ड की जानकारी के बिना बैंक के अध्यक्ष /प्रबंध निदेशक अथवा अन्य निदेशकों के रिश्तेदारों, अन्य बैंकों के निदेशकों (अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सहित) और उनके रिश्तेदारों, अनुसूचित सहकारी बैंकों के निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को नीचे दिये गये ब्यौरों के अनुसार वित्त प्रदान करने वाले बैंकों अथवा अन्य बैंकों द्वारा स्थापित अनुषंगी कंपनियों के निदेशकों /म्युच्युअल फंडों /जोखिम पूंजी निधियों के न्यासियों को कोई ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं किये जाने चाहिए ।

2.2.1.1 पारस्परिक आधार पर निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को ऋण प्रदान करना

ऐसे उदाहरण सामने आये हैं जिनमें कुछ बैंकों ने एक दूसरे के निदेशकों, उनके रिश्तेदारों आदि को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए उनके बीच अनौपचारिक समझौता अथवा पारस्परिक व्यवस्थाएं की हैं। कुल मिलाकर उन्होंने ऋणकर्ताओं को, विशेष रूप से कुछ समूहों या निदेशकों, उनके रिश्तेदारों आदि से संबंधित ऋणकर्ताओं को ऋण सीमाएं स्वीकृत करने में सामान्य प्रक्रियाओं और मानदंडों का अनुसरण नहीं किया। पार्टियों के अलग-अलग खातों के परिचालन में स्वीकृत सीमाओं और रियायतों से कहीं अधिक सुविधाओं की अनुमति दी गयी। यद्यपि, किसी बैंक द्वारा किसी अन्य बैंक के निदेशक या उसके रिश्तेदारों को ऋण सुविधाएं देने पर कोई कानूनी मनाही नहीं है, तथापि संसद में इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की गयी है कि इस प्रकार की पारस्परिक व्यवस्थाएं नैतिक नहीं मानी जा सकतीं। अतः बैंकों को अपने निदेशकों के रिश्तेदारों को और अन्य बैंकों के निदेशकों तथा

उनके रिश्तेदारों को ऋण और अग्रिम स्वीकृत करने के संबंध में तथा संविदाएं स्वीकृत करने के संबंध में नीचे दिये गये दिशानिर्देशों का अनुसरण करना चाहिए:

2.2.1.2 निदेशक मंडल/प्रबंध समिति की स्वीकृति के बिना बैंकों को कुल 25 लाख रुपए और अधिक के ऋण तथा अग्रिम निम्नलिखित के लिए स्वीकृत नहीं करने चाहिए -

- (क) अन्य बैंकों* के निदेशक (अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सहित);
- (ख) कोई फर्म या कंपनी, जिसमें अन्य बैंकों* के किसी निदेशक का भागीदार या गारंटीकर्ता के रूप में हित निहित हो; और
- (ग) कोई कंपनी, जिसमें अन्य बैंकों* के किसी निदेशक का पर्याप्त हित हो अथवा निदेशक या गारंटीकर्ता के रूप में उसका हित निहित हो।

2.2.1.3 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 में निहित प्रतिबंध बैंकों के निदेशकों के पति/पत्नी और नाबालिग/आश्रित बच्चों को ऋण और अग्रिम मंजूर करने पर भी लागू होंगे। तथापि, बैंक अपने निदेशकों की पति/पत्नी को ऋण या अग्रिम उन मामलों में मंजूर कर सकते हैं, जहां पति/पत्नी की आय का अपना स्वतंत्र स्रोत है जो उसकी नौकरी या पेशे से जुड़ा हुआ है और मंजूर की गयी ऋण सुविधा उधारकर्ता के साख के मूल्यांकन करने की मानक प्रक्रिया और मानदंडों पर आधारित है। इस प्रकार की सुविधा वाणिज्यिक शर्तों पर दी जानी चाहिए। 25 लाख रुपये और उससे अधिक राशि के सभी ऋण प्रस्ताव बैंक के निदेशक मंडल/ बोर्ड की प्रबंध समिति द्वारा मंजूर किये जाने चाहिए। 25 लाख रुपये से कम के प्रस्ताव बैंकों के उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा उन्हें दी गयी शक्तियों के अनुसार, स्वीकृत किये जा सकते हैं।

2.1.4 निदेशक मंडल / प्रबंध समिति की स्वीकृति के बिना बैंकों को कुल 25 लाख रुपये और अधिक के ऋण तथा अग्रिम भी निम्नलिखित के लिए स्वीकृत नहीं करने चाहिए -

- (क) उनके अपने अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक या अन्य निदेशकों के पति/पत्नी और नाबालिग/आश्रित बच्चों को छोड़कर कोई रिश्तेदार ;
- (ख) अन्य बैंकों* के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक या अन्य निदेशकों के पति/पत्नी और नाबालिग/आश्रित बच्चों को छोड़कर कोई रिश्तेदार;
- (ग) कोई फर्म, जिसमें उक्त (क) और (ख) में उल्लिखित किए गए अनुसार पति/पत्नी और नाबालिग/आश्रित बच्चों को छोड़कर किसी रिश्तेदार का भागीदार या गारंटीकर्ता के रूप में हित निहित हो; और

(घ) कोई कंपनी जिसमें उक्त (क) और (ख) में उल्लिखित किए गए अनुसार पति/पत्नी और नाबालिग/आश्रित बच्चों को छोड़कर किसी रिश्तेदार का पर्याप्त हित अथवा निदेशक या गारंटीकर्ता के रूप में उसका हित निहित हो।

* अनुसूचित सहकारी बैंकों के निदेशकों, अनुषंगी कंपनियों के निदेशकों / म्युच्युअल फंडों / जोखिम पूंजी निधियों के न्यासियों सहित ।

2.2.1.5 इन ऋणकर्ताओं को 25 लाख रुपए से कम की राशियों की ऋण सुविधाओं के प्रस्ताव वित्तपोषक बैंक के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा उस प्राधिकारी को प्राप्त शक्तियों के तहत स्वीकृत किये जायें, परंतु मामले की सूचना बोर्ड को दी जाये।

2.2.1.6 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक या अन्य निदेशक, जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रस्ताव में हित निहित हो, को चाहिए कि वह प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोर्ड के समक्ष अपने हित के स्वरूप को प्रकट करे। जब तक जानकारी प्राप्त करने के प्रयोजन से अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति अपेक्षित न हो तब तक उसे बैठक में उपस्थित नहीं रहना चाहिए और इस प्रकार उपस्थित रहने के लिए अपेक्षित निदेशक ऐसे किसी प्रस्ताव पर मत नहीं देगा ।

2.2.1.7 ऋणों और अग्रिमों की स्वीकृति संबंधी उक्त मानदंड संविदा मंजूर किये जाने पर भी समान रूप से लागू होंगे ।

2.2.1.8 'रिश्तेदार' शब्द में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- पति / पत्नी
- पिता
- माता (सौतेली माता सहित)
- पुत्र (सौतेले पुत्र सहित)
- पुत्र वधु
- पुत्री (सौतेली पुत्री सहित)
- दामाद (पुत्री का पति)
- भाई (सौतेले भाई सहित)
- भाभी (भाई की पत्नी)
- बहन (सौतेली बहन सहित)
- बहनोई (बहन का पति)
- जेठ, देवर (पति का भाई)/साला (पत्नी का भाई, सौतेले भाई सहित)
- ननद (पति की बहन)/साली (पत्नी की बहन, सौतेली बहन सहित)

2.2.1.9 'ऋण और अग्रिम' शब्द में निम्नलिखित की जमानत पर दिये ऋण और अग्रिम शामिल नहीं होंगे-

- सरकारी प्रतिभूति
- जीवन बीमा पालिसी
- सावधि या अन्य जमाराशियां
- स्टॉक और शेयर
- छोटी राशि, अर्थात् 25,000 रुपये तक के अस्थायी ओवरड्राफ्ट
- एक बार में 5,000 रुपये तक के चेकों की आकस्मिक खरीद
- सामान्य तौर पर कर्मचारियों पर लागू किसी योजना के तहत बैंक के कर्मचारी को दिये गये आवास ऋण, कार अग्रिम आदि ।

2.2.1.10 'पर्याप्त हित' शब्द से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(ढ ड) में दिया गया अर्थ अभिप्रेत होगा ।

2.2.1.11 बैंकों को चाहिए कि वे अन्य बातों के साथ-साथ वित्तपोषक बैंकों के बोर्ड/समिति या अन्य उपयुक्त प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत ऋण प्रस्तावों /संविदा प्रदान करने में वित्तपोषक बैंक या अन्य बैंक के निदेशक या उसके रिश्तेदारों का हित निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं:

(i) प्रत्येक ऋणकर्ता को बैंक के समक्ष इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए कि:

- (क) (जहां ऋणकर्ता एक व्यक्ति हो) वह बैंकिंग कंपनी का निदेशक अथवा ऐसे निदेशक का विनिर्दिष्ट नज़दीकी रिश्तेदार नहीं है;
- (ख) (जहां ऋणकर्ता एक भागीदारी फर्म हो) कोई भी भागीदार बैंकिंग कंपनी का निदेशक या ऐसे निदेशक का विनिर्दिष्ट नज़दीकी रिश्तेदार नहीं है; और
- (ग) (जहां ऋणकर्ता एक संयुक्त पूंजी कंपनी हो) इसका कोई निदेशक बैंकिंग कंपनी का निदेशक या ऐसे निदेशक का विनिर्दिष्ट नज़दीकी रिश्तेदार नहीं है।

(ii) घोषणा में ऋणकर्ता के बैंक के निदेशक के साथ संबंध के ब्यौरे भी दिये जाने चाहिए।

2.2.1.12 अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जब कभी ऐसा मालूम हो कि ऋणकर्ता ने गलत घोषणा दी है तो बैंकों को तुरंत ऋण वापस मांग लेना चाहिए ।

2.2.1.13 अनुसूचित सहकारी बैंकों के निदेशकों या उनके रिश्तेदारों को ऋण / अग्रिम स्वीकृत करते समय अथवा संविदाओं की मंजूरी करते समय भी उक्त दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाना चाहिए ।

2.2.1.14 उनके द्वारा तथा अन्य बैंकों द्वारा स्थापित अनुषंगी कंपनियों के निदेशकों/ म्युच्युअल फंडों/ जोखिम पूंजी निधियों के न्यासियों को ऋण और अग्रिम स्वीकृत करते समय तथा संविदाएं मंजूर करते समय भी बैंकों द्वारा इन दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाना चाहिए ।

2.2.1.15 ये दिशानिर्देश सभी निदेशकों की जानकारी में विधिवत् लाये जाने चाहिए तथा बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष भी रखे जाने चाहिए ।

2.2.2 बैंकों के अधिकारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के रिश्तेदारों को ऋण और अग्रिम स्वीकृत करने पर प्रतिबंध

2.2.2.1 सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों या कर्मचारियों पर लागू सांविधिक विनियमों और/ या नियमों और सेवा शर्तों में कुछ सीमा तक उन पूर्व-सावधानियों का उल्लेख रहता है जिनका पालन ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उनके रिश्तेदारों को ऋण सुविधाएं स्वीकृत करते समय किया जाना है। इसके अलावा अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के रिश्तेदारों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के संदर्भ में सभी बैंकों द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाना चाहिए :

(i) बैंक के अधिकारियों को ऋण तथा अग्रिम

कोई भी अधिकारी अथवा ऐसी कोई समिति, जिसमें अन्य के साथ-साथ उस अधिकारी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया हो, कोई ऋण सुविधा स्वीकृत करने के संबंध में शक्तियों का उपयोग करते समय अपने रिश्तेदार के लिए ऋण सुविधा स्वीकृत नहीं करेगा/करेगी। सामान्य तौर पर ऐसी ऋण सुविधा अगले उच्चतर स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा ही स्वीकृत की जायेगी। वित्तपोषक बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को स्वीकृत ऋण सुविधाओं की सूचना बोर्ड को दी जानी चाहिए।

(ii) बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के रिश्तेदारों को ऋण और अग्रिम तथा संविदाओं की मंजूरी

बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के रिश्तेदारों को ऋण सुविधाओं संबंधी जिन प्रस्तावों की स्वीकृति उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा की गयी हो उनकी सूचना बोर्ड को दी जानी चाहिए । साथ ही, जब बोर्ड से इतर किसी प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित के लिए ऋण सुविधा स्वीकृत की गयी हो तो ऐसे लेनदेनों की भी सूचना बोर्ड को दी जानी चाहिए:

- कोई फर्म, जिसमें वित्तपोषक बैंक के किसी वरिष्ठ अधिकारी के किसी रिश्तेदार का पर्याप्त हित हो, अथवा भागीदार या गारंटीकर्ता के रूप में उसका हित निहित हो ; या
- कोई कंपनी, जिसमें वित्तपोषक बैंक के किसी वरिष्ठ अधिकारी के किसी रिश्तेदार का पर्याप्त हित हो, अथवा निदेशक या गारंटीकर्ता के रूप में उसका हित निहित हो,

2.2.2.2 ऋण सुविधा स्वीकृत करने संबंधी उक्त मानदंड संविदाएं मंजूर करने पर भी समान रूप से लागू होंगे।

2.2.2.3 सहायता संघ व्यवस्थाओं के मामले में दिशा-निर्देश लागू होना

सहायता संघ व्यवस्थाओं के मामले में बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के रिश्तेदारों को ऋण सुविधाएं मंजूर करने संबंधी उक्त मानदंड भाग लेनेवाले सभी बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के रिश्तेदारों पर लागू होंगे।

2.2.2.4 कुछ अभिव्यक्तियों की व्याप्ति

i) 'रिश्तेदार' की व्याप्ति वही है जैसी पैरा 2.1.6 में उल्लिखित है।

ii) 'वरिष्ठ अधिकारी' शब्द से निम्नलिखित अभिप्रेत है -

क) राष्ट्रीयकृत बैंक में ग्रेड IV और ऊपर के वरिष्ठ प्रबंधन स्तर का कोई अधिकारी,
और

ख) समतुल्य स्केल में निम्नलिखित का कोई अधिकारी

- भारतीय स्टेट बैंक तथा सहयोगी बैंक, और
- भारत में निगमित किसी बैंकिंग कंपनी में।

iii) 'ऋण सुविधा' शब्द में निम्नलिखित की जमानत पर दिये गये ऋण और अग्रिम शामिल नहीं होंगे -

(क) सरकारी प्रतिभूति

(ख) जीवन बीमा पालिसी

(ग) सावधि या अन्य जमाराशियां

(घ) छोटी राशि अर्थात् 25,000 रुपये तक के अस्थायी ओवरड्राफ्ट, और

(ङ) एक बार में 5,000 रुपये तक के चेकों की आकस्मिक खरीद।

iv) ऋण सुविधा में अधिकारियों पर सामान्य तौर पर लागू किसी योजना के अंतर्गत बैंक के किसी अधिकारी को स्वीकृत आवास ऋण, कार अग्रिम, उपभोग ऋण आदि जैसे ऋण और अग्रिम शामिल नहीं होंगे।

v) 'पर्याप्त हित' शब्द से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(ढ ड) में दिया गया अर्थ अभिप्रेत होगा।

2.2.2.5 इस संदर्भ में बैंकों को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य करने होंगे-

- (i) वे वित्तपोषक बैंक के बोर्ड की समिति या अन्य उपयुक्त प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किसी ऋण प्रस्ताव में /संविदा की मंजूरी में बैंक के वरिष्ठ अधिकारी के रिश्तेदार के हित का पता लगाने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करें ;
- (ii) प्रत्येक ऋणकर्ता से निम्नलिखित के आशय की घोषणा प्राप्त करें -
 - (क) यदि वह व्यक्ति है तो यह कि वह बैंक के किसी वरिष्ठ अधिकारी का विनिर्दिष्ट नजदीकी रिश्तेदार तो नहीं है,
 - (ख) यदि वह साझेदारी या हिन्दू अविभाजित परिवार की फर्म हो तो यह कि कोई भी भागीदार अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार का कोई भी सदस्य बैंक के किसी वरिष्ठ अधिकारी का विनिर्दिष्ट नजदीकी रिश्तेदार नहीं है, और
 - (ग) यदि वह संयुक्त पूंजी कंपनी हो तो यह कि उसका कोई भी निदेशक बैंक के किसी वरिष्ठ अधिकारी का रिश्तेदार नहीं है।
- (iii) वे यह सुनिश्चित करें कि घोषणा में ऋणकर्ता के वित्तपोषक बैंक के वरिष्ठ अधिकारी से संबंध, यदि कोई हो, के ब्यौरे दिये गये हों ।
- (iv) किसी ऋण सुविधा की स्वीकृति के लिए यह शर्त रखें कि यदि उक्त के संदर्भ में ऋणकर्ता द्वारा की गयी घोषणा गलत पायी गयी तो बैंक को ऋण सुविधा का प्रतिसंहरण (रिवोक) करने और / या उसे वापस मांगने का अधिकार होगा।
- (v) वे इन दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए बैंक के अधिकारियों की सेवा-शर्तों से संबंधित विनियमों अथवा नियमों में अन्य बातों के साथ साथ अपेक्षित संशोधन, यदि कोई हो, के बारे में अपने विधिक परामर्शदाताओं से परामर्श करके विचार करें।

2.2.3 ओज़ोन कम करने वाले पदार्थ बनाने वाले/उनका उपभोग करने वाले उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर प्रतिबंध

2.2.3.1 भारत सरकार ने सूचित किया है कि मॉण्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार, जिसका भारत एक पक्षकार है, ओज़ोन कम करने वाले पदार्थों (ओ डी एस) को निर्धारित अनुसूची के अनुसार चरणबद्ध तरीके से हटाया जाना है । सुलभ संदर्भ के लिए मॉण्ट्रियल प्रोटोकॉल के **अनुबंध 1 और 2** में दिये गये रसायनों की सूची संलग्न है । उक्त प्रोटोकॉल में प्रमुख ओ डी एस की पहचान की गयी है तथा भविष्य में उनके उत्पादन /उपभोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए समय सीमा तय की गयी है, ताकि अंततः उन्हें पूर्णतः समाप्त किया जा सके। भारत में ओडीएस चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की परियोजनाएं मल्टीलैटरल फंड से अनुदान के लिए पात्र हैं। चरणबद्ध रूप से हटाये जानेवाले कार्यक्रम में शामिल किये गये क्षेत्र नीचे दिये गये हैं :

| क्षेत्र | पदार्थ का प्रकार |
|---|--|
| फोम उत्पाद | क्लोरोफ्लोरो कार्बन - 11 (सीएफसी - 11) |
| रेफ्रिजरेटर और एअर कंडिशनर | सीएफसी - 12 |
| एरोसोल उत्पाद | सीएफसी - 11 और सीएफसी - 12 का मिश्रण |
| सफाई संबंधी उत्पादों में प्रयुक्त विलयक | सीएफसी-113 कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म |
| अग्निशामक | हेलोनस - 1211, 1301, 2402 |

2.2.3.2 बैंकों को उक्त ओडीएस का उपभोग / उत्पादन करने के लिए नए यूनिटों की स्थापना हेतु वित्त प्रदान नहीं करना चाहिए। इस संबंध में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा बैंकों को जारी 16 फरवरी 1996 का परिपत्र सं. एफआइ /12/96-97 देखें, जिसमें यह सूचित किया गया है कि सीएफसी का उपयोग करनेवाले एरोसोल यूनिटों के निर्माण में संलग्न छोटे/मझौले यूनिटों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जानी चाहिए तथा यह कि इस क्षेत्र में सहायता प्राप्त किसी परियोजना के लिए कोई पुनर्वित्त प्रदान नहीं किया जायेगा।

2.2.4 चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत संवेदनशील पण्यों की जमानत पर दिये जानेवाले अग्रिमों पर प्रतिबंध

2.2.4.1 निदेश जारी करना

- (i) बैंक ऋण की सहायता से आवश्यक पण्यों के सट्टे के प्रयोजन से धारण तथा फलस्वरूप होनेवाली मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बात से संतुष्ट होकर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, सभी वाणिज्य बैंकों को विनिर्दिष्ट संवेदनशील पण्यों की जमानत पर बैंक अग्रिमों पर विनिर्दिष्ट प्रतिबंध लगाते हुए समय-समय पर निदेश जारी किये हैं।
- (ii) सामान्य तौर पर संवेदनशील पण्य माने जानेवाले पण्य निम्नलिखित हैं :
 - (क) खाद्यान्न अर्थात् अनाज और दालें,
 - (ख) देश में उत्पादित चुनिंदा प्रमुख तिलहन अर्थात् मूंगफली, तोरिया/सरसों, बिनौला, अलसी और एरंड, उनके तेल, वनस्पति तथा सभी आयातित तेल और वनस्पति तेल,
 - (ग) कच्ची रूई और कपास,
 - (घ) चीनी / गुड़ / खांडसारी,

(ड) सूती वस्त्र जिसमें सूती धागे, मानव निर्मित रेशे और धागे तथा मानव निर्मित रेशों से और अंशतः सूती धागों एवं अंशतः मानव निर्मित रेशों से बनाये गये कपड़े शामिल हैं ।

2.2.4.2 वर्तमान में चयनात्मक ऋण नियंत्रण से छूट प्राप्त पण्य

(i) वर्तमान में निम्नलिखित पण्यों को चयनात्मक ऋण नियंत्रण संबंधी सभी विनिर्देशों से छूट प्राप्त है :

| क्र. सं. | पण्य | छूट लागू होने की तारीख |
|---|---|------------------------|
| 1. | दालें | 21.10.1996 |
| 2. | अन्य खाद्यान्न (अर्थात् मोटे अनाज) | 21.10.1996 |
| 3. | तिलहन (अर्थात् मूंगफली, तोरिया / सरसों, बिनौला, अलसी, एरंड) | 21.10.1996 |
| 4. | तेल (अर्थात् मूंगफली का तेल, तोरिया का तेल, सरसों का तेल, बिनौले का तेल, अलसी का तेल, एरंड का तेल) वनस्पति सहित | 21.10.1996 |
| 5. | सभी आयातित तिलहन और तेल | 21.10.1996 |
| 6. | चीनी, आयातित चीनी सहित, बफर स्टॉक तथा चीनी मिलों के पास चीनी के जारी न किये गये स्टॉक को छोड़कर | 21.10.1996 |
| 7. | गुड़ और खांडसारी | 21.10.1996 |
| 8. | रूई और कपास | 21.10.1996 |
| 9. | धान / चावल | 18.10.1994 |
| 10. | गेहूं* | 12.10.1993 |
| * 8.4.97 से 7.7.97 तक अस्थायी तौर पर चयनात्मक ऋण नियंत्रण में शामिल | | |

बैंक इन संवेदनशील पण्यों की जमानत पर दिये जानेवाले अग्रिमों पर विवेकपूर्ण मार्जिन निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

2.2.4.3 चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत शामिल पण्य

(i) वर्तमान में निम्नलिखित पण्यों को चयनात्मक ऋण नियंत्रण संबंधी विनिर्देशों के अंतर्गत शामिल किया गया है :

(क) चीनी मिलों के पास चीनी का बफर स्टॉक

(ख) निम्नलिखित को दर्शानेवाले चीनी मिलों के पास चीनी के जारी न किये गये स्टॉक

- लेवी चीनी, और
- मुक्त बिक्री वाली चीनी

2.2.4.4 चयनात्मक ऋण नियंत्रण संबंधी विनिर्देश

(i) चीनी पर मार्जिन

| पण्य | न्यूनतम मार्जिन | लागू होने की तारीख |
|---|-----------------|--------------------------|
| (क) चीनी का बफर स्टॉक | 0% | 01.04.1987 |
| (ख) निम्नलिखित को दर्शानेवाले चीनी मिलों के पास चीनी के जारी न किये गये स्टॉक <ul style="list-style-type: none"> ▪ लेवी चीनी ▪ मुक्त बिक्री वाली चीनी | 10% @ | 22.10.1997 10.10.2000 |

@ मुक्त बिक्री वाली चीनी के लिए ऋण संबंधी मार्जिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित बैंकों द्वारा उनके वाणिज्यिक विवेक के आधार पर निश्चित किया जायेगा ।

(ii) चीनी के स्टॉकों का मूल्यन

(क) चीनी मिलों द्वारा बैंकों के पास जमानत के रूप में रखे गये लेवी चीनी के जारी न किये स्टॉकों का मूल्य सरकार द्वारा निश्चित लेवी मूल्य पर निर्धारित किया जायेगा ।

(ख) चीनी मिलों द्वारा बैंकों के पास जमानत के रूप में रखे गये चीनी के बफर स्टॉक सहित मुक्त बिक्री वाली चीनी के जारी न किये स्टॉकों का मूल्यन पिछले तीन महीनों में वसूल मूल्य का औसत (चल औसत) या वर्तमान बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जायेगा। इस प्रयोजन के लिए मूल्य के अंतर्गत उत्पादन शुल्क शामिल नहीं किया जायेगा ।

(iii) ब्याज दरें

बैंकों को चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत आनेवाले पण्यों के लिए ऋण दरें आधार दर अथवा उससे अधिक दर पर निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी गयी है ।

(iv) अन्य परिचालनात्मक विनिर्देश

(क) अन्य परिचालनात्मक विनिर्देश अलग-अलग पण्यों के लिए अलग-अलग हैं। जब कभी किसी विनिर्दिष्ट संवेदनशील पण्य के लिए चयनात्मक ऋण नियंत्रण को पुनः लागू किया जाता है उस समय ये विनिर्देश सूचित किये जाते हैं।

(ख) यद्यपि चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत शामिल किये गये एकमात्र संवेदनशील पण्य अर्थात् चीनी मिलों के पास बफर स्टॉक और लेवी /मुक्त बिक्री चीनी के जारी न किये गये स्टॉक पर पहले का कोई भी विनिर्देश वर्तमान में लागू नहीं है तथापि चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्निहित उद्देश्यों को समझने की दृष्टि से इन्हें अनुबंध 3 में प्रस्तुत किया गया है, ताकि बैंक चयनात्मक ऋण नियंत्रण संबंधी पण्यों में लेनदेन करनेवाले ग्राहकों को ऐसी किसी ऋण सुविधा की अनुमति न दें जिससे निदेश के प्रयोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर दुष्प्रभावित हों।

(v) शक्तियों का प्रत्यायोजन

(क) चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत आनेवाले संवेदनशील पण्यों से संबंधित ऋण प्रस्तावों का अनुमोदन करने की शक्तियां से संबंधित विषय की समीक्षा की गयी है तथा यह निर्णय किया गया है कि बैंकों द्वारा 1 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण प्रस्ताव भारतीय रिज़र्व बैंक को चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अधीन उसके पूर्व अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने की वर्तमान प्रथा समाप्त कर दी जायेगी और बैंकों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे अपनी अलग-अलग ऋण नीतियों के अनुसार ऋण प्रस्ताव मंजूर करें। तदनुसार, बैंकों को संवेदनशील पण्यों का लेनदेन करनेवाले ऋणकर्ताओं के संबंध में 1 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण प्रस्ताव पूर्वानुमोदन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे इन अनुदेशों को अपने नियंत्रक कार्यालयों/ शाखाओं के बीच परिचालित करें तथा यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं कि उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग चयनात्मक ऋण नियंत्रण की संकल्पना के स्थूल उद्देश्यों की उपेक्षा किये बिना अत्यंत सावधानी के साथ किया जाता है।

2.2.5 अधिकारियों सहित स्टाफ सदस्यों को कमीशन का भुगतान करने पर प्रतिबंध

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10(1) (ख) (ii) यह निर्दिष्ट करती है कि कोई बैंकिंग कंपनी ऐसे किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं देगी या ऐसे किसी व्यक्ति को रोजगार पर बने नहीं रहने देगी जिसका पारिश्रमिक या जिसके पारिश्रमिक का कोई भाग कमीशन के रूप में या कंपनी के लाभों के शेयरों के रूप में प्राप्त होता हो। साथ ही, धारा 10 (1) (ख) (ii) के खंड (ख) में ऐसे व्यक्ति को कमीशन का भुगतान करने की अनुमति देता है जो नियमित

स्टाफ होने से भिन्न रूप में उसे कंपनी में काम कर रहा हो। अतः बैंकों को अपने स्टाफ सदस्यों और अधिकारियों को ऋणों की वसूली के लिए कमीशन नहीं देना चाहिए।

2.2.6 किसी भी बैंकिंग उत्पाद को प्रोत्साहन देने पर प्रतिबंध

बैंकों द्वारा ऑन लाइन विप्रेषण योजनाओं आदि सहित किसी भी बैंकिंग उत्पाद का प्रस्ताव रु. 250/- से कम कीमत के सस्ते उपहारों के अलावा पुरस्कार/लॉटरी/मुफ्त यात्रा (भारत तथा/अथवा विदेश में) आदि अथवा अन्य किसी आर्थिक प्रोत्साहन के साथ नहीं दिया जाना चाहिए जिसका मिलना या न मिलना एक संयोग हो क्योंकि ऐसे उत्पादों की कीमतों के निर्धारण में पारदर्शिता नहीं होती। इसलिए ये उत्पाद मौजूदा दिशानिर्देशों की भावना के विपरीत हैं यदि ऐसे उत्पादों की पेशकश बैंकों द्वारा की जाती है तो उसे मौजूदा दिशानिर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित बैंक दांडिक कार्रवाई के पात्र होंगे।

2.3 अन्य ऋणों और अग्रिमों पर प्रतिबंध

2.3.1 शेयरों, डिबेंचरों और बांडों की जमानत पर ऋण और अग्रिम

बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे शेयरों, डिबेंचरों और बांडों की जमानत पर दिये जानेवाले ऋणों की स्वीकृति के संबंध में उन विनियामक प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करें, जिनके ब्यौरे एक्सपोजर संबंधी मानदंडों पर 2 जुलाई 2012 के मास्टर परिपत्र में दिए गए हैं जो निम्नवत हैं:

2.3.1.1 व्यक्तियों को अग्रिम

बैंक शेयरों, डिबेंचरों अथवा बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम स्वीकृत कर सकते हैं बशर्ते

(i) **ऋण का प्रयोजन** : शेयरों, डिबेंचरों तथा बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत किए जा सकते हैं ताकि वे अपनी आकस्मिक और आवश्यक जरूरतों को पूरा कर सकें अथवा ये ऋण उन्हें शेयरों/डिबेंचरों/बांडों के नए या राइट इश्यू के अभिदान के लिए अथवा व्यक्तियों द्वारा धारित शेयरों/डिबेंचरों/बांडों की जमानत पर अनुषंगी बाजार के प्रयोजन के लिए भी स्वीकृत किए जा सकते हैं।

(ii) **अग्रिम की राशि** : शेयरों, डिबेंचरों तथा बांडों की जमानत पर ऋण प्रति व्यक्ति 10 लाख रुपये, यदि प्रतिभूतियां भौतिक रूप में धारित हों तथा प्रति व्यक्ति 20 लाख रुपये, यदि प्रतिभूतियां अभौतिक रूप में धारित हों से अधिक नहीं होना चाहिए।

(iii) **मार्जिन** : बैंकों को भौतिक रूप में धारित ईक्विटी शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों के बाजार मूल्य के 50 प्रतिशत का न्यूनतम मार्जिन बनाए रखना चाहिए। अभौतिक रूप में धारित शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों के मामले में न्यूनतम 25 प्रतिशत मार्जिन बनाए रखा जाना चाहिए। ये न्यूनतम मार्जिन निर्धारण हैं। बैंक भौतिक या अभौतिक रूप में धारित शेयरों के

लिए उच्चतर मार्जिन का निर्धारण कर सकते हैं। अधिमान शेयरों/अपरिवर्तनीय डिबेंचरों तथा बांडों की जमानत पर स्वीकृत किए जाने वाले अग्रिमों के लिए मार्जिन से संबंधित अपेक्षाओं का निर्धारण बैंक स्वयं कर सकते हैं।

(iv) **उधार नीति** : प्रत्येक बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए व्यक्तियों को शेयरों/डिबेंचरों/बांडों की जमानत पर अग्रिम मंजूर करने की ऋण नीति अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से बनानी चाहिए। बैंकों को उधारकर्ता के संबंध में ऋण मूल्यांकन संबंधी जानकारी के लिए उससे एक घोषणा पत्र प्राप्त करना चाहिए जिसमें उसके द्वारा अन्य बैंकों से लिए गए ऋणों की सीमा का उल्लेख किया गया हो। यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक होगा कि विभिन्न बैंकों से इस प्रकार के ऋण केवल एक कंपनी अथवा कंपनियों के समूह के शेयर की जमानत पर नहीं लिए गए हैं। एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में प्रत्येक बैंक ऐसे अग्रिमों की समुचित सकल उप-सीमाओं के निर्धारण पर विचार कर सकता है।

2.3.1.2 शेयर तथा स्टाक दलालों/पण्य दलालों को अग्रिम

(i) बैंकों तथा उनकी अनुषंगी संस्थाओं को 'बदला' लेनदेन का वित्तपोषण नहीं करना चाहिए।

(ii) शेयर तथा स्टाक दलालों/पण्य दलालों द्वारा विक्रेयमाल (स्टाक-इन-ट्रेड) के रूप में धारित शेयरों तथा डिबेंचरों की जमानत पर जरूरत के आधार पर ओवरड्राफ्ट सुविधाएं/ऋण व्यवस्था प्रदान की जा सकती है। ऐसे वित्त के लिए आवश्यकता आधारित अपेक्षाओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति, उसके अपने खाते में तथा ग्राहकों की तरफ से किए गए परिचालनों, अर्जित आय, स्टाक तथा शेयरों की औसत टर्नओवर अवधि तथा उस सीमा को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए जिस सीमा तक दलाल की निधियां उसके व्यावसायिक परिचालनों के लिए अपेक्षित हैं। शेयर दलालों द्वारा बैंक वित्त के साथ अपने खाता में शेयरों तथा डिबेंचरों में भारी पैमाने पर निवेश को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां आसानी से विपणन योग्य होनी चाहिए।

(iii) व्यक्तियों के लिए शेयरों तथा डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिमों के लिए 10 लाख रुपये/20 लाख रुपये की उच्चतम सीमा शेयर तथा स्टाक दलाल/पण्य दलालों के मामले में लागू नहीं होगी और अग्रिम आवश्यकता पर आधारित होंगे।

(iv) बैंक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा पंजीकृत ऐसे शेयर बाजारों को कार्यशील पूंजी की सुविधाएं मंजूर कर सकते हैं जिन्होंने वित्तीय संस्थाओं, विदेशी संस्थागत निवेशकों, म्युचुअल फंडों तथा बैंकों जैसे संस्थागत ग्राहकों की तरफ से किए गए

सुपुर्दगी बनाम भुगतान (डीवीपी) लेनदेन के लिए सुपुर्दगी तथा भुगतान के बीच नकदी प्रवाह के अंतर को पूरा करने के लिए सेबी/शेयर बाजारों द्वारा पूंजी पर्याप्तता संबंधी निर्धारित मानदंडों का पालन किया है। ऐसी सुविधा की अवधि अल्पकालिक तथा वित्तपोषण की आवश्यकताओं पर आधारित होगी जिसका मूल्यांकन नकदी प्रवाह के अंतर, लेनदेन में अभिनियोजित करने के लिए अपेक्षित दलाल की निधियों तथा दलाल की संपूर्ण वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इस सुविधा के प्रयोग की निगरानी वैयक्तिक लेनदेन के आधार पर की जाएगी। बैंक सुरक्षा तथा निगरानी की पर्याप्त व्यवस्थाएं स्थापित कर सकते हैं।

(v) शेयर तथा स्टाक दलालों की तरफ से आईपीओ/गारंटियों के निर्गम के सभी अग्रिमों/वित्तपोषण पर 50 प्रतिशत का एकसमान मार्जिन लागू होगा। बैंकों द्वारा जारी गारंटियों के संबंध में पूंजी बाजार परिचालनों के लिए 25 प्रतिशत का न्यूनतम नकदी मार्जिन (50% के मार्जिन के भीतर) बनाए रखा जाएगा। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव (एनसीडीईएक्स), एमसीएक्स तथा एनएमसीईआईएल जैसे पण्य बाजारों के पक्ष में पण्य दलालों की तरफ से बैंकों द्वारा जारी गारंटियों पर पण्य बाजार विनियमों के अनुसार मार्जिन संबंधी आवश्यकताओं के बदले उपर्युक्त न्यूनतम मार्जिन भी लागू होगा। ये मार्जिन अपेक्षाएं डीवीपी लेनदेन के लिए अस्थायी ओवर ड्राफ्टों के द्वारा शेयर दलालों को दिए गए बैंक वित्त के संबंध में भी लागू होंगी।

(vi) बैंक शेयर तथा स्टाक दलालों की तरफ से शेयर बाजारों के पक्ष में उस सीमा तक प्रतिभूति के बदले गारंटियां जारी कर सकते हैं जिस सीमा तक वह शेयर बाजारों द्वारा निर्धारित बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार्य हैं। बैंक शेयर बाजार के विनियमों के अनुसार मार्जिन अपेक्षाओं के बदले गारंटी भी जारी कर सकते हैं। बैंकों को प्रत्येक आवेदक उधारकर्ता की अपेक्षा का मूल्यांकन करना चाहिए और एक्सपोजर की उच्चतम सीमाओं सहित सामान्य एवं आवश्यक दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।

(vii) पैराग्राफ 2.3.1.8 के क्रमांक (ix) पर उल्लिखित भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में बैंकों के नाम से शेयरों के अंतरण से संबंधित अपेक्षा शेयर तथा स्टाक दलालों को स्वीकृत अग्रिमों पर लागू नहीं होगी बशर्ते इन शेयरों को नौ महीने से कम समय तक प्रतिभूति के रूप में रखा गया हो। अभौतिकीकृत शेयरों के मामले में निक्षेपागार प्रणाली गिरवी के लिए सुविधा प्रदान करती है और बैंक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और ऐसे मामलों में बैंक के नाम से शेयरों का अंतरण करना जरूरी नहीं होगा भले ही उन्हें कितने समय से धारित किया गया हो। शेयर तथा स्टाक दलालों को इसके लिए छूट दी गई है कि वे जब आवश्यक समझें अपने द्वारा गिरवी रखे गए शेयरों को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। खाते में किसी भी प्रकार की चूक की स्थिति में बैंक को इस विकल्प का प्रयोग करने की छूट होगी कि वे शेयरों को अपने नाम से अंतरित कर लें।

(viii) बैंक केवल उन्हीं शेयर एवं स्टाक दलालों को अग्रिम स्वीकृत करेंगे जो सेबी द्वारा पंजीकृत हैं और जो सेबी/शेयर बाजारों द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता संबंधी मानदंडों का अनुपालन करते हैं।

2.3.1.3 बाजार निर्माताओं के लिए बैंक वित्त

बैंक अनुमोदित बाजार निर्माताओं की वास्तविक ऋण अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्हें आवश्यकता आधारित वित्त प्रदान कर सकता है। इस प्रयोजन के लिए उन्हें बाजार निर्माताओं के वित्तपोषण के लिए समुचित मानदंड निर्धारित करना चाहिए जिसमें एक्सपोजर सीमाएं, मूल्यांकन की विधि आदि भी शामिल हों। उन्हें निम्नलिखित दिशानिर्देशों का भी पालन करना चाहिए:

क) शेयर बाजार द्वारा अनुमोदित बाजार निर्माता अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा अग्रिमों की मंजूरी के पात्र होंगे।

ख) बाजार निर्माण की गतिविधि न केवल ईक्विटी के लिए बल्कि ऋण प्रतिभूतियों के लिए भी होगी जिसमें राज्य तथा केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां भी शामिल हैं।

ग) बैंकों को बाजार निर्माण परिचालनों को ध्यान में रखते हुए बाजार निर्माताओं की आवश्यकता आधारित कार्यशील पूंजी संबंधी अपेक्षाएं तय करने में अपने वाणिज्यिक विवेक का प्रयोग करना चाहिए।

घ) बाजार निर्माताओं की तरफ से सभी अग्रिमों/आईपीओ के वित्तपोषण/गारंटियों के निर्गम पर 50 प्रतिशत का एक समान मार्जिन लागू होगा। पूंजी बाजार परिचालनों के लिए बैंकों द्वारा जारी गारंटियों के संबंध में 25 प्रतिशत का न्यूनतम नकदी मार्जिन (50 % के मार्जिन के भीतर) बनाए रखा जाएगा।

ङ) बैंक बाजार निर्माताओं को अग्रिम मंजूर करने के लिए संपार्श्विक के रूप में ऐसे स्क्रिपों को स्वीकार कर सकते हैं जिनमें बाजार निर्माण के परिचालन नहीं किए गए हैं।

च) बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार निर्माण के लिए प्रदान किए गए अग्रिमों का निवेश बाजार निर्माण के प्रयोजन के लिए निर्धारित स्क्रिपों के अलावा अन्य शेयरों में नहीं किया जाता है। इस उद्देश्य से अनुवर्ती कार्रवाई और निगरानी की उचित व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।

छ) व्यक्तियों को शेयरों/डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिमों के लिए 10 लाख रुपये/20 लाख रुपये की उच्चतम सीमा बाजार निर्माताओं पर लागू नहीं होगी।

2.3.1.4 प्रत्येक बैंक को शेयर दलालों तथा बाजार निर्माताओं को अग्रिम मंजूर करने के लिए विस्तृत ऋण नीति तथा दलालों की तरफ से गारंटियों की मंजूरी के लिए भी नीति निर्धारित करनी

चाहिए जिसमें पैरा 2.3.1.8 में दिए गए सामान्य दिशानिर्देशों का ध्यान रखा जाना चाहिए और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को भी शामिल करना चाहिए:

- ऐसे अग्रिमों/गारंटियों का प्रयोजन एवं प्रयोग
- ऐसे अग्रिमों का कीमत निर्धारण
- नियंत्रण की विशेषताएं जो ऐसे वित्तपोषण की अद्वितीय विशेषताओं तथा जोखिमों की विशेष रूप से पहचान करती हैं।
- संपार्श्विक के मूल्यन की विधि
- संपार्श्विक के रूप में लिए गए शेयरों तथा अन्य प्रतिभूतियों के मूल्यन की आवृत्ति। शेयरों के मूल्यन की आवृत्ति तिमाही में कम-से-कम एक बार हो सकती है।
- बैंक के नाम से शेयरों के अंतरण के लिए दिशानिर्देश
- वैयक्तिक ऋणों के लिए अधिकतम एक्सपोजर (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण एकल उधारकर्ता सीमा के भीतर)। बोर्ड इस क्षेत्र के लिए बैंक को सकल एक्सपोजर पर सीमा निर्धारित करने पर भी विचार कर सकता है।
- सकल संविभाग, उसकी गुणवत्ता तथा कार्यनिष्पादन की कम-से-कम छःमाही आधार पर समीक्षा करने के बाद उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2.3.1.5 शेयरों/डिबेंचरों/बांडों की जमानत पर अन्य उधारकर्ताओं को अग्रिम

बैंक एक्सपोजर मानदंडों पर 02 जुलाई 2012 के हमारे मास्टर परिपत्र का पैरा 2.4.7 देखें।

2.3.1.6 प्रवर्तकों के अंशदान के वित्तपोषण के लिए बैंक ऋण

किसी कंपनी की ईक्विटी पूंजी के लिए प्रवर्तकों का अंशदान खुद उनके संसाधनों से आना चाहिए और सामान्यतः बैंक को अन्य कंपनियों के शेयर लेने के लिए अग्रिम मंजूर नहीं करना चाहिए। तथापि, बैंकों को यह अनुमति है कि वे कंपनियों को उनके द्वारा धारित शेयरों की प्रतिभूति (यथासंभव अभौतिकीकृत रूप में) पर ऋण दे सकते हैं ताकि संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा किया जा सके बशर्ते पैरा 2.3.1.8 के अंतर्गत दिए गए सामान्य दिशानिर्देशों के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाता हो:

- i) ऋणों के मार्जिन तथा चुकौती की अवधि का निर्धारण बैंकों द्वारा किया जाए।
- ii) संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तन के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों की प्रतिभूति (यथासंभव डिमैट शेयर) पर कंपनियों को मंजूर किए गए ऋणों को बैंकों द्वारा शेयरों में किए गए निवेशों के रूप में माना जाना चाहिए जिसे बैंक के कुल एक्सपोजर के लिए निर्धारित पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार बैंक के

नेटवर्थ के 40 प्रश्नात की उच्चतम सीमा के भीतर होना चाहिए जिसमें सभी रूपों में पूंजी बाजार में निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोजर दोनों शामिल हैं। इन ऋणों पर वैयक्तिक/उधारकर्ताओं के समूह को एक्सपोजर संबंधी मानदंड तथा कंपनियों में शेयरधारिता की वैधानिक सीमा भी लागू होगी जिसका विवरण एक्सपोजर मानदंडों पर 01 जुलाई 2011 के मास्टर परिपत्र में दिया गया है।

iii) बैंक एक रणनीतिक निवेश के बगैर विदेशी संयुक्त उद्यम/पूर्णतः स्वधिकृत अनुषंगी कंपनियों अथवा अन्य नई या मौजूदा विदेशी कंपनियों में इक्विटी के अधिग्रहण के लिए भारतीय कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार होना चाहिए और उसे बैंकों की ऋण नीति में विधिवत् समाविष्ट होना चाहिए। इस नीति के अंतर्गत ऐसे वित्तपोषण की संपूर्ण सीमा, उधारकर्ताओं की पात्रता की शर्तें, प्रतिभूति, मार्जिन आदि शामिल होना चाहिए। हालांकि बोर्ड ऐसे उधार के लिए अपने दिशानिर्देश तथा सुरक्षाएं निर्धारित कर सकता है लेकिन ऐसे अधिग्रहण कंपनी तथा देश के लिए लाभप्रद होने चाहिए। यह वित्त बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) के अंतर्गत सांविधिक अपेक्षाओं के अध्याधीन होगा।

iv) भारतीय आयात-निर्यात बैंक की पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत बैंक विदेशी संयुक्त उपक्रम/पूर्णतः स्वधिकृत अनुषंगी कंपनियों में इक्विटी के अधिग्रहण के लिए पात्र भारतीय प्रवर्तकों को मेरिट के आधार पर मीयादी ऋण मंजूर कर सकते हैं बशर्ते मीयादी ऋण पुनर्वित्त के लिए आयात-निर्यात बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

v) इक्विटी पूंजी में प्रवर्तकों के अंशदान के वित्तपोषण के लिए बैंक अग्रिमों की मंजूरी पर प्रतिबंध ऐसे अधिग्रहणों से जुड़ी नॉन-कम्पिट शुल्क जैसी गतिविधियों आदि को बैंक वित्त प्रदान करने पर भी लागू होगा। इसके अलावा, ये प्रतिबंध भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं/अनुषंगी संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले ऐसे क्रिया-कलापों के लिए बैंक वित्त पर भी लागू होंगे।

vi) निदेशक मंडल के अनुमोदन से बैंकों को इस प्रयोजन के लिए समुचित सुरक्षाओं के साथ आंतरिक दिशानिर्देश निर्धारित करने चाहिए।

2.3.1.7 म्युचुअल फंड की यूनिटों की जमानत पर अग्रिम

बैंक एक्सपोजर मानदंडों पर 02 जुलाई 2012 के मास्टर परिपत्र का पैरा 2.4.6 देखें।

2.3.1.8 शेयरों/डिबेंचरों/बांडों की जमानत पर दिए जाने वाले अग्रिमों पर लागू होने वाले सामान्य दिशानिर्देश

(i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) एवं (3) तथा 20(1) के अंतर्गत शेयरों की जमानत पर अग्रिमों की मंजूरी से संबंधित सांविधिक उपबंधों का सख्ती से पालन किया जाना

चाहिए। डिमैट रूप में धारित शेयरों को भी उक्त अधिनियम की धारा 19(2) तथा 19(3) के अंतर्गत सीमाओं के निर्धारण के प्रयोजन के लिए शामिल किया जाना चाहिए।

(ii) बैंकों का ध्यान केवल इस बात पर होना चाहिए कि अग्रिम किस प्रयोजन के लिए हैं न कि किसी जमानत पर। शेयरों/डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम मंजूर करते समय बैंकों को स्वीकृति, मूल्यांकन तथा स्वीकृति के पश्चात् अनुवर्ती कार्रवाई की सामान्य प्रक्रियाओं का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए।

(iii) शेयरों/डिबेंचरों की प्राथमिक प्रतिभूति पर अग्रिमों को विशेष रूप से अलग रखना चाहिए और उन्हें अन्य किसी अग्रिम के साथ मिलाकर नहीं रखा जाना चाहिए।

(iv) बैंकों को शेयरों/डिबेंचरों की विपणनीयता तथा उस कंपनी के नेटवर्थ तथा कार्यप्रणाली के बारे में संतुष्टि प्राप्त कर लेनी चाहिए जिसके शेयरों/बांडों/डिबेंचरों को प्रतिभूति के रूप में रखा गया है।

(v) शेयरों/डिबेंचरों/बांडों का मूल्य निर्धारण जब उन्हें अग्रिमों के लिए प्रतिभूति के रूप में रखा जाता है उस समय के प्रभावी बाजार पर किया जाना चाहिए।

(vi) बैंकों को उस समय विशेष ध्यान देना चाहिए जब किसी उधारकर्ता अथवा उधारकर्ताओं के समूह द्वारा भारी संख्या में शेयरों की जमानत पर अग्रिम मांगा गया हो। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शेयरों की जमानत पर अग्रिमों का प्रयोग इस ढंग से नहीं किया जा रहा है कि उधारकर्ता कंपनी/कंपनियों में नियंत्रक हित अर्जित कर सके या उसे बनाए रख सके या अंतर-कंपनी निवेशों में उसे सहजता हो या उन्हें वह बनाए रख सके।

(vii) आंशिक रूप चुकता शेयरों की जमानत पर कोई अग्रिम मंजूर नहीं किया जाएगा।

(viii) शेयरों तथा डिबेंचरों की प्राथमिक प्रतिभूति पर भागीदारी/स्वामित्व कंपनियों को कोई ऋण मंजूर नहीं किया जाना चाहिए।

(ix) किसी उधारकर्ता को मंजूर अग्रिमों की सीमा/सीमाएं 10 लाख रुपये से अधिक होने पर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उक्त शेयर/डिबेंचर/बांड बैंक के नाम से अंतरित कर दिए गए हैं और इन शेयरों के संबंध में बैंक के पास अनन्य और बेशर्त मताधिकार है। इस प्रयोजन के लिए किसी बैंक द्वारा किसी एकल उधारकर्ता को अपने सभी कार्यालयों में मंजूर शेयरों/डिबेंचरों/बांडों की सीमाओं का योग ध्यान में रखना चाहिए। डिमैट रूप में धारित प्रतिभूतियों के मामले में शेयरों को बैंक के नाम से अंतरित करने से संबंधित अपेक्षा लागू नहीं होगी तथा इस संबंध में बैंक अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। तथापि, बैंक को डिमैट रूप में धारित प्रतिभूतियों को गिरवी रखने के लिए निक्षेपागार प्रणाली के अंतर्गत प्रदत्त सुविधा का लाभ उठाना चाहिए जिसके अंतर्गत उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई प्रतिभूतियां उधारदाता बैंक के पक्ष में जमा होती हैं। उधारकर्ता द्वारा चूक की स्थिति में तथा बैंक

द्वारा गिरवी को लागू करने का विकल्प प्रारंभ करने पर शेयर तथा डिबेंचर तत्काल बैंक के नाम से अंतरित हो जाते हैं।

(x) अपने मताधिकार के प्रयोग के संबंध में बैंक खुद निर्णय ले सकते हैं और इस प्रयोजन के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित कर सकते हैं।

(xi) बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास प्रतिभूति के रूप में रखे स्ट्रिप चुराए हुए/डुप्लिकेट/नकली/बेनामी नहीं हैं। उनकी जानकारी में आनेवाली किसी भी अनियमितता की सूचना तत्काल भारतीय रिज़र्व बैंक को दी जानी चाहिए।

(xii) निदेशक मंडल शेयरों/डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिमों की मंजूरी के लिए प्राधिकारी का उचित स्तर निर्धारित कर सकते हैं। वे ऐसे अग्रिमों की मंजूरी के लिए आंतरिक दिशानिर्देश तथा सुरक्षाएं भी बना सकते हैं।

(xiii) भारत में काम करने वाले बैंकों को अग्रिम देने अथवा दूसरे बैंकों के पक्ष में बैंक-अप गारंटियां जारी करने जैसे लेनदेन का पक्ष नहीं बनना चाहिए जो उनकी कुछ विदेश स्थित शाखाओं द्वारा भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के ग्राहकों को ऋण देने के लिए किए गए हों जिससे कि उधारकर्ता भारतीय कंपनियों के शेयरों एवं डिबेंचरों/बांडों में निवेश कर सकें।

2.3.2 मुद्रा बाज़ार म्युच्युअल फंड

मुद्रा बाज़ार म्युच्युअल फंडों के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सभी दिशानिर्देश वापस ले लिये गये हैं तथा इस संबंध में बैंकों को सेबी की विनियमावली से दिशानिर्देश लेना है। तथापि, जो बैंक /वित्तीय संस्थाएं मुद्रा बाजार म्युच्युअल फंड स्थापित करने के इच्छुक हैं, उन्हें पंजीकरण के लिए सेबी से संपर्क करने के पूर्व इस अतिरिक्त कार्यकलाप के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

2.3.3 अन्य बैंकों द्वारा जारी सावधि जमा रसीदों की जमानत पर अग्रिम

ऐसे उदाहरण सामने आये हैं जिनमें कुछ बैंकों द्वारा जारी की गयी नकली मीयादी जमा रसीदों का उपयोग अन्य बैंकों से अग्रिम प्राप्त करने के लिए किया गया। इन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में बैंकों को चाहिए कि वे अन्य बैंकों द्वारा जारी सावधि जमा रसीदों या अन्य मीयादी जमा रसीदों की जमानत पर अग्रिम मंजूर न करें।

2.3.4 एजेंटों / मध्यस्थों को जमाराशि जुटाने के प्रतिफल पर आधारित अग्रिम

बैंकों को मौजूदा / भावी ऋणकर्ताओं की ऋण संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए एजेंटों/ मध्यस्थों के माध्यम से संसाधन जुटाने जैसी अनैतिक प्रथाओं का पक्षकार बनने से अथवा जमाराशि जुटाने के प्रतिफल के आधार पर मध्यस्थों को, जिन्हें उनकी कारोबार संबंधी वास्तविक आवश्यकताओं के लिए निधियों की जरूरत न हो, ऋण स्वीकृत करने से बचना चाहिए।

2.3.5 जमा प्रमाणपत्रों की जमानत पर ऋण

बैंक जमा प्रमाणपत्रों की जमानत पर ऋण स्वीकृत नहीं कर सकते। साथ ही, उन्हें अपने ही जमा प्रमाणपत्रों की परिपक्वता पूर्व वापसी-खरीद करने की भी अनुमति नहीं है। इसकी समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि उधार देने तथा वापसी-खरीद पर लगाए गए इन प्रतिबंधों को केवल म्युच्युअल फंडों द्वारा धारित जमा प्रमाणपत्रों के संबंध में अगली सूचना तक शिथिल किया जाए। म्युच्युअल फंडों को ऐसे ऋण प्रदान करते समय बैंकों को सेबी (म्युच्युअल फंड) विनियमावली, 1996 के पैराग्राफ 44(2) के प्रावधानों को ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही, यदि ऐसा वित्त ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों को दिया गया हो तो, वह पहले की तरह बैंक के पूंजी बाजार एक्सचेंज का हिस्सा होगा।

2.3.6 इंडियन डिपॉजिटरी रसीद (आइडीआर) की जमानत पर ऋण/अग्रिमों के लिए वित्त

किसी भी बैंक द्वारा इंडियन डिपॉजिटरी रसीद के अभिदान के लिए कोई ऋण/अग्रिम मंजूर नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी भी बैंक को भारत में जारी इंडियन डिपॉजिटरी रसीदों की प्रतिभूति/संपार्श्विक की जमानत पर कोई ऋण/अग्रिम मंजूर नहीं करना चाहिए।

2.3.7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंक वित्त

इस संबंध में कृपया गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंक वित्त पर 2 जुलाई 2012 का मास्टर परिपत्र देखें।

2.3.8 मूलभूत सुविधाओं/आवासीय परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण

2.3.8.1 आवास के लिए वित्त

इस संबंध में बैंक कृपया आवास के लिए वित्त पर 2 जुलाई 2012 का मास्टर परिपत्र देखें।

2.3.8.2 मूलभूत सुविधा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए दिशानिर्देश

मूलभूत सुविधा क्षेत्र के अत्यधिक महत्व और विभिन्न मूलभूत सेवाओं को दी जा रही उच्च प्राथमिकता की दृष्टि से इस मामले की समीक्षा भारत सरकार से परामर्श करके की गयी है और मूलभूत सुविधा परियोजनाओं के वित्तपोषण के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश नीचे दिये गये हैं।

2.3.8.3 'मूलभूत सुविधा ऋण' की परिभाषा

ऋणदाताओं (अर्थात् बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) द्वारा किसी मूलभूत सुविधा के लिए, जैसा कि नीचे निर्दिष्ट है, किसी रूप में दी गयी ऋण सुविधा

‘मूलभूत सुविधा ऋण’ की परिभाषा के अंतर्गत आती है। दूसरे शब्दों में, निम्नलिखित कार्यों में संलग्न किसी ऋण लेने वाली कंपनी को दी गयी ऋण सुविधा:

- विकास या
 - परिचालन और रखरखाव या
 - निम्नलिखित में से किसी क्षेत्र की परियोजना वाली किसी मूलभूत सुविधा, अथवा इसी स्वरूप की किसी मूलभूत सुविधा का विकास, परिचालन और रखरखाव :
- i) कोई सड़क, जिसमें चुंगी वाली सड़क शामिल है, कोई पुल अथवा कोई रेल प्रणाली;
 - ii) कोई राजमार्ग परियोजना, जिसमें राजमार्ग परियोजना के अभिन्न भाग के अन्य कार्यकलाप शामिल हैं;
 - iii) कोई बंदरगाह, हवाई अड्डा, देशांतर्गत जलमार्ग या देशांतर्गत बंदरगाह;
 - iv) कोई जल आपूर्ति परियोजना, सिंचाई परियोजना, जल शोधन प्रणाली, स्वच्छता एवं मल निकासन प्रणाली अथवा ठोस कचरे के प्रबंधन की प्रणाली;
 - v) दूरसंचार सेवाएं चाहे आधारभूत (बेसिक) अथवा सेलुलर, जिनमें रेडियो पेजिंग, देशी उपग्रह सेवा (अर्थात् दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए भारतीय कंपनी के स्वामित्व वाला और उसके द्वारा संचालित उपग्रह), ट्रंक कॉल का नेटवर्क, ब्रॉड बैंड नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं;
 - vi) कोई औद्योगिक पार्क अथवा विशेष आर्थिक अंचल (जोन);
 - vii) बिजली उत्पादन अथवा उत्पादन और वितरण;
 - viii) प्रेषण अथवा वितरण की नई लाइनों का नेटवर्क डालकर विद्युत प्रेषण अथवा वितरण;
 - ix) कृषि संसाधन और कृषि निवेश वस्तुओं की आपूर्ति से संबद्ध परियोजनाओं से संबंधित निर्माण;
 - x) संसाधित कृषि उत्पादों, फल, सब्जियां और फूल जैसी विनश्य वस्तुओं के परिरक्षण तथा भंडारण के लिए निर्माण, जिसमें गुणवत्ता जांच की सुविधाएं भी शामिल हैं;
 - xi) शैक्षणिक संस्थाएं तथा अस्पतालों का निर्माण;
 - xii) गैस, कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम पाईपलाइने डालना तथा उनका रख-रखाव करना।
 - xiii) इसी प्रकार की कोई अन्य मूलभूत सुविधा।

2.3.8.4 वित्तपोषण के लिए मानदंड

बैंक /वित्तीय संस्थाएं निम्नलिखित शर्तों के अधीन सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र द्वारा शुरू की गयी तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य, अर्थक्षम और बैंकों को स्वीकार्य परियोजनाएं बनाने के लिए स्वतंत्र हैं :

- i) मूलभूत सुविधाओं के लिए मंजूर की जाने वाली राशि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों की समग्र सीमा के अंदर होनी चाहिए।
- ii) तकनीकी व्यवहार्यता, वित्तीय क्षमता और बैंक के लिए स्वीकार्य परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के पास अपेक्षित निपुणता होनी चाहिए, जो मुख्य रूप से जोखिम विश्लेषण और संवेदनशीलता विश्लेषण के विशेष संदर्भ में होनी चाहिए।
- iii) सरकारी क्षेत्र की इकाइयों द्वारा हाथ में ली गयीं परियोजनाओं के बारे में मीयादी ऋण केवल कंपनियों (अर्थात् कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अथवा प्रासंगिक संविधि के अंतर्गत स्थापित निगम) को ही स्वीकृत किये जाने चाहिए। साथ ही, इस तरह के मीयादी ऋण परियोजना के लिए रखे गये बजट संसाधनों के स्थान पर या उनके बदले में नहीं होने चाहिए। मीयादी ऋण बजट संसाधनों का पूरक तभी हो सकता है जब इस प्रकार की पूरक व्यवस्था पर परियोजना की डिजाइन में ही विचार किया गया हो। जहां इस प्रकार की सरकारी क्षेत्र की इकाइयां मूलभूत सुविधा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत विशेष प्रयोजन प्रणाली (एसपीवी) शामिल कर सकती हैं, वहीं बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि यह ऋण/निवेश राज्य सरकारों के बजट के वित्तपोषण के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं। इस प्रकार का वित्तपोषण चाहे ऋण देकर किया गया हो अथवा बांडों में निवेश के द्वारा, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को इस प्रकार की परियोजनाओं की संभाव्यता और बैंक को स्वीकार्यता के बारे में पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि परियोजना से इतना राजस्व मिलेगा कि वह ऋण चुकौती संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सके और ऋण की चुकौती/किस्तों की अदायगी बजट संसाधनों में से न करनी पड़े। इसके अतिरिक्त, विशेष प्रयोजन प्रणालियों के मामले में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निधि प्रदान करने के प्रस्ताव निगरानी की जा सकने वाली विशिष्ट परियोजनाओं के लिए हैं। यह पाया गया है कि कुछ बैंकों ने राज्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान की है जो उपर्युक्त मानदंडों के अनुरूप नहीं है। अतः बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त अनुदेशों का कड़ाई से पालन करें। पुनर्वास के प्रयास के भाग के रूप में बीमार राज्य सरकारी उपक्रमों के बॉण्डों में निवेश करते समय भी उनका कड़ाई से पालन किया जाए।
- iv) बैंक निजी क्षेत्र की उन विशेष प्रयोजन प्रणालियों के लिए ऋण दे सकते हैं जो वित्तीय दृष्टि से संभावनायुक्त हैं और केवल वित्तीय मध्यवर्ती के रूप में कार्य नहीं

कर रही हैं। बैंक यह सुनिश्चित करें कि मूल /प्रायोजक कंपनी के दिवालिया होने या वित्तीय कठिनाइयों के कारण विशेष प्रयोजन प्रणाली की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

2.3.8.5 बैंक किस प्रकार का वित्तपोषण कर सकते हैं

(i) मूलभूत सुविधा परियोजनाओं की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक कार्यकारी पूंजीगत वित्त, मीयादी ऋण, परियोजना ऋण, परियोजना कंपनी के बांडों और डिबेंचरों में अभिदान करके/अधिमान शेयर/ईक्विटी शेयर लेकर ऋण सुविधा दे सकते हैं, जिसे परियोजना वित्त के भाग के रूप में लिया गया हो जिसे "दिया गया अग्रिम" माना जाये और किसी अन्य रूप में भी निधिक अथवा गैर निधिक सुविधा दे सकते हैं।

(ii) अंतरण वित्तपोषण (टेक-आउट फाइनान्सिंग)

बैंक आइडीएफसी /अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ हिस्सेदारी के रूप में वित्तपोषण (टेक-आउट फाइनान्सिंग)व्यवस्था में भाग ले सकते हैं अथवा आइडीएफसी/अन्य वित्तीय संस्थाओं से चलनिधि सहायता ले सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था की महत्वपूर्ण बातों का संक्षिप्त उल्लेख पैरा 2.3.8.8(i) में किया गया है। बैंक 29 फरवरी 2000 के परिपत्र सं. बैंपविवि. बीपी. बीसी. 144/ 21.04.048/ 2000 में अंतरण वित्तपोषण से संबंधित अनुदेशों से भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

(iii) अंतर-संस्थागत गारंटियां

बैंकों को उधार देने वाली अन्य संस्थाओं के पक्ष में गारंटी जारी करने की अनुमति है, परंतु शर्त यह होगी कि गारंटी निर्गत करने वाला बैंक परियोजना की लागत का कम-से-कम 5 प्रतिशत भाग निधिक शेयर के रूप में ले तथा सामान्य ऋण-मूल्यांकन, मॉनीटरिंग व परियोजना के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करे। अंतर -संस्थागत गारंटी के संबंध में विस्तृत अनुदेशों के लिए पैरा 2.3.9 देखें।

(iv) प्रवर्तकों की ईक्विटी का वित्तपोषण

28 अगस्त 1998 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी.90/ 13.07.05/98 के अनुसार बैंकों को सूचित किया गया था कि कंपनी की ईक्विटी पूंजी में प्रवर्तकों का अंशदान उनके अपने संसाधनों से होना चाहिए और बैंक अन्य कंपनियों के शेयर लेने के लिए सामान्यतः अग्रिम प्रदान न करें। मूलभूत सुविधा क्षेत्र को दिये गये महत्व की दृष्टि से यह निर्णय किया गया है कि कतिपय परिस्थितियों में इस नीति में अपवाद स्वरूप छूट दी जा सकती है, जो भारत में मूलभूत सुविधा परियोजना के कार्यान्वयन अथवा परिचालन में लगी मौजूदा कंपनी में प्रवर्तक के शेयरों के अभिग्रहण हेतु वित्त प्रदान करने के लिए होगी। जिन स्थितियों में यह अपवाद हो सकता है वे निम्नलिखित हैं:

- i) बैंक वित्त उपर्युक्त पैरा (क) में यथापरिभाषित मूलभूत सुविधाएं देने वाली मौजूदा कंपनियों के शेयरों के अभिग्रहण के लिए ही होगा। इसके अतिरिक्त, इस तरह के शेयरों का अभिग्रहण उन कंपनियों के मामले में होना चाहिए जहां मौजूदा विदेशी प्रवर्तक (और/अथवा देशी संयुक्त प्रवर्तक) सेबी के दिशानिर्देशों (जहां भी लागू हो) का अनुपालन करते हुए अपने बहुसंख्य शेयरों का विनिवेश करने का स्वैच्छिक प्रस्ताव करते हों।
- ii) जिन कंपनियों को ऋण दिये जायें उनकी, अन्य बातों के साथ-साथ, शुद्ध माली हैसियत संतोषजनक होनी चाहिए।
- iii) जिन कंपनियों को वित्त प्रदान किया जाये और वे तथा उन कंपनियों के प्रवर्तक/निदेशक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के प्रति चूककर्ता नहीं होने चाहिए।
- iv) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऋणकर्ता का मूलभूत सुविधा वाली कंपनी में भारी हित है, बैंक वित्त अभिग्रहीत की जाने वाली कंपनी में प्रवर्तक के हिस्से का अभिग्रहण करने के लिए अपेक्षित वित्त के 50 प्रतिशत तक ही सीमित होना चाहिए।
- v) दिया जाने वाला वित्त ऋणकर्ता कंपनी की आस्तियों अथवा अभिग्रहीत कंपनी की आस्तियों पर होना चाहिए, न कि उस कंपनी अथवा अभिग्रहीत की जाने वाली कंपनी के शेयरों की जमानत पर। ऋणकर्ता कंपनी/अभिग्रहीत की जाने वाली कंपनी के शेयर अतिरिक्त जमानत के रूप में स्वीकार किये जा सकते हैं, न कि प्राथमिक जमानत के रूप में। बैंक को प्रभारित जमानत विपणनयोग्य होनी चाहिए।
- vi) बैंक हर समय निर्धारित मार्जिन रखना सुनिश्चित करें।
- vii) बैंक ऋणों की अवधि सात वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परंतु बैंकों के निदेशक मंडल परियोजना की वित्तीय सक्षमता के लिए विशिष्ट मामलों को आवश्यकतानुसार अपवाद बना सकते हैं।
- viii) यह वित्तपोषण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) के अंतर्गत सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन की शर्त पर होगा।
- ix) प्रवर्तकों द्वारा ईक्विटी शेयर के अभिग्रहण का वित्तपोषण करने वाले बैंकों को चाहिए कि पूंजी बाजारों में किसी भी रूप में बैंकों का कुल एक्सपोजर (निधि वित्तपोषण आधारित तथा गैर-निधि आधारित दोनों) पिछले वर्ष के 31 मार्च को उनकी निवल मालियत के 40 प्रतिशत की विनियामक सीमा के भीतर हो।

- x) बैंक वित्त के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा किया जाना चाहिए।

2.3.8.6 मूल्यांकन

- (i) सरकार की स्वाधिकृत संस्थाओं द्वारा हाथ में ली गयीं मूलभूत सुविधा परियोजनाओं के संबंध में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे ऐसी परियोजनाओं की लाभप्रदता और स्वीकार्यता के प्रति काफी सतर्क रहें। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजना से संबंधित अलग-अलग घटकों और प्रतिलाभों को समुचित रूप से परिभाषित और मूल्यांकित किया जाता है। राज्य सरकार की गारंटियों को संतोषजनक ऋण मूल्यांकन के लिए उसका विकल्प नहीं माना जाना चाहिए और ऋणों/बांडों की चुकौती के लिए नियमित स्थायी अनुदेशों/आवधिक भुगतान अनुदेशों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक या किसी भी बैंक के साथ किसी सूचित व्यवस्था के आधार पर ऐसी मूल्यांकन अपेक्षाओं को कम नहीं किया जाना चाहिए।
- (ii) मूलभूत सुविधाओं से संबंधित परियोजनाओं के वित्तपोषण का काम प्रायः विशेष प्रयोजन प्रणाली (स्पेशल पर्पज वेहिकल्स)के माध्यम से किया जाता है और इसलिए ऋण देनेवाली एजेंसियों के पास विशेष मूल्यांकन-कौशल का होना आवश्यक होगा। परियोजना संबंधी विभिन्न जोखिमों की पहचान करना, परियोजना संबंधी संविदाओं का मूल्यांकन करके जोखिमों को कम करने की संभावनाओं का मूल्यांकन करना, परियोजना के काम में भागीदार विभिन्न संस्थाओं की ऋण पात्रता एवं परियोजना का काम करने के लिए उनके द्वारा की गई विभिन्न संविदाओं के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने की उनकी क्षमता का मूल्यांकन करना मूल्यांकन-प्रक्रिया के अभिन्न अंग होंगे। इस संबंध में बैंक/वित्तीय संस्थाएं ऋण संबंधी प्रस्तावों का मूल्यांकन करने व परियोजनाओं की प्रगति/उनके कार्यनिष्पादन पर नजर रखने के लिए उपयुक्त अनुवीक्षण समितियों/विशेष कक्षों के गठन पर विचार कर सकते हैं। प्रायः ऐसी परियोजनाओं के लिए उपलब्ध करायी जाने वाली निधि की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक होगा कि इनके लिए बैंक/वित्तीय संस्थाएं संयुक्त रूप से वित्तपोषण करें या संघीय सहायता व्यवस्था (कंसॉर्शियम एरेंजमेंट) या समूहन व्यवस्था (सिंडीकेशन एरेंजमेंट) के तहत एक से अधिक बैंक वित्त उपलब्ध कराएं। ऐसी परिस्थितियों में, इन परियोजनाओं को ऋण देने में सहभागी बैंक/वित्तीय संस्थाएं अपनी ओर से मूल्यांकन के प्रयोजन से, भाग लेने वाले बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट देख सकते हैं या उस परियोजना का संयुक्त रूप से मूल्यांकन करा सकते हैं।

2.3.8.7 विवेकपूर्ण अपेक्षाएं

(i) ऋण प्रदान किये जाने के संबंध में विवेकपूर्ण सीमाएं

बैंक इस संबंध में बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग का ऋण आदि जोखिम (एक्सपोजर) संबंधी मानदंड पर 2 जुलाई 2012 का मास्टर परिपत्र देखें।

(ii) पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए जोखिम भार का निर्धारण

पूंजी पर्याप्तता के मामले में बैंक समय-समय पर संशोधित किए गए पूंजी पर्याप्तता एवं बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश-नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे का कार्यान्वयन देखें।

(iii) आस्ति-देयता प्रबंध

मूलभूत सुविधाओं से संबंधित परियोजनाओं के दीर्घावधि वित्तपोषण से आस्तियों और देयताओं के बीच असंतुलन की स्थिति पैदा हो सकती है, विशेष रूप से तब जब ऐसा वित्तपोषण किसी बैंक की देयताओं की अवधिपूर्णता रूपरेखा के अनुरूप न हो। इसलिए बैंकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपनी आस्तियों तथा देयताओं की स्थिति पर भली-भाँति निगाह रखें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ऐसी परियोजनाओं को ऋण प्रदान करने के कारण नकदी संबंधी असंतुलन के शिकार न हो जाएं।

(iv) प्रशासनिक व्यवस्था

मूलभूत परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए सबसे बड़ी जरूरत यह है कि समय पर और पर्याप्त ऋण उपलब्ध हो। इसलिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को ऋण-प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए स्पष्ट कार्यविधि/प्रक्रिया निश्चित करनी चाहिए और निर्दिष्ट अवधि के बाद भी अनिर्णीत रह गये आवेदन-पत्रों की समीक्षा के लिए उपयुक्त निगरानी शुरू करनी चाहिए। वित्तपोषण के काम में शामिल प्रत्येक संस्था द्वारा एक ही प्रकार का मूल्यांकन बार-बार कराये जाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे विलंब होता है तथा प्रमुख वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्दिष्ट किये गये मानदंडों को, बैंकों को, मोटे तौर पर, स्वीकार कर लेना चाहिए। साथ ही, परियोजना के कार्यान्वयन पर निरंतर निगरानी रखने के लिए एक व्यवस्था शुरू करने से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि ऋण का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा रहा है जिस प्रयोजन के लिए वह मंजूर किया गया था।

2.3.8.8 टेक-आउट वित्तपोषण/चलनिधि सहायता

(i) अंतरण (टेक-आउट) वित्तपोषण व्यवस्था

टेक-आउट (अंतरण) वित्तपोषण व्यवस्था वस्तुतः एक ऐसा तरीका है जिससे बैंक, मूलभूत सुविधाओं के विकास से संबंधित परियोजनाओं को लम्बी अवधि के ऋण देने के कारण होने वाले आस्तियों और देयताओं की अवधिपूर्णता संबंधी असंतुलनों से बच सकेंगे। इस व्यवस्था के अंतर्गत मूलभूत परियोजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाले बैंकों की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी या किसी अन्य वित्तीय संस्था के साथ यह व्यवस्था होगी कि वह अपनी लेखाबहियों के बकायों को पूर्वनिर्धारित तरीके से उस संस्थाओं को अंतरित कर सके। आइडीएफसी और भारतीय स्टेट बैंक ने टेक-आउट वित्तपोषण के बारे में कई तरीके तय किए हैं जिनसे बैंकों की विभिन्न आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी और नकदी, आस्ति-देयता असंतुलन, परियोजना-मूल्यांकन-कौशल की सीमित उपलब्धता इत्यादि से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दिया जा सकेगा। इन दोनों संस्थाओं ने एक मानक करार भी तैयार किया है जो विशिष्ट परियोजनाओं के लिए, परियोजना संबंधी अन्य ऋण-दस्तावेजों के साथ, दस्तावेज के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। भारतीय स्टेट बैंक और आइडीएफसी के बीच किया गया करार अन्य बैंकों के लिए, आइडीएफसी या अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ प्रायः उसी तरह का करार करने के लिए संदर्भमूलक दस्तावेज का काम कर सकता है।

(ii) आइडीएफसी द्वारा चलनिधि सहायता

टेक-आउट वित्तपोषण संबंधी व्यवस्था के विकल्प के रूप में आइडीएफसी और भारतीय स्टेट बैंक ने बैंकों को नकदी सहायता प्रदान करने की एक योजना तैयार की है। इस योजना के अंतर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी संबंधित बैंक को एक निश्चित अवधि (मान लीजिए पाँच वर्ष) के बाद पूरा बकाया ऋण (मूलधन + वसूला न गया ब्याज) या उसके एक निश्चित भाग की धनराशि, मंजूरी के समय ही, पुनर्वित्त के रूप में उपलब्ध कराने का वचन देता है। परियोजना संबंधी ऋण-जोखिम संबंधित बैंक का होगा, न कि आइडीएफसी का। बैंक आइडीएफसी को ऋण की राशि तथा उस पर देय ब्याज, निर्धारित शर्तों के अनुसार चुकाएगा। चूंकि बैंक के ऋण संबंधी जोखिम का उत्तरदायित्व आई डी एफ सी लेगी, इसलिए आइडीएफसी के विचार से बैंक को जितना जोखिम होगा, उसी के हिसाब से वह पुनर्वित्त की राशि पर ब्याज दर निश्चित करके तदनुसार ब्याज लेगी (अधिकांश मामलों में यह ब्याज दर आइडीएफसी की मूल उधार दर के आसपास ही होगी)। आइडीएफसी की पुनर्वित्त सहायता से खास तौर से बैंक लाभान्वित होंगे क्योंकि उनके पास परियोजनाओं के मूल्यांकन का अपेक्षित कौशल भी उपलब्ध है और परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने हेतु प्रारंभिक नकदी भी।

2.3.9 वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में बैंक गारंटी जारी करना

2.3.9.1 बैंक अन्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा ऋण देने वाली अन्य एजेंसियों द्वारा दिए गए ऋणों के लिए उनके पक्ष में गारंटी दे सकते हैं, परंतु इस संबंध में उन्हें निम्नलिखित शर्तों का कड़ाई से पालन करना पड़ेगा।

- (i) निदेशक मंडल को बैंक की जोखिम प्रबंध प्रणाली की सुस्वस्थता/सुदृढता को समझ लेना चाहिए और तदनुसार इस संबंध में एक सुव्यवस्थित नीति तैयार करनी चाहिए।

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति में अन्य बातों सहित निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए:

- क) बैंक की टीयर I की पूंजी से संबद्ध किस विवेकपूर्ण सीमा तक अन्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा ऋण देने वाली अन्य एजेंसियों के पक्ष में गारंटी निर्गत की जा सकती है।
- ख) प्रतिभूति और मार्जिनों का स्वरूप
- ग) अधिकारों का प्रत्यायोजन
- घ) रिपोर्टिंग प्रणाली
- ङ) आवधिक समीक्षाएं
- (ii) गारंटी केवल उधारकर्ता घटकों के संबंध में तथा उन्हें अन्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा ऋण देने वाली अन्य एजेंसियों से अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने के लिए उपलब्ध करायी जाएगी।
- (iii) गारंटी देने वाला बैंक गारंटीकृत ऋणसीमा के कम से कम 10 प्रतिशत के बराबर निधिक ऋणसीमा (एक्सपोजर) की जिम्मेवारी लेगा।
- (iv) बैंकों को विदेशी ऋणदाताओं के पक्ष में गारंटी या आश्वासन-पत्र (लेटर ऑफ कम्फर्ट) उपलब्ध नहीं कराना चाहिए। इसके अंतर्गत विदेशी ऋणदाताओं को समनुदेशित किए जाने वाली गारंटी या आश्वासन-पत्र शामिल माने जाएंगे परंतु ऐसा करते समय फेमा के अंतर्गत दी गई छूट प्रदान की जाएगी।
- (v) बैंक द्वारा निर्गत की गई गारंटी ऋण लेने वाली उस संस्था के पक्ष में ऋणसीमा मानी जाएगी जिसकी ओर से गारंटी निर्गत की गई है तथा उनके लिए प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसार जोखिम-भार भी लागू होगा।

- (vi) बैंकों को घोष समिति की सिफारिशों तथा गारंटी निर्गत करने से संबंधित अन्य अपेक्षाओं का पालन करना चाहिए ताकि इस संबंध में धोखाधड़ी की संभावनाओं से बचा जा सके।

2.3.9.2 ऋण देने वाले बैंक

अ. अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्गत गारंटियों के आधार पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने वाले बैंकों को निम्नलिखित शर्तों का कड़ाई से पालन करना चाहिए :

- (i) अन्य बैंक/वित्तीय संस्था की गारंटी के आधार पर कोई बैंक जिस ऋणसीमा की जिम्मेवारी लेगा उसे गारंटी देने वाले बैंक/वित्तीय संस्था की ऋण सीमा माना जाएगा तथा उसके लिए प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम-भार भी लागू होगा।
- (ii) अन्य बैंकों द्वारा निर्गत गारंटी के आधार पर ऋण सुविधा के रूप में कोई बैंक जिस ऋण सीमा की जिम्मेवारी लेगा उसकी गणना निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित अंतर-बैंक ऋण सीमा के अंतर्गत की जाएगी। चूंकि अन्य बैंक/वित्तीय संस्था की गारंटी के आधार पर कोई बैंक जिस ऋणसीमा की जिम्मेदारी लेगा उसकी अवधि मुद्रा बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार और प्रतिभूति बाजार में किए जाने वाले अंतर-बैंक लेनदेनों की जिम्मेवारियों की अवधि से लंबी होगी, इसलिए निदेशक मंडल को दीर्घावधिक ऋणों के मामले में एक उपयुक्त उप सीमा निश्चित कर देनी चाहिए क्योंकि ऐसे ऋणों के मामले में जोखिम अपेक्षाकृत ज्यादा होता है।
- (iii) बैंकों को चाहिए कि गारंटी देने वाले बैंक/वित्तीय संस्था पर जिस ऋणसीमा की जिम्मेवारी पड़ती है, उस पर वे अनवरत नजर रखें और यह सुनिश्चित करें कि बैंकों के लिए निदेशक मंडल द्वारा निश्चित की गई विवेकपूर्ण सीमाओं/उप सीमाओं का तथा वित्तीय संस्थाओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निश्चित की गई प्रति उधारकर्ता विवेकपूर्ण सीमाओं का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।
- (iv) बैंकों को घोष समिति की सिफारिशों तथा गारंटी स्वीकार करने से संबंधित अन्य अपेक्षाओं का पालन करना चाहिए ताकि इस संबंध में धोखाधड़ी की संभावनाओं से बचा जा सके।

आ. परंतु, निम्नलिखित मामलों में उक्त शर्तें लागू नहीं होंगी:

(क) मूलभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं के संबंध में, बैंक अन्य ऋणदाता संस्थाओं के पक्ष में गारंटी दे सकता है बशर्ते गारंटी देने वाला बैंक परियोजना की लागत के न्यूनतम 5 प्रतिशत के बराबर परियोजना का निधिक शेयर लेता है और परियोजना के संबंध में सामान्य ऋण मूल्यांकन, निगरानी और तत्संबंधी अनुवर्ती कार्य करता है।

(ख) विभिन्न विकास एजेन्सियों/बोर्डों, यथा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी, नैशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड आदि के पक्ष में ऐसी एजेन्सियों/बोर्डों से क्षमता, उत्पादकता, आदि में सुधार के उद्देश्य से सुलभ ऋण और/या अन्य रूप में विकास सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर गारंटियां जारी करना:

- बैंकों को ऋण मूल्यांकन के आधार पर तकनीकी साध्यता, वित्तीय अर्थक्षमता और अलग-अलग परियोजनाओं के बैंक सुविधायोग्य होने और/या ऋण प्रस्तावों के बारे में संतुष्ट हो लेना चाहिए अर्थात् ऐसे मूल्यांकन का मानदंड वही होना चाहिए जैसा कि मीयादी वित्त/ऋण की मंजूरी संबंधी ऋण प्रस्ताव के मामले में किया जाता है।
- बैंकों को अलग-अलग ऋणकर्ताओं/ऋणकर्ताओं के समूह के लिए समय-समय पर निर्धारित विवेकपूर्ण जोखिम (एक्सपोजर) मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए।
- ऐसी गारंटियां प्रदान करने के पहले बैंकों को अपनी उपयुक्त सुरक्षा कर लेनी चाहिए।

(ग) हूडको/राज्य आवास बोर्डों और उसी प्रकार के अन्य निकायों के पक्ष में उनके द्वारा ऐसे निजी ऋणकर्ताओं को, जो सम्पत्ति के लिए शुद्ध (क्लीन) या विपणनयोग्य हक देने में असमर्थ हों, स्वीकृत ऋणों के लिए गारंटी जारी करना, बशर्ते बैंक ऐसे ऋणों की पर्याप्त रूप से चुकौती किये जाने संबंधी ऋणकर्ताओं की क्षमता के बारे में अन्य प्रकार से संतुष्ट हों।

(घ) चलनिधि संबंधी अस्थायी बाध्यताओं के कारण पुनर्वास पैकेजों में भाग लेने में असमर्थ सहायता संघ के सदस्य बैंकों द्वारा ऋण-सीमा का अपना हिस्सा लेने वाले बैंकों के पक्ष में गारंटी जारी करना।

इ. बैंकों को आइडीबीआई, सिडबी, एक्विजम बैंक, पावर फाइनेन्स कार्पोरेशन अथवा किसी अन्य वित्तीय संस्था द्वारा शुरू की गयी, खरीदार की ऋण व्यवस्था योजनाओं के अंतर्गत सहस्वीकृति/गारंटी सुविधाएं तब तक मंजूर नहीं करनी चाहिए, जब तक उसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशिष्ट तौर पर अनुमति न दी गयी हो।

2.3.10 बैंकों द्वारा बिलों की भुनाई/पुनर्भुनाई

बैंक वास्तविक वाणिज्य/व्यापारी बिलों की खरीद/भुनाई/बेचान/पुनर्भुनाई करते समय निम्नलिखित दिशानिर्देशों का दृढ़ता से पालन करें:

- i) चूंकि ऋणकर्ताओं की कार्यशील पूंजी सीमाओं का अनुमान लगाने /मंजूर करने के लिए अपने स्वयं के दिशानिर्देश तय करने की बैंकों को पहले ही स्वतंत्रता दी जा

चुकी है, अतः वे ऋणकर्ताओं की ऋण आवश्यकताओं का उचित मूल्यांकन करने के बाद और अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ऋण नीति के अनुसरण में ऋणकर्ताओं को कार्यशील पूंजी और बिलों की सीमाएं मंजूर कर सकते हैं।

- ii) बैंकों को अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से बिल भुनाई की स्पष्ट नीति तय करनी चाहिए। यह नीति कार्यशील पूंजी सीमाएं मंजूर करने की उनकी नीति के अनुकूल होनी चाहिए। इस मामले में निदेशक मंडल के अनुमोदन की प्रक्रिया में बिल प्रस्तुत करने से लेकर उनकी वसूली तक के समय की मूलभूत परिचालन प्रक्रिया शामिल होनी चाहिए। बैंकों को अपनी मूलभूत परिचालन प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए और बिलों के वित्तपोषण से संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए। बिलों की वसूली में प्रायः होने वाले विलंब की समस्या की ओर ध्यान देने के लिए बैंकों को सुगठित वित्तीय संदेश प्रणाली (एसएफएमएस) जैसे उन्नत कंप्यूटर/संचार नेटवर्क का लाभ उठाना चाहिए और अपने ग्राहकों के खातों की 'वैल्यु डेटिंग' की प्रणाली अपनानी चाहिए।
- iii) बैंकों को अपने उन्हीं ऋणकर्ता ग्राहकों के वास्तविक वाणिज्य और व्यापारी लेनदेनों के संबंध में साखपत्र खोलने चाहिए और साखपत्रों के अंतर्गत बिलों की खरीद/भुनाई/बेचान करना चाहिए, जिन ग्राहकों को बैंकों द्वारा नियमित ऋण सुविधाएं मंजूर की गयी हों। इसलिए बैंकों को ग्राहकों से इतर ऋणकर्ताओं अथवा/और किसी सहायता संघ/बहुविध बैंकिंग व्यवस्था के सदस्य न होने वाले ग्राहकों को निधिक सुविधाएं (बिल वित्तपोषण सहित) अथवा साखपत्र खोलने, गारंटी और स्वीकृति देने जैसी गैर-निधिक सुविधाएं नहीं देनी चाहिए। तथापि, उन मामलों में जहां साख पत्र के अंतर्गत आहरित बिलों का बेचान कोई विशिष्ट बैंक तक प्रतिबंधित है और साख पत्र का हिताधिकारी उस बैंक का ग्राहक नहीं है, वहां बैंक ऐसे साख पत्र का बेचान कर सकता है लेकिन इस शर्त के अधीन कि प्राप्त राशि हिताधिकारी के नियमित बैंकर को विप्रेषित की जाएगी। तथापि, बैंक के ग्राहकों से अन्यो के अप्रतिबंधित साख पत्रों के बेचान से संबंधित प्रतिबंध लागू होना जारी रहेगा। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा सहकारी बैंकों के ग्राहकों को सहकारी बैंक की प्रति-गारंटी पर बैंक गारंटी (बी.जी)। साख पत्रा (एल जी) जारी किया जा सकता है। ऐसे मामलों में बैंक मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 2.3.9.2 के प्रावधानों के अंतर्गत दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करें। इसके अलावा, बैंकों को स्वयं इस बात की संतुष्टि कर लेनी चाहिए कि संबंधित सहकारी बैंक में ऋण-मूल्यांकन तथा निगरानी की मजबूत प्रणालियां तथा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) की भी मजबूत प्रणाली मौजूद है। सहकारी बैंकों के विशिष्ट ग्राहकों को बैंक गारंटी/साख पत्र जारी करने से पहले बैंक इस बात की संतुष्टि अनिवार्यतः कर लें कि इन मामलों में केवाईसी का समुचित रूप से पालन किया गया है।

- iv) कभी-कभी हो सकता है साखपत्र का हिताधिकारी बिलों की भुनाई साखपत्र जारीकर्ता बैंक में करना चाहे। ऐसे मामलों में बैंक हिताधिकारी के बिल तभी आहरित करे यदि बैंक ने हिताधिकारी को नियमित निधि आधारित ऋण सुविधाएं मंजूर की हैं। हिताधिकारी के बैंक के खाते में नकदी प्रवाह में कमी न आने पाए इस बात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से हिताधिकारी को उसी बैंक के द्वारा बिल भुनाई/बेचान करना चाहिए जिस बैंक से वह मंजूर की गयी ऋण सुविधाएं प्राप्त कर रहा हो।
- v) साखपत्र के अंतर्गत खरीदे/भुनाए/बेचान किए गए बिलों (जहां हिताधिकारी को "आरक्षित निधि के अंतर्गत "(अंडर रिजर्व) भुगतान नहीं किया जाता है) को साखपत्र जारी करने वाले बैंक पर एक्सपोजर माना जाएगा तथा उधारकर्ता पर नहीं। ऊपर उल्लिखित के अनुसार सभी स्पष्ट (क्लीन) बेचानों पर पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजनों के लिए अंतर-बैंक ऋण सीमाओं पर सामान्यतः लागू जोखिम भार लगाया जाएगा। "आरक्षित निधि के अंतर्गत" बेचानों के मामले में उधारकर्ता पर एक्सपोजर माना जाए और उसे तदनुसार जोखिम भार दिया जाए। तथापि उन मामलों में जहां बिल भुनाने/खरीदने /बेचान करने वाला बैंक तथा साख पत्र जारी करने वाला बैंक एक ही बैंक का हिस्सा है, अर्थात् जहां साख पत्र उसी बैंक के प्रधान कार्यालय अथवा किसी शाखा द्वारा जारी किया गया हो, वहाँ तृतीय पक्षकार/उधारकर्ता पर एक्सपोजर माना जाएगा और साख पत्र जारी करने वाले बैंक पर नहीं।
- vi) साखपत्रों के अंतर्गत अथवा अन्य प्रकार के बिलों की खरीद/भुनाई /बेचान करते समय बैंकों को निहित लेनदेनों /दस्तावेजों की वास्तविकता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए।
- vii) बैंकों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि साखपत्र के कोरे फार्म सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गये हैं, जैसा कि कोरे चेकों, मांग ड्राफ्ट आदि सुरक्षा मर्दों के मामले में होता है और उनका प्रतिदिन सत्यापन/तुलन किया जाना चाहिए। ग्राहकों को साखपत्र फार्म बैंक के प्राधिकृत अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जाने चाहिए।
- viii) खंड 'आश्रय के बिना' विनिमय बिल लिखने (आहरित करने) और 'आश्रय के बिना' वाक्यांश वाले साखपत्र जारी करने की प्रथा को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के उल्लेख बेचान करने वाले बैंक को आश्रय का वह अधिकार नहीं मिलता जो उसे परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत बिल लिखने वाले बैंक के विरुद्ध मिलता है। इसलिए बैंकों को 'आश्रय के बिना' वाक्यांश वाले साखपत्र नहीं खोलने चाहिए और न ही ऐसे बिलों की खरीद/भुनाई/बेचान करना

चाहिए। इसकी समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि बैंक अपने विवेकानुसार तथा साख पत्र जारी करनेवाले बैंक की ऋण-पात्रता के बारे में अपने मतानुसार 'आश्रय सहित' अथवा 'आश्रय के बिना' आधार पर साख पत्रों के अंतर्गत आहरित बिलों का बेचान कर सकते हैं। तथापि, अन्य बिलों (साख पत्र के अंतर्गत आहरित बिलों से अन्यतः आहरित बिल) की 'आश्रय के बिना' आधार पर खरीद/भुनाई पर प्रतिबंध लागू होना जारी रहेगा।

- ix) बैंकों को निभाव बिलों की खरीद/भुनाई/उनका बेचान नहीं करना चाहिए। निहित व्यापारिक लेनदेनों की स्पष्ट पहचान होनी चाहिए और बिल कारोबार करने वाली शाखाओं को उनका उचित रिकार्ड रखना चाहिए।
- x) बड़े औद्योगिक समूहों द्वारा स्थापित वित्तीय कंपनियों द्वारा समूह की अन्य कंपनियों पर लिखे गये बिलों की भुनाई करते समय बैंकों को सतर्क रहना चाहिए।
- xi) बिलों की पुनर्भुनाई अन्य बैंकों द्वारा धारित मीयादी बिलों तक ही सीमित रहनी चाहिए। बैंकों को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा पहले भुनाये जा चुके बिलों की पुनर्भुनाई नहीं करनी चाहिए, हल्के वाणिज्यिक वाहनों/दुपहिया/तिपहिया वाहनों की बिक्री से बने बिल अपवाद होंगे।
- xii) बैंक को सेवा क्षेत्र के बिलों की भुनाई करने में अपने वाणिज्यिक विवेक का इस्तेमाल करें। तथापि, ऐसे बिलों की भुनाई करते समय बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेवाएं वास्तव में प्रदान की गई हैं और निभाव बिलों की भुनाई नहीं की गई है। सेवा क्षेत्र के बिल पुनर्भुनाई के पात्र नहीं होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, सेवा क्षेत्र के बिलों की भुनाई पर वित्त प्रदान करना गैर-जमानती अग्रिम माना जाना चाहिए और इसलिए वह बेजमानती ऋण सीमा के लिए संबंधित बैंक के बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंडों के भीतर होने चाहिए।
- xiii) भुगतान अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए, जो किसी हद तक बिलों की स्वीकृति को बढ़ावा देगा, सभी कंपनियों तथा अन्य ग्राहक ऋणकर्ताओं, जिनका कुल कारोबार (पण्यावर्त) संबंधित बैंक के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित सीमा स्तर से अधिक हो, को बैंकों को प्रस्तुत अपनी आवधिक विवरणियों में अपनी अतिदेय भुगतान राशियों की 'काल अनुसूची' प्रकट करना अनिवार्य होना चाहिए।
- xiv) बैंकों को संपार्श्विक जमानत के रूप में भुनाये गये/पुनः भुनाये गये बिलों का उपयोग करके रिपो लेनदेन नहीं करने चाहिए।

2.3.11 बुलियन/अपरिष्कृत सोने की जमानत पर अग्रिम

(क) बैंकों को स्वर्ण/प्राथमिक स्वर्ण की जमानत पर कोई अग्रिम मंजूर नहीं करना चाहिए। तथापि, बैंकों द्वारा बेचे गए विशेष रूप से ढाले गए सोने के सिक्कों को "बुलियन" अथवा

"प्राथमिक स्वर्ण" नहीं माना जा सकता और इस प्रकार ऐसे सिक्कों की जमानत पर ऋण मंजूर करने वाले बैंक के प्रति कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। बैंक द्वारा मंजूर किए गए ऐसे ऋण बैंक के बोर्ड द्वारा बनाई गई नीति के अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं जिसका उल्लेख 22 नवंबर 1994 के हमारे परिपत्रा बैंपविवि. सं. बीसी. 138/21.01.023/94 में किया गया है। इसके अलावा सोने के सिक्कों की जमानत पर अग्रिम मंजूर करते समय बैंकों द्वारा अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। निधियों का अंत्य उपयोग ऐसे अनुमोदित प्रयोजनों के लिए किया जाता है जो सट्टेबाजी पर आधारित नहीं हैं।

(ख) बैंकों को चांदी बुलियन के व्यापारियों को अग्रिम देने से बचना चाहिए क्योंकि संभव है कि उसका उपयोग सट्टे के प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

2.3.12 सोने के आभूषणों तथा गहनों की जमानत पर अग्रिम

सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग करने से कंस्टेज, शुद्धता तथा परिष्कृतता के संबंध में आभूषणों में प्रयोग में लाए जाने वाले सोने की गुणवत्ता सुनिश्चित हो जाती है। अतएव, बैंकों के लिए ऐसे हॉलमार्क किए गए आभूषणों की जमानत पर अग्रिम प्रदान करना सुरक्षित तथा आसान होगा। हॉलमार्क किए गए आभूषणों को दी गई अधिमान्यता से हॉलमार्क करने की प्रथा को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है और ऐसा होना उपभोक्ता, उधारदाता तथा उद्योग के दीर्घावधि हित में होगा। अतएव गहनों की जमानत पर अग्रिम प्रदान करने पर विचार करते समय बैंकों को चाहिए कि वे हॉलमार्क किए गए आभूषणों के लाभों को ध्यान में रखें और उसपर मार्जिन तथा ब्याज दरें निर्धारित करें।

2.3.13 स्वर्ण (धातु) ऋण

2.3.13.1 स्वर्ण आयात करने के लिए नामित बैंक (अनुबंध 4 के अनुसार बैंकों की सूची) अनुदेशों के अनुसार उन घरेलू स्वर्ण भूषण निर्माताओं को स्वर्ण (धातु) ऋण दे सकते हैं जो स्वर्णाभूषणों के निर्माता नहीं हैं बशर्ते बैंकों द्वारा घरेलू स्वर्णाभूषण निर्माताओं को स्वर्ण ऋण देने के प्रयोजन से लिए गए किसी स्वर्ण उधार या अन्य गैर-निधिकृत प्रतिबद्धताओं को गैर-निर्यात प्रयोजनों के लिए सकल उधार के संबंध में संपूर्ण उच्चतम सीमा (वर्तमानम टियर 1 पूंजी का 50%) (कृपया 01 जुलाई 2010 का विदेशी मुद्रा विभाग का मास्टर परिपत्र सं. 14/2010-11 देखें) के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा। बैंकों द्वारा दिए गए स्वर्ण (धातु) ऋण पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

(i) स्वर्ण (धातु) ऋण जिसे आभूषणों के निर्यातक न होने वाले देशी आभूषण निर्माताओं को प्रदान करने की नामित बैंकों को अनुमति है, की अवधि नामित बैंकों द्वारा स्वयं निर्धारित की जाएगी बशर्ते वह अवधि 180 दिनों से अधिक नहीं हो और अवधि तथा स्वर्ण ऋण के अंतिम उपयोग की निगरानी से संबंधित बैंक की नीति बैंक की ऋण नीति में प्रलेखित होगी और बैंक उसका कड़ाई से पालन करेंगे। उपर्युक्त दिशानिर्देशों की प्राप्त

अनुभव के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा जाएगी और स्वर्ण ऋणों के अंतिम उपयोग की निगरानी के संबंध में बैंकों का कार्यनिष्पादन, स्वर्ण/चांदी का आयात करने के लिए प्राधिकार के वार्षिक नवीकरण के लिए उनके भावी अनुरोधों पर निर्णय लेने में एक महत्वपूर्ण तत्व होगा।

(ii) उधारकर्ताओं पर लगाये जानेवाले ब्याज को अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण ब्याज दर से संबद्ध किया जाना चाहिए।

(iii) स्वर्ण उधार सामान्य प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं के अधीन होंगे।

(iv) उक्त ऋण पूंजी पर्याप्तता तथा अन्य विवेकाधीन अपेक्षाओं के अधीन होंगे।

(v) बैंकों को चाहिए कि वे आभूषण निर्माताओं को दिये जानेवाले स्वर्ण ऋणों के अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करें तथा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करें।

(vi) स्वर्ण उधारों और दिये गये ऋणों के बीच उभरनेवाली बेमेल स्थिति नामित बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित विवकपूर्ण जोखिम सीमाओं के भीतर होनी चाहिए।

(vii) बैंकों को चाहिए कि वे स्वर्ण ऋण प्रदान करने के संबंध में समग्र जोखिमों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें और बोर्ड के अनुमोदन से विस्तृत उधार नीति निर्धारित करें।

2.3.13.2 वर्तमान में नामित बैंक उन आभूषण निर्यातकों को, जो अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ग्राहक हैं, उनके बैंकों द्वारा नामित बैंकों के पक्ष में जारी उद्यत साख पत्र अथवा बैंक गारंटी स्वीकार कर स्वर्ण (धातु) ऋण प्रदान कर सकते हैं जो प्राधिकृत बैंकों के उधार देने संबंधी अपने मानदंडों तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन हों। बैंक देशी आभूषण निर्माताओं को भी, निम्नलिखित शर्तों के अधीन उक्त सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

(i) उद्यत (स्टैंड-बाइ) साख-पत्र/बैंक गारंटी केवल देशी आभूषण निर्माताओं की ओर से प्रदान की जाएगी तथा यह हर समय इन संस्थाओं द्वारा उधार लिए गए स्वर्ण की मात्रा के पूरे मूल्य को कवर करेगी। उद्यत साख-पत्र/बैंक गारंटी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा केवल किसी नामित बैंक (सूची संलग्न) के पक्ष में ही दी जाएगी और ऐसी किसी अन्य संस्था को नहीं जिसके पास स्वर्ण का आयात करने के लिए अन्य प्रकार से अनुमति हो।

(ii) उद्यत साख-पत्र/बैंक गारंटी (केवल अंतर्देशीय साख-पत्र/बैंक गारंटी) जारी करनेवाले बैंक को चाहिए कि वह उचित ऋण-मूल्यांकन करने के बाद ही यह जारी करे। बैंक यह सुनिश्चित करे कि स्वर्ण के मूल्यों में होनेवाली घट-बढ़ के अनुरूप हर समय उसके पास पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध हो।

(iii) उद्यत साख-पत्र/बैंक गारंटी की सुविधा के मूल्य का अंकन भारतीय रुपयों में होगा, न कि विदेशी मुद्रा में।

(iv) नामित न किये गये बैंकों द्वारा जारी उद्यत साख-पत्र/बैंक गारंटी मौजूदा पूँजी पर्याप्तता और विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन होगी।

(v) उद्यत साख-पत्र/बैंक गारंटी जारी करनेवाले बैंकों को यह भी चाहिए कि ये सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में विद्यमान समग्र जोखिमों का सावधानीपूर्वक आकलन करें तथा अपने निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से एक विस्तृत ऋण नीति निर्धारित करें।

2.3.13.3 नामित बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन आभूषण निर्यातकों को स्वर्ण (धातु) ऋण प्रदान करना जारी रखें:

- किसी अन्य बैंक के उद्यत साख-पत्र/बैंक गारंटी के आधार पर स्वर्ण (धातु) ऋण प्रदान करनेवाले नामित बैंक द्वारा ग्रहण किए गए ऋणादि जोखिम को गारंटी देनेवाले बैंक पर ऋणादि जोखिम के रूप में माना जाएगा और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उसके लिए उचित जोखिम भारिता अपेक्षित होगी।
- लेनदेन पूर्णतया दोतरफा (बैंक टू बैंक) आधार पर होना चाहिए अर्थात् नामित बैंकों को चाहिए कि वे स्वर्ण (धातु) ऋण किसी नामित न किये गये बैंक के ग्राहक को नामित न किये गये बैंक द्वारा जारी उद्यत साख-पत्र/बैंक गारंटी के आधार पर सीधे प्रदान करें।
- स्वर्ण (धातु) ऋणों के साथ स्वर्ण के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के प्रति उधार लेनेवाली संस्था की किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष देयता संबद्ध नहीं होनी चाहिए।
- बैंक अपने ऋणादि जोखिम और विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन की गणना प्रतिदिन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित रुपया-डॉलर संदर्भ दर के साथ स्वर्ण/अमेरिकी डॉलर दर के लिए निर्धारित की जानेवाली लंदन एएम दर से क्रॉसिंग द्वारा स्वर्ण की मात्रा को रुपये में परिवर्तित करते हुए करें।

2.3.13.4 बुलियन की ज़मानत पर उधार देने के संबंध में मौजूदा नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बैंकों को चाहिए कि वे उद्यत साख पत्र/बैंक गारंटी देने तथा स्वर्ण (धातु) ऋण प्रदान करने में निहित समग्र जोखिमों की पहचान करें। बैंक इस संबंध में एक उचित जोखिम प्रबंध और उधार नीति निर्धारित कर तथा इस क्षेत्र में धोखाधड़ी की संभावना को दूर करने के लिए अन्य बैंकों की गारंटियां स्वीकार करने से संबंधित घोष समिति की सिफारिशों और अन्य आंतरिक अपेक्षाओं का पालन करें।

2.3.13.5 नामित बैंकों को किसी अन्य संस्था जिसमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/सहकारी बैंक/गैर-नामित बैंक शामिल है, के साथ स्वर्ण/स्वर्ण के सिक्के की खुदरा बिक्री के लिए किसी भी प्रकार का गठ-जोड़ करने की अनुमति नहीं है।

2.3.14 स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण तथा अग्रिम

स्थावर संपदा से संबंधित ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उधारकर्ताओं ने परियोजना के लिए जहां आवश्यक है वहां सरकार/स्थानीय सरकारों/अन्य सांविधिक प्राधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त की है। इस कारण से ऋण अनुमोदन प्रक्रिया में बाधा न आए इसलिए प्रस्तावों को सामान्य क्रम में मंजूर किया जा सकता है लेकिन उनका वितरण उधारकर्ता द्वारा सरकारी प्राधिकारियों से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही किया जाए।

2.3.15 माइक्रो तथा लघु उद्यमों को ऋण और अग्रिम

बैंकिंग प्रणाली से जिन माइक्रो तथा लघु उद्यम इकाइयों की कार्यशील पूंजी संबंधी ऋण सीमाएं 5 करोड़ रुपए तक हों, उन्हें उनके प्रक्षेपित वार्षिक पण्यावर्त (टर्नओवर) के 20 प्रतिशत के आधार पर कार्यशील पूंजी संबंधी वित्त प्रदान किया जाता है। बैंकों को सभी (नई तथा वर्तमान) माइक्रो तथा लघु उद्यम इकाइयों के संबंध में सरलीकृत प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

2.3.16 बैंक ऋण की सुपुर्दगी के लिए ऋण प्रणाली

(क) बैंकिंग प्रणाली से जिन ऋणकर्ताओं को 10 करोड़ रुपये या अधिक की कार्यशील पूंजी संबंधी ऋण सीमाएं प्रदान की गयी हैं, उनके ऋण घटक सामान्यतः 80 प्रतिशत होने चाहिए। परंतु, बैंक चाहे तो, नकद ऋण घटक को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर अथवा 'ऋण घटक' को 80 प्रतिशत से बढ़ाकर, कार्यशील पूंजी के संघटन में आवश्यकतानुसार परिवर्तन ला सकते हैं। बैंक से यह आशा की जाती है कि वे कार्यशील पूंजी वित्त को दोनों घटकों का मूल्यांकन उचित प्रकार से करें। परंतु, इसके लिए उन्हें ऐसे निर्णयों के कारण नकद और चलनिधि प्रबंधन पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखना होगा।

(ख) 10 करोड़ से कम राशि की कार्यशील पूंजी प्राप्त करने वाले ऋणकर्ताओं के संबंध में, बैंक ऋणकर्ताओं को नकदी ऋण घटक की तुलना में ऋण घटक के लिए कम ब्याज दर का प्रस्ताव देकर उन्हें 'ऋण पद्धति' को स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इन मामलों में 'ऋण घटक' का वास्तविक प्रतिशत बैंक और ऋणकर्ता आपस में तय कर सकते हैं।

(ग) कतिपय वाणिज्यिक कार्यकलापों में, जो आवर्ती प्रकार के तथा मौसम पर आधारित होते हैं अथवा जिनमें काफी अस्थिरता रहती है, ऋण प्रणाली को कड़ाई से पालन करने पर ऋणकर्ताओं को असुविधा हो सकती है। बैंक, अपने बोर्ड के अनुमोदन से कारोबार के ऐसे कार्यकलापों की पहचान कर सकते हैं, जिन्हें कर्ज प्रदान की ऋण प्रणाली से छूट दी जा सकती है।

2.3.17 संघीय व्यवस्था/बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत उधार

ऋण सुपुर्दगी प्रणाली में लचीलापन लाने तथा ऋण का सुचारु प्रवाह सुनिश्चित करने की दृष्टि से संघीय/बहु बैंकिंग/सिंडिकेट व्यवस्थाओं के संचालन से संबंधित विभिन्न विनियामक अपेक्षाओं को भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द कर दिया। तथापि, हाल ही में संघीय/बहु बैंकिंग व्यवस्थाओं के संबंध में हुई धोखाधड़ियों के परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय सतर्कता आयोग, भारत सरकार ने बैंकिंग प्रणाली में संघीय उधार तथा बहु बैंकिंग व्यवस्थाओं की क्रियाविधि पर चिंता व्यक्त की है। आयोग ने कहा है कि ये धोखाधड़ी की घटनाएं मुख्यतः विभिन्न बैंकों के बीच उधारकर्ताओं के ऋण चुकाने संबंधी पूर्व वृत्त तथा खाते के संचालन संबंधी जानकारी के प्रभावी आदान-प्रदान के अभाव के कारण हुई हैं।

इस मामले की भारतीय बैंक संघ के साथ विचार-विमर्श करके जांच की गई है और उनकी यह राय है कि एक बैंक से अधिक बैंकों से ऋण सुविधाओं का लाभ उठानेवाले उधारकर्ताओं के स्तर की जानकारी का बैंकों के बीच आदान-प्रदान/प्रचार-प्रसार को सुधारने की आवश्यकता है। तदनुसार 8 दिसंबर 2008 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 94/08.12.001/2008-09 के अनुसार बहु बैंकों से ऋण सुविधाएं लेनेवाले उधारकर्ताओं के बारे में जानकारी का बैंक-अप निम्नानुसार सुदृढ़ बनाने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित किया जाता है:

(i) नई सुविधाएं देने के समय, बैंकों को उधारकर्ताओं से उनके द्वारा पहले से ही अन्य बैंकों से ली गई ऋण सुविधाओं के बारे में अनुबंध 6 में दिए गए अनुसार निर्धारित फॉर्मेट में घोषणा पत्र प्राप्त करना चाहिए। मौजूदा उदारदाताओं के मामले में सभी बैंकों को 5.00 करोड़ रुपये तथा उससे अधिक की स्वीकृत सीमाओं का लाभ उठानेवाले उनके मौजूदा उधारकर्ताओं अथवा जहां भी उन्हें यह ज्ञात है कि उनके उधारकर्ता अन्य बैंकों से ऋण सुविधाएं ले रहे, उन उधारकर्ताओं से घोषणा पत्र प्राप्त करना चाहिए और उपर्युक्त निर्दिष्ट किए गए अनुसार अन्य बैंकों के साथ जानकारी के आदान-प्रदान की प्रणाली प्रारंभ करनी चाहिए।

(ii) उसके बाद बैंकों को अनुबंध 6 में दिए गए फॉर्मेट में कम-से-कम तिमाही अंतरालों पर अन्य बैंकों के साथ उधारकर्ताओं के खातों के संचालन के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान करना चाहिए।

(iii) अनुबंध 6 में दिए गए नमूना पत्र के अनुसार वर्तमान में प्रचलित विभिन्न सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन के संबंध में किसी व्यावसायिक अधिमानतः कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड एकाउंटेंट अथवा कॉस्ट एकाउंटेंट से नियमित प्रमाणन प्राप्त करना चाहिए।

(iv) बैंक जिसका सदस्य है और जिसने भारतीय रिजर्व बैंक से प्रमाणपत्र अथवा पंजीकरण प्राप्त किया है ऐसी ऋण आसूचना कंपनी में उपलब्ध ऋण संबंधी रिपोर्टों का अधिक उपयोग करना चाहिए।

(v) बैंकों को भविष्य में (मौजूदा सुविधाओं के मामले में अगले नवीकरण के समय) ऋण करार करते समय उनमें ऋण संबंधी जानकारी के आदान-प्रदान के बारे में उपयुक्त खंड शामिल करने चाहिए ताकि गोपनीयता के मामलों की समस्या से बचा जा सके।

2.3.18 सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर उद्योग को कार्यशील पूंजी संबंधी वित्त

‘सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर विकास पर राष्ट्रीय कार्य दल’ की सिफारिशों के अनुसरण में रिज़र्व बैंक ने उक्त उद्योग को कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किये हैं। तथापि, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक को मामला प्रेषित किये बिना अपने अनुभव के आधार पर दिशानिर्देशों के प्रयोजन की अक्षरशः प्राप्ति के लिए उनमें आशोधन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इन दिशानिर्देशों की प्रमुख विशेषताएं नीचे दी जा रही हैं:

(i) बैंक प्रवर्तक के पिछले रिकार्ड समूह की संबद्धता, प्रबंधन दल की संरचना तथा कार्य संबंधी उनके अनुभव एवं मूलभूत सुविधा के आधार पर कार्यशील पूंजी संबंधी ऋण सीमाएं स्वीकृत करने पर विचार कर सकते हैं।

(ii) 2 करोड़ रुपए तक की कार्यशील पूंजी संबंधी ऋण सीमाओं वाले ऋणकर्ताओं के मामले में प्रक्षेपित पण्यवर्त के 20 प्रतिशत पर आकलन किया जाये। तथापि अन्य मामलों में बैंक मासिक नकद बजट प्रणाली के आधार पर अधिकतम अनुमत बैंक वित्त (एम पी बी एफ) के आकलन पर विचार कर सकते हैं। जिन ऋणकर्ताओं को बैंकिंग प्रणाली से 10 करोड़ रुपए और अधिक की कार्यशील पूंजी संबंधी ऋण सीमाएं प्राप्त हैं उन पर ऋण प्रणाली संबंधी दिशानिर्देश लागू होंगे।

(iii) बैंक मार्जिन के प्रति प्रवर्तकों के अंशदान के रूप में उचित राशि निर्धारित कर सकते हैं।

(iv) जहां कहीं उपलब्ध हो, बैंक संपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त करें। चालू आस्तियों पर पहला/दूसरा प्रभार, यदि उपलब्ध हो, प्राप्त किया जाये।

(v) सामान्य श्रेणी के ऋणकर्ताओं के लिए यथानिर्धारित ब्याज दर लगायी जाये। पोटलदानपूर्व/पोतलदानोत्तर ऋण पर यथा प्रयोज्य रियायती ब्याज दर लगायी जाये।

(vi) ऐसे अग्रिमों के लिए बैंक तयशुदा (टेलर मेड) अनुवर्ती प्रणाली तैयार करें। बैंक परिचालनों पर निगरानी रखने के लिए नकदी प्रवाहों के तिमाही विवरण प्राप्त करें। यदि नकदी बजटों के आधार पर स्वीकृति न दी गयी हो, तो वे स्वयं उपयुक्त समझी गयी रिपोर्टिंग प्रणाली तैयार कर सकते हैं।

2.3.19 भारत सरकार के सरकारी क्षेत्र उपक्रम संबंधी विनिवेशों के लिए बैंक वित्त हेतु दिशानिर्देश

2.3.19.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के 28 अगस्त 1998 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी.90/13.07.05/98 द्वारा बैंकों को यह अनुदेश जारी किया था कि कंपनी की ईक्विटी पूंजी के लिए प्रवर्तकों का अंशदान उनके ही स्रोतों से आना चाहिए और बैंक को सामान्यतः अन्य कंपनियों के शेयर लेने के लिए अग्रिम स्वीकृत नहीं करना चाहिए। बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि शेयरों पर अग्रिमों का उपयोग उधारकर्ता द्वारा कंपनी/कंपनियों में नियंत्रक का अधिकार प्राप्त करने या बनाये रखने के लिए अथवा अंतर-कंपनी निवेश को सुसाध्य बनाने या बनाये रखने के लिए नहीं किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त 1998 के परिपत्र के अनुदेश भारत सरकार के सरकारी क्षेत्र उपक्रम विनिवेश कार्यक्रम के अंतर्गत सफल बोली लगाने वालों को बैंक वित्त के मामले में लागू नहीं होंगे बशर्तः

- सरकारी क्षेत्र उपक्रम विनिवेश कार्यक्रम में सफल बोली लगाने वालों के वित्तपोषण के लिए बैंक का प्रस्ताव उनके निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित हो।
- बैंक वित्त भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विनिवेश कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के शेयरों के अर्जन के लिए होना चाहिए जिसमें द्वितीयक स्तरीय अधिदेशात्मक खुला प्रस्ताव हो, जहां लागू हो, न कि सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के शेयरों के परवर्ती अर्जन के लिए होना चाहिए। बैंक वित्त सिर्फ भारत सरकार द्वारा भावी विनिवेश के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- प्रवर्तक सहित उन कंपनियों के पास जिन्हें बैंक वित्त दिया जाना है, पर्याप्त निवल राशि और बैंकिंग प्रणाली से लिये गये सेवा ऋणों का बेहतर पिछला कार्यनिष्पादन रिकार्ड होना चाहिए।
- इस प्रकार दिये गये बैंक वित्त की राशि उस बैंक के आकार, उसकी निवल संपत्ति और कारोबार तथा जोखिम प्रोफाइल के अनुसार होनी चाहिए।

2.3.19.2 यदि सरकारी क्षेत्र उपक्रम विनिवेश पर अग्रिम विनिवेशित सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के शेयरों या किन्हीं अन्य शेयरों की जमानत पर हो तो बैंकों को चाहिए कि वे मार्जिन पर पूंजी बाज़ार लेनदेनों, पूंजी बाज़ार के समग्र लेनदेन पर उच्चतम सीमा, जोखिम प्रबंध और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति द्वारा चौकसी एवं निगरानी, मूल्यांकन और प्रकटीकरण इत्यादि के बारे में हमारे मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन करें। बैंक इस संबंध में ऋण आदि जोखिम (एक्सपोजर) संबंधी मानदंड पर 2 जुलाई 2012 का मास्टर परिपत्र देखें।

2.3.19.3 शेयरों के लिए अवरुद्धता अवधि की शर्त

- i) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम विनिवेश कार्यक्रम में भाग लेने वाले ऋणकर्ताओं को वित्त प्रदान करने का निर्णय करते समय बैंकों को ऐसे ऋणकर्ताओं को एक करार निष्पादित करने के लिए कहना चाहिए, जिसके द्वारा वे यह वचन दें कि:
- (क) अवरुद्धता अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रम विनिवेश कार्यक्रम के अंतर्गत अर्जित शेयरों के निपटान के लिए सरकार से छूट प्राप्त करने का पत्र प्रस्तुत करेंगे, या
- (ख) ऋणकर्ता द्वारा मार्जिन संबंधी अपेक्षा में कमी या चूक के मामले में अवरुद्धता अवधि के दौरान शेयरों को बेचने की गिरवीदार को सरकार द्वारा अनुमति सहित प्रलेखन में एक विशिष्ट उपबंध शामिल करेंगे।
- ii) बैंक सफल बोलीदाता को वित्त प्रदान कर सकते हैं, भले ही सफल बोलीदाता द्वारा विनिवेश कंपनी अर्जित किये जाने वाले शेयर अवरुद्धता अवधि/अन्य ऐसी प्रतिबंधात्मक शर्तों के अधीन हों जो उनकी चलनिधि को प्रभावित करती है, परंतु इस संबंध में निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाना चाहिए:
- (क) भारत सरकार और सफल बोलीदाता के बीच तैयार होनेवाले प्रलेख में ऐसा विशिष्ट प्रावधान होना चाहिए, जिससे अपेक्षित मार्जिन में कमी या ऋणकर्ता द्वारा चूक होने की स्थिति में बंधकग्राही को शेयरों के समापन की अनुमति अवरुद्धता अवधि, जिसका निर्धारण इस तरह के विनिवेशों के संबंध में किया गया हो, में भी हो।
- (ख) यदि प्रलेखन में इस तरह का विशिष्ट प्रावधान न हो तो सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के विनिवेश कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त किये गये शेयरों की अवरुद्धता अवधि में बिक्री के लिए ऋणकर्ता (सफल बोलीदाता) को चाहिए कि वह सरकार से छूट (वेवर) प्राप्त करे।

2.3.19.4 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश कार्यक्रम के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार बंधकग्राही बैंक को अवरुद्धता अवधि के पहले वर्ष में बंधक लागू करने की अनुमति नहीं होगी। यदि अतिरिक्त जमानत के द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित मार्जिन रखने में ऋणकर्ता असमर्थ रहे अथवा बैंक और ऋणकर्ता के बीच सहमति से तय किये गये चुकौती कार्यक्रम के अनुसार अदायगी न की जाये तो अवरुद्धता अवधि के दूसरे और तीसरे वर्ष में बंधक लागू करने का बैंक को अधिकार होगा। अवरुद्धता अवधि के दूसरे और तीसरे वर्ष में बंधक लागू करने का बंधकग्राही बैंक का अधिकार सरकार और सफल बोलीदाता के बीच तैयार हुए प्रलेखों के नियमों और शर्तों के अधीन होगा, जिसमें बंधकग्राही बैंक की भी कुछ जिम्मेदारी हो सकती है।

2.3.19.5 यह स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित बैंक को ऋण के संबंध में सटीक मूल्यांकन करते हुए ऋणकर्ता की उधार पात्रता और प्रस्ताव की वित्तीय व्यवहार्यता के संबंध में उचित सावधानी बरतनी चाहिए। बैंक को इस बारे में भी अवश्य संतुष्ट हो लेना चाहिए कि बैंक के पास गिरवी रखे जाने वाले शेयरों के निपटान के संबंध में तैयार किया जाने वाला प्रस्तावित प्रलेख बैंक को पूर्णतः स्वीकार्य हो और इसके कारण बैंक को कोई अवांछित जोखिम उत्पन्न नहीं होता हो।

2.3.19.6 औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग के 8 जनवरी 2001 के परिपत्र सं.10/08.12.01/2000-2001 के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अन्य कंपनियों में निवेशों और अंतर-कंपनी ऋणों /अन्य कंपनियों में जमाराशियों का वित्तपोषण करने से बैंकों को प्रतिबंधित किया है। इस स्थिति की समीक्षा की गयी है और बैंकों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले विशेष प्रयोजन साधनों (SPVs) को निवेश कंपनियां नहीं माना जायेगा और इसलिए उन्हें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां नहीं माना जायेगा:

- क. वे धारक कंपनियों, विशेष प्रयोजन साधनों आदि के रूप में कार्य करती हों और उनकी कुल आस्तियों का कम से कम 90 प्रतिशत स्वामित्व के दावे के प्रयोजन के लिए धारित प्रतिभूतियों में निवेश के रूप में हो,
- ख. वे ब्लॉक बिक्री के सिवाय इन प्रतिभूतियों का व्यापार नहीं करतीं,
- ग. वे कोई अन्य वित्तीय कार्यकलाप न करती हों; और
- घ. वे जनता की जमाराशियां धारित/स्वीकार न करती हों।

2.3.19.7 जो विशेष प्रयोजन साधन उपर्युक्त शर्तों को पूरा करेंगे वे भारत सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश कार्यक्रम के लिए बैंक वित्त के पात्र होंगे।

2.3.19.8 इस संदर्भ में यह उल्लेख किया जा सकता है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), निवेश प्रभाग ने यूरो निर्गम के बारे में दिशानिर्देश संबंधी 8 जुलाई 2002 के प्रेस नोट द्वारा एडीआर/जीडीआर/ईसीबी से प्राप्त राशि को भारत सरकार के विनिवेश कार्यक्रमों, जिनमें परवर्ती खुला प्रस्ताव भी शामिल है, के वित्तपोषण के लिए उपयोग करने वाली एक भारतीय कंपनी को अनुमति दी है। अतः सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश कार्यक्रम में सफल बोली लगाने वालों को वित्त प्रदान करने हेतु बैंक ऐसे एडीआर/जीडीआर/ईसीबी निर्गमों से प्राप्त राशि को हिसाब में ले सकते हैं।

2.3.20 किसान विकास पत्र लेने के लिए ऋण प्रदान करना

- (i) ऐसे कुछ मामले जानकारी में आए हैं जहां बैंकों ने व्यक्तियों (ज्यादातर उच्च निवल मालियत वाले व्यक्ति-एचएनआइ) को किसान विकास पत्र लेने के लिए ऋण मंजूर किए हैं।

उच्च निवल मालियत वाले व्यक्तियों को पहले किसान विकास पत्र में प्रस्तावित निवेश के कुल अंकित मूल्य की 10 प्रतिशत राशि मार्जिन के रूप में लानी थी और निवेश के शेष 90 प्रतिशत को ऋण समझा जाता था और बैंक किसान विकास पत्र लेने के लिए उसका निधीयन करता था। एक बार उधारकर्ता के नाम पर किसान विकास पत्र ले लिये जाने पर, उन्हीं को बाद में बैंक के पास गिरवी रखा जाता था।

(ii) ऊपर दिए गए अनुसार की गयी ऋणों की मंजूरी अल्प बचत योजनाओं के लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है। अल्प बचत योजनाओं का मूल उद्देश्य है अल्प बचतकर्ताओं को बचत के लिए एक सुरक्षित माध्यम प्रदान करना तथा बचत को प्रोत्साहन देना तथा लोगों में बचत करने की आदत डालना। किसान विकास पत्रों के अर्जन/में निवेश के लिए ऋण प्रदान करने से नयी बचत को बढ़ावा नहीं मिलता है और इसके विपरीत बैंक जमाराशियों के रूप में विद्यमान बचत राशियों को अल्प बचत लिखतों के रूप में परिवर्तित करता है और उससे ऐसी योजनाओं का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। अतः बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि किसान विकास पत्रों सहित लघु बचत योजनाओं में निवेश के लिए ऋण मंजूर नहीं किए जाते।

2.3.21 7 प्रतिशत बचत बॉण्ड 2002, 6.5 प्रतिशत बचत बॉण्ड 2003 (जिन पर कर नहीं लगेगा) तथा 8 प्रतिशत (कर योग्य) बॉण्ड 2003 - संपार्श्विक सुविधा

भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अनुसूचित बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत जारी बॉण्ड को गिरवी रखने अथवा दृष्टिबंधक में रखने अथवा उसका धारणाधिकार देने की अनुमति दी जाए। तदनुसार, उक्त बॉण्डधारक सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (जी एस एक्ट) की धारा 28 तथा सरकारी प्रतिभूति विनियमावली, 2007 (जी. एस. रेग्यूलेशन) के विनियम 21 और 22 के अनुसरण में अनुसूचित बैंकों के पक्ष में गिरवी अथवा दृष्टिबंधक अथवा धारणाधिकार देने के लिए पात्र होंगे। भारत सरकार द्वारा जारी की गयी प्रत्येक संशोधनकारी अधिसूचना संख्याओं/क्रमांकों के 7 प्रतिशत बचत बॉण्डों के लिए 19 अगस्त 2008 की सं. एफ. 4(13)-डब्ल्यू & एम/2002, 6.5 प्रतिशत बचत बॉण्डों (जिन पर कर नहीं लगेगा) के लिए 19 अगस्त 2008 की सं. एफ.4(9)-डब्ल्यू & एम/2003 तथा 8 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बॉण्डों के लिए 19 अगस्त 2008 की सं. एफ.4(10)-डब्ल्यू & एम/2003 की प्रतिलिपि 24 अक्टूबर 2008 के भारिबैं परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 66/13.03.00/2008-09 से संलग्न। उपर्युक्त संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में बैंकों को सूचित किया जाता है कि जी एस अधिनियम की धारा 28 तथा जीएस विनियमावली के विनियमन 21 और 22 में निर्धारित की गई क्रियाविधि के अनुसार गिरवी अथवा दृष्टिबंधक अथवा धारणाधिकार के माध्यम से संपार्श्विक सुविधा प्रदान करें। भारत सरकार द्वारा जारी संबंधित प्रेस प्रकाशनी तथा फॉर्म के साथ अधिनियम/विनियमावली के संबंधित उद्धरण भी त्वरित संदर्भ के लिए उपर्युक्त परिपत्र

से संलग्न हैं। यह नोट किया जाए कि संपार्श्विक सुविधा के बॉण्ड धारकों को प्रदान किए गए ऋणों के लिए उपलब्ध है और यह सुविधा अन्य पार्टी को प्रदान किए गए ऋणों के लिए उपलब्ध नहीं है।

2.3.22 अनर्जक परिसंपत्तियों के समझौता निपटान संबंधी दिशानिर्देश -

न्यायालय से सहमति आदेश (कन्सैंट डिक्री) प्राप्त करना

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, एरणाकुलम ने एक मामले में यह टिप्पणी की है कि यद्यपि बैंक और प्रतिवादी उधारकर्ताओं ने समझौता निपटान योजना के तहत समझौता किया था, तथापि संबंधित बैंक ने न केवल ऋण वसूली न्यायाधिकरण से सहमति आदेश नहीं प्राप्त किया था, बल्कि ढाई वर्ष से अधिक अवधि तक उन्होंने समझौता निपटान का तथ्य ऋण वसूली न्यायाधिकरण से छुपा रखा था। इस प्रकार उन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक के उक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया था और अनावश्यक रूप से न्यायाधिकरण का अमूल्य समय नष्ट किया था। अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे यह अनिवार्यतः सुनिश्चित करें कि किसी मामले को न्यायालय/ऋण वसूली न्यायाधिकरण/औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष दर्ज करने के बाद उधारकर्ता के साथ जो भी समझौता निपटान किया जाता है, वह संबंधित न्यायालय/ऋण वसूली न्यायाधिकरण /औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड से सहमति आदेश की प्राप्ति के अधीन है।

2.3.23 बैंकों का परियोजना वित्त संविभाग

2.3.23.1 परियोजनाओं के वित्तपोषण के समय प्रवर्तक की ईक्विटी के स्तर को निर्धारित करने के लिए बैंक साधारणतः निम्नलिखित में से एक पद्धति अपनाते हैं।

- 1) प्रवर्तक अपना संपूर्ण अंशदान बैंक द्वारा अपनी प्रतिबद्धता का वितरण आरंभ करने से पहले दे देते हैं।
- 2) प्रवर्तक अपनी ईक्विटी का कुछ प्रतिशत (40 प्रतिशत-50 प्रतिशत) पहले देते हैं और शेष चरणबद्ध रूप से दिया जाता है।
- 3) प्रवर्तक प्रारंभ से ही इस बात के लिए सहमत होते हैं कि वे बैंकों द्वारा ऋण के हिस्से के वित्तपोषण के अनुपात में ईक्विटी निधि लाएंगे।

2.3.23.2 यद्यपि यह अच्छी बात है कि ऐसे निर्णय संबंधित बैंकों के बोर्डों द्वारा लिये जाने हैं, तथापि यह पाया गया है कि अंतिम विधि में ईक्विटी निधीयन का जोखिम अधिक है। इस जोखिम को नियंत्रित रखने के लिए, बैंकों को उन्हीं के हित में यह सूचित किया जाता है कि वे ऋण ईक्विटी अनुपात (डीईआर) के संबंध में स्पष्ट नीति अपनाएं तथा यह सुनिश्चित करें कि प्रवर्तकों द्वारा ईक्विटी/निधियों की वृद्धि इस प्रकार होनी चाहिए जिससे डीईआर का

निर्धारित स्तर सभी समय बना रहे। इसके अलावा वे क्रमवार निधीयन अपना सकते हैं ताकि बैंकों द्वारा ईक्विटी के निधीयन की संभावना से बचा जा सके।

2.3.24 सरकार से प्राप्य राशियों की जमानत पर पूरक ऋण

बैंकों को सहायता राशियों, धन वापसी, प्रतिपूर्ति, पूंजीगत अंशदान आदि के माध्यम से केंद्र/राज्य सरकारों से प्राप्य राशियों की जमानत पर पूरक ऋण नहीं देने चाहिए। तथापि, निम्नलिखित के मामले में छूट दी गई है:

क.) बैंक उर्वरक उद्योग के मामले में 60 दिन तक की अवधि के लिए सामान्य प्रतिधारण मूल्य योजना (आरपीएस) के अंतर्गत प्राप्य सहायता राशि को वित्त देना जारी रख सकते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस सुविधा के लिए एक पूर्णतः अस्थायी उपाय के रूप में अनुमति दी गई है और उर्वरक कंपनियों को धीरे-धीरे अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करनी चाहिए ताकि वे सहायता राशि की जमानत पर वित्त पाने के लिए बैंकों पर निर्भर न रहें। कोई भी अन्य प्राप्य सहायता राशियों जैसे निविष्टियों की लागत तथा माल भाड़े के संबंध में हुई वृद्धि के कारण प्रतिधारण मूल्य में प्रत्याशित संशोधन के आधार पर इकाइयों द्वारा किए गए दावों के संबंध में प्राप्य सहायता राशि का बैंकों द्वारा वित्तपोषण नहीं करना चाहिए।

ख.) बैंक मौजूदा अनुदेशों द्वारा कवर की गई सीमा तक निर्यातकों (अर्थात् शुल्क वापसी तथा आइपीआरएस) द्वारा सरकार से प्राप्य राशियों की जमानत पर वित्त देना जारी रख सकते हैं।

2.4 उधार खातों का एक बैंक से दूसरे बैंक में अंतरण

हाल में भारतीय रिजर्व बैंक को इस संदर्भ में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि अंतरण के बाद प्राप्त उधार खातों की सुदृढता से संबन्धित अति-महत्वपूर्ण जानकारी अंतरणकर्ता बैंक द्वारा अंतरिती बैंक के साथ साझा नहीं की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप खाते स्वीकार करते समय पर्याप्त सावधानी नहीं बरती जा रही है। अतः, बैंकों को सूचित किया जाता है कि:

क) बैंकों को दूसरे बैंको से खाता स्वीकार करने/अर्जित करने के संबंध में बोर्ड से अनुमोदित की गई एक नीति तैयार करनी चाहिए। इस नीति में अर्जन योग्य खातों की प्रकृति, अर्जन की मंजूरी हेतु प्राधिकार के स्तरों, अर्जन की उच्च अधिकारियों को रिपोर्टिंग, अर्जित खातों की निगरानी प्रणाली, अर्जित खातों की ऋण लेखा परीक्षा, विशेषतः अधिग्रहण के पश्चात खातों के शीघ्र अर्नजक हो जाने वाले मामलों में कर्मचारियों की जवाबदेही, अर्जित खातों की बोर्ड / बोर्ड समिति स्तर, शीर्ष प्रबंधन स्तर पर आवधिक समीक्षा इत्यादि से संबंधित मानदंडों को सम्मिलित किया जा सकता है।

ख) इसके अलावा, खातों के अर्जन से पहले, "सहायता संघीय व्यवस्था/बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत उधार देने" पर दिनांक 8 दिसम्बर 2008 के भारतीय रिजर्व बैंक के

परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.94/ 08.12.001/2008-09 के अनुबंध II में निर्धारित फार्मेट के अनुसार अंतरिती बैंक को अंतरणकर्ता बैंक से आवश्यक साख सूचना प्राप्त करनी चाहिए। इससे अंतरणकर्ता बैंक के उधार खाते में यदि कोई अनियमितता हो तो उस के बारे में अंतरिती बैंक को पूरी जानकारी मिलेगी। अंतरिती बैंक से अनुरोध प्राप्त होने पर अंतरणकर्ता बैंक को यथाशीघ्र निर्धारित फार्मेट में आवश्यक साख सूचना देनी चाहिए।

2.5 ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता संबंधी दिशानिर्देश

2.5.1 भारत सरकार द्वारा गठित ऋणदाता देयता विधि संबंधी कार्य-दल की सिफारिशों के आधार पर ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता लागू करने की व्यवहार्यता की जांच भारत सरकार, चुने हुए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के परामर्श से की गयी है। इस बीच दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है और सभी बैंकों/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित व्यापक दिशानिर्देश अपनायें तथा अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से उचित व्यवहार संहिता तैयार करें।

2.5.2 दिशानिर्देश

(i) ऋण के लिए आवेदन पत्र और उन पर कार्रवाई

(क) सभी श्रेणी के ऋणों के संबंध में ऋण के लिए आवेदन पत्र विस्तृत होने चाहिए भले ही उधारकर्ता द्वारा आवेदन किए गए ऋण की राशि कुछ भी हो। ईमानदारी तथा पारदर्शिता लाने की दृष्टि से बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे उधारकर्ता को ऋण आवेदन पत्र पर कार्रवाई करने के लिए देय शुल्क/प्रभारों, ऋण स्वीकृत/संवितरित न होने पर लौटाए जाने वाले शुल्क की राशि, पूर्व-भुगतान विकल्पों तथा प्रभारों, यदि कोई, चुकौती में विलंब के लिए अर्थदंड, यदि कोई, ऋण को निर्धारित से अस्थिर या अस्थिर से निर्धारित दरों में अदला-बदली के लिए संपरिवर्तन प्रभार, ब्याज पुनर्निर्धारण संबंधी किसी खंड की मौजूदगी अथवा अन्य किसी मामले के बारे में सभी सूचनाएं प्रकट करें जिससे उधारकर्ता का हित प्रभावित होता हो। सभी श्रेणियों के ऋण उत्पादों के संबंध में इस प्रकार की सूचनाएं बैंकों की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जानी चाहिए।

यह बात हमारी जानकारी में आई है कि कुछ बैंक प्रोसेसिंग शुल्क के अतिरिक्त कुछ प्रभार लगाते हैं जिनके बारे में प्रारंभ में उधारकर्ता से कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है। यह उल्लेख किया जाता है कि उधारकर्ता को बिना प्रकटीकरण किए बाद में इस प्रकार के प्रभार लगाना अनुचित प्रथा है।

बैंकों/वित्तीय संस्था को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन पत्र की प्रोसेसिंग के लिए प्रभार/शुल्क से संबंधित सभी सूचनाएं अनिवार्यतः आवेदन पत्रों में प्रकट की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, बैंकों को अपने ग्राहकों को 'समग्र लागत' की सूचना अनिवार्य रूप से देनी चाहिए

ताकि वह वित्त के अन्य स्रोतों के साथ दरों/प्रभारों की तुलना कर सके। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये दरें/शुल्क भेदभाव रहित हैं।

(ख) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सभी ऋण आवेदनपत्रों की पावती देने की प्रणाली बनानी चाहिए। इस तरह की पावती में यह भी जानकारी होनी चाहिए कि 2 लाख रुपये तक के आवेदनों का निपटान कब तक कर दिया जायेगा।

(ग) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को ऋण आवेदनपत्रों का सत्यापन यथोचित समय में कर लेना चाहिए। यदि कोई अतिरिक्त ब्यौरे/दस्तावेज चाहिए तो उसकी जानकारी ऋणकर्ता को तुरंत दी जानी चाहिए।

(घ) क्रेडिट कार्ड आवेदनों सहित ऋण की सभी श्रेणियों के मामले में, चाहे उनकी प्रारंभिक ऋण सीमा कुछ भी हो, ऋणदाता को चाहिए कि वह निर्धारित समय में लिखित रूप में बताये कि उचित विचार के बाद किन-किन मुख्य कारणों से बैंक की राय में ऋण आवेदनपत्र अस्वीकृत किये गये हैं।

(ii) ऋण मूल्यांकन और नियम/शर्तें

(क) ऋणदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋणकर्ता के ऋण आवेदनपत्र का उचित मूल्यांकन किया गया है। उन्हें मार्जिन और जमानत की शर्त को ऋणकर्ता की ऋणपात्रता के बारे में समुचित जांच-पड़ताल के प्रतिस्थापन के रूप में नहीं लेना चाहिए।

(ख) ऋणदाता को चाहिए कि वह ऋण-सीमा की जानकारी नियमों और शर्तों के साथ ऋणकर्ता को दे और इन नियमों और शर्तों के संबंध में ऋणकर्ता द्वारा पूरी जानकारी के साथ दी गयी स्वीकृति का रिकॉर्ड रखे।

(ग) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी जानेवाली ऋण सुविधाओं पर लागू नियम और शर्तें तथा अन्य सावधानियां, जिन्हें ऋणदात्री संस्था और उधारकर्ता के बीच बातचीत के बाद निर्धारित किया जाता है, लिखित रूप में रखी जानी चाहिए और प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा उन्हें विधिवत् प्रमाणित किया जाना चाहिए। ऋण करार और ऋण करार में उल्लिखित सभी अनुलग्नकों की एक-एक प्रति ऋणकर्ता को दी जानी चाहिए। इस बात पर पुनः बल दिया जाता है कि बैंकों द्वारा ऋणों की स्वीकृति/वितरण के समय ऋण करार तथा ऋण करार में उल्लिखित सभी अनुलग्नकों की एक-एक प्रति सभी ऋणकर्ताओं को अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए।

(घ) जहां तक हो सके ऋण करार में ऐसी ऋण सुविधाओं को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए जो पूरी तरह ऋणदाताओं के विवेक पर निर्भर हैं। इनमें सुविधाओं का अनुमोदन या अस्वीकृति शामिल हो सकती है, जैसे मंजूर की गयी सीमाओं से अधिक आहरण, ऋण मंजूरी में विशेष रूप से सहमत प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए चेक का भुगतान तथा

ऋण खाते के अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किये जाने या मंजूरी की शर्तों का अनुपालन न किये जाने के कारण खाते से आहरण की अनुमति न देना। यह भी स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि कारोबार में वृद्धि आदि के कारण ऋणकर्ताओं की और अपेक्षाओं को ऋण सीमाओं की उपयुक्त समीक्षा के बिना पूरा करने का ऋणदाता का कोई दायित्व नहीं है।

(ड) सहायता संघीय व्यवस्था के अंतर्गत ऋण दिये जाने के मामले में, सहभागी ऋणदाताओं को ऐसी क्रियाविधि शुरू करनी चाहिए जिससे कि प्रस्तावों का मूल्यांकन यथासंभव समयबद्ध रूप में पूरा किया जा सके तथा वित्त देने या न देने के संबंध में अपने निर्णय की सूचना उचित समय में दी जा सके।

(iii) ऋण का वितरण तथा शर्तों में परिवर्तन

ऋणदाताओं को ऋण मंजूरी को नियंत्रित करने वाली शर्तों के अनुरूप ऋण का समय पर वितरण सुनिश्चित करना चाहिए। ऋणदाताओं द्वारा ब्याज दरों, सेवा प्रभारों आदि शर्तों में होने वाले किसी परिवर्तन की सूचना दी जानी चाहिए। ऋणदाताओं को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्याज दरों और प्रभारों में परिवर्तन केवल भावी प्रभाव से किया जाता है।

(iv) ऋण वितरण के बाद पर्यवेक्षण

क) ऋणदाता द्वारा वितरण के बाद पर्यवेक्षण, विशेष रूप से 2 लाख रुपये तक के ऋणों के संदर्भ में, रचनात्मक होना चाहिए ताकि ऋणकर्ता के सामने आनेवाली "ऋणदाता से संबंधित" किसी वास्तविक कठिनाई पर ध्यान दिया जा सके।

ख) करार के अंतर्गत ऋण वापस मांगने/भुगतान जल्दी करने या कार्य-निष्पादन में तेजी लाने को कहने या अतिरिक्त जमानत मांगने का निर्णय लेने के पहले ऋणदाता द्वारा ऋण करार में निर्दिष्ट किये गये अनुसार ऋणकर्ता को नोटिस दिया जाना चाहिए या ऋण करार में ऐसी शर्त न होने पर उचित समय दिया जाना चाहिए।

ग) ऋणदाता को ऋण का भुगतान प्राप्त होने पर या ऋण की वसूली होने पर सभी जमानतें लौटा देनी चाहिए, बशर्ते किसी अन्य दावे के संबंध में ऋणकर्ता के विरुद्ध ऋणदाता का कोई वैध अधिकार या ग्राहणाधिकार न हो। यदि समंजन (सेट-ऑफ) के ऐसे अधिकार का प्रयोग करना है तो ऋणकर्ता को शेष दावों और उन दस्तावेजों के बारे में पूरे ब्यौरे देते हुए नोटिस दिया जाना चाहिए जिनके अंतर्गत ऋणदाता संबंधित दावे का निपटान/भुगतान होने तक जमानत रखने का हकदार है।

(v) सामान्य

(क) ऋणदाताओं को ऋण मंजूरी के दस्तावेजों की शर्तों में किये गये प्रावधान को छोड़कर (जब तक ऋणकर्ता द्वारा पहले प्रकट न की गयी नयी सूचना ऋणदाता की जानकारी में न आयी हो) ऋणकर्ताओं के कार्यकलाप में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए।

(ख) ऋणदाताओं द्वारा ऋण प्रदान करने के मामले में लिंग, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। तथापि, इससे समाज के कमजोर वर्गों के लिए बनायी गयी ऋण संबद्ध योजनाओं में ऋणदाताओं के भाग लेने पर कोई रोक नहीं है।

(ग) ऋणों की वसूली के लिए ऋणदाताओं द्वारा ऋणकर्ताओं को अनुचित रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए, ऋणकर्ता को बेवक्त लगातार तंग करना, ऋण की वसूली के लिए बल प्रयोग करना आदि।

(घ) यदि ऋणकर्ता से या किसी बैंक/वित्तीय संस्था से, जो ऋणकर्ता के खाते का टेक ओवर करना चाहती है, ऋण खाते के अंतरण के लिए अनुरोध प्राप्त हो तो अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 21 दिन के भीतर सहमति या असहमति, अर्थात् ऋणदाता की आपत्ति के संबंध में सूचना भेजी जानी चाहिए।

2.5.3 ऊपर पैरा 2.4.3 में दिये गये दिशानिर्देशों पर आधारित उचित व्यवहार संहिता सभी ऋणों के संदर्भ में निर्धारित होनी चाहिए। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को यह स्वतंत्रता होगी कि वे दिशानिर्देशों की व्याप्ति बढ़ाते हुए उचित व्यवहार संहिता का प्रारूप तैयार करें परंतु किसी भी हालत में उपर्युक्त दिशानिर्देशों के पीछे निहित भावना का उल्लंघन न हो। इस प्रयोजन के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बोर्डों को स्पष्ट नीति निर्धारित करनी चाहिए।

2.5.4 निदेशक बोर्ड द्वारा इस संबंध में उठने वाले विवादों को निपटाने के लिए संगठन के भीतर शिकायत निवारण का उचित तंत्र भी स्थापित करना चाहिए। इस तंत्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण देने वाली संस्थाओं के पदाधिकारियों के निर्णयों के फलस्वरूप उठने वाले सभी विवादों को कम-से-कम अगले उच्चतर स्तर पर सुना जाता है और उनको निपटाया जाता है। निदेशक बोर्डों को उचित व्यवहार संहिता के अनुपालन तथा नियंत्रक कार्यालयों के विभिन्न स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र की कार्य-प्रणाली की आवधिक समीक्षा की व्यवस्था भी करनी चाहिए। ऐसी समीक्षाओं की समेकित रिपोर्ट बोर्ड को, उसके द्वारा निर्दिष्ट नियमित अंतराल पर प्रस्तुत की जाये।

2.5.5 उक्त संहिता अपनाने, आवश्यक ऋण आवेदन फार्मों की प्रिंटिंग तथा शाखाओं और नियंत्रक कार्यालयों में उनका परिचालन भी विधिवत् पूरा कर लिया जाए। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनायी जाने वाली उचित व्यवहार संहिता को अपनी वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए और उसका व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। एक प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक को भी भेजी जानी चाहिए।

2.6 बैंको द्वारा नियुक्त वसूली एजेंटों के संबंध में दिशानिर्देश

2.6.1 पिछले कुछ दिनों से वसूली एजेंटों की नियुक्ति के संबंध में बैंकों के खिलाफ विवाद और मुकदमों की बढ़ी हुई संख्या को देखते हुए यह महसूस किया जा रहा है कि इस संबंध में प्रतिकूल प्रचार से पूरे बैंकिंग क्षेत्र की प्रतिष्ठा को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। अतः भारत में बैंकों द्वारा वसूली एजेंटों की नियुक्ति से संबंधित नीति, परिपाटी और प्रक्रिया की समीक्षा करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। इस पृष्ठभूमि में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए थे जो सभी संबंधितों के अभिमतों के लिए वेबसाइट पर रखे गये थे। बैंकों/व्यक्तियों/संगठनों के व्यापक क्षेत्र से प्राप्त फीडबैक के आधार पर प्रारूप दिशानिर्देशों को समुचित रूप से संशोधित किया गया है और अंतिम दिशानिर्देश हमारे 24 अप्रैल 2008 के परिपत्र बैंपविवि. सं.एलईजी.बीसी.75/09.07.005/2007-08 द्वारा जारी किए गए हैं।

2.6.2 बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि वे वसूली एजेंट नियुक्त करते समय निम्नलिखित विशेष पहलुओं को ध्यान में रखें:

- (i) इन दिशानिर्देशों में 'एजेंट' में बैंकों द्वारा नियुक्त एजेन्सियों और संबंधित एजेन्सियों के एजेंटों/कर्मचारियों का समावेश है।
- (ii) बैंकों को चाहिए कि वे वसूली एजेंटों की नियुक्ति के लिए सावधानी युक्त प्रक्रिया अपनाएं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वसूली प्रक्रिया में संलग्न व्यक्तियों के संबंध में सावधानी रखने का प्रावधान हो। उचित सावधानीयुक्त प्रणाली सामान्यतः 3 नवंबर 2006 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. 40/21.04.158/2006-07 द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप होने चाहिए। साथ ही, बैंकों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वसूली प्रक्रिया में उनके द्वारा नियुक्त एजेंट, अपने कर्मचारियों के पूर्ववृत्तों का सत्यापन करते हैं, जिसमें पूरी सावधानी के रूप में रोजगार पूर्व पुलिस सत्यापन का समावेश हो। पूर्ववृत्तों का पुनः सत्यापन करने की आवश्यकता के बारे में बैंक निर्णय ले सकते हैं।
- (iii) बैंकों द्वारा विधिवत् सूचना और उपयुक्त प्राधिकार सुनिश्चित करने की दृष्टि से उन्हें चाहिए कि वे वसूली एजेंटों को चूक के मामले भेजते समय ऋणकर्ता को भी वसूली एजेन्सी कंपनियों के ब्योरे सूचित करें। साथ ही, कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है कि अस्वीकार किये जाने/अनुपलब्धता/टालमटोल के कारण वसूली एजेन्सी से संबंधित ब्योरे ऋणकर्ता को प्राप्त नहीं हुए हों। अतः यह उचित होगा कि एजेंट भी संबंधित नोटिस तथा संबंधित बैंक से प्राप्त प्राराधिकार पत्र की प्रति तथा बैंक अथवा एजेन्सी फर्म/कंपनी द्वारा उन्हें जारी किया गया पहचान पत्र अपने साथ ले जाएं। साथ ही, जहां वसूली प्रक्रिया के दौरान संबंधित बैंक वसूली एजेन्सी में परिवर्तन करता है तो ऐसे परिवर्तन की सूचना बैंक द्वारा ऋणकर्ता को दिये जाने के साथ-साथ, नये एजेंट को भी उक्त नोटिस तथा प्राधिकार पत्र एवं अपना पहचान पत्र अपने साथ ले जाना चाहिए।

- (iv) नोटिस और प्राधिकार पत्र में, अन्य ब्योरों के साथ-साथ, संबंधित वसूली एजेन्सी के टेलीफोन नंबर भी होने चाहिए। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वसूली एजेंटों द्वारा ग्राहकों और ग्राहकों द्वारा वसूली एजेंटों को किये गये फोन कॉल की बातचीत की टेप रिकार्डिंग की जाती है। बैंकों को उचित एहतियात बरतनी चाहिए जैसे कि ग्राहक को सूचित किया जाना चाहिए कि बातचीत रिकार्ड की जा रही है, आदि।
- (v) बैंकों द्वारा नियुक्त वसूली एजेन्सी फर्मों/कंपनियों के अद्यतन ब्योरे बैंक की वेबसाइट पर भी देने चाहिए।
- (vi) जहां शिकायत दर्ज की गयी हो, वहां बैंकों को चाहिए कि वे वसूली एजेन्सी को मामले तब तक न भेजें जब तक संबंधित ऋणकर्ता द्वारा दर्ज की गई शिकायत का अंतिम रूप से निपटान नहीं हो जाता। तथापि, उचित सबूतों के साथ बैंक को इस बात का पक्का विश्वास हो कि ऋणकर्ता लगातार मामूली/परेशान करनेवाली शिकायतें करता है तो ऐसे मामले में शिकायत उनके पास विचाराधीन होते हुए भी बैंक वसूली एजेंटों के माध्यम से वसूली प्रक्रिया जारी रख सकता है। जिन मामलों में ऋणकर्ता की बकाया राशि का मामला न्यायाधीन हो सकता है, वहां बैंकों को परिस्थिति के अनुरूप वसूली एजेन्सियों को मामला भेजने के संबंध में यथोचित रूप से पूरी एहतियात बरतनी चाहिए।
- (vii) प्रत्येक बैंक को एक ऐसी प्रणाली स्थापित करनी चाहिए जिसमें वसूली प्रक्रिया से संबंधित ऋणकर्ताओं की शिकायतों को दूर किया जा सके। ऐसी प्रणाली के ब्योरे उपर्युक्त मद (iii) में उल्लेख किये गये अनुसार वसूली एजेन्सी के ब्योरे सूचित करते समय ऋणकर्ता को बताये जाने चाहिए।

वसूली एजेंटों के लिए प्रोत्साहन

- (viii) यह पता चला है कि कुछ बैंक वसूली एजेंटों के लिए काफी उच्च वसूली लक्ष्य निर्धारित करते हैं या अत्यधिक प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। इससे बकाया राशि की वसूली के लिए वसूली एजेंट डराने-धमकाने और संदेहास्पद पद्धतियों का उपयोग करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। अतः बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वसूली एजेंटों के साथ की गयी संविदा वसूली एजेंटों को वसूली प्रक्रिया में असभ्य, गैर-कानूनी और संदेहास्पद व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित न करे।

वसूली एजेंटों द्वारा अपनायी गयी पद्धतियां

- (ix) निम्नलिखित परिपत्र, (क) उधारदाताओं के लिए उचित परिपाटी संहिता संबंधी दिशानिर्देशों के बारे में 5 मई 2003 के परिपत्र बैंपविवि.एलईजी.सं.बीसी. 104/09.07.007/2002-03 (ख) वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग संबंधी 3 नवंबर

2006 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी.40/21.04.158/2006-07 तथा (ग) क्रेडिट कार्ड परिचालन संबंधी 2 जुलाई 2007 के मास्टर परिपत्र बैंपविवि.एफएसडी.बीसी. 17/ 24.01.011/ 2007-08 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। साथ ही, 'ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता की संहिता' (बीसीएसबीआई कोड) के पैरा 6 की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जो बकाया राशि की वसूली से संबंधित है। बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे ऋण वसूली प्रक्रिया के दौरान उपर्युक्त दिशानिर्देशों/संहिता का कड़ाई से पालन करें।

वसूली एजेंटों के लिए प्रशिक्षण

- (x) बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउट-सोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन तथा आचार संहिता पर दिशानिर्देश संबंधी 3 नवंबर 2006 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. 40/21.04.158/2006-07 के पैरा 5.7.1 में बैंकों को यह सूचित किया गया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि अन्य बातों के साथ-साथ वसूली एजेंट को समुचित प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे अपनी जिम्मेदारियां सावधानीपूर्वक तथा संवेदनशील ढंग से निभा सकें जिसमें विशेष रूप से, ग्राहक से संपर्क करने का समय, ग्राहक से संबंधित सूचना की गोपनीयता आदि का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए।
- (xi) रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ से यह अनुरोध किया है कि वह भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आइआइबीएफ) के परामर्श से प्रत्यक्ष वसूली एजेंटों के लिए न्यूनतम 100 घंटे के प्रशिक्षण का एक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम तैयार करे। उक्त कार्यक्रम आरंभ होने पर बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक वर्ष के भीतर उनके सभी वसूली एजेंट उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तथा उक्त संस्थान से इस संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं। साथ ही, बैंकों द्वारा नियुक्त सेवा प्रदाताओं को भी सिर्फ ऐसे ही व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए जिन्होंने उक्त प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश-भर में बड़ी संख्या में एजेंटों को प्रशिक्षण देना होगा, अन्य संस्थाएं/बैंक के अपने प्रशिक्षण महाविद्यालय भी भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान के साथ संयुक्त व्यवस्था कर वसूली एजेंटों को प्रशिक्षण दे सकते हैं ताकि प्रशिक्षण के स्तर में एकरूपता रहे। तथापि, प्रत्येक एजेंट को भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान द्वारा भारत-भर में आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

बैंकों को बंधक /दृष्टिबंधक संपत्ति को कब्जे में लेना

- (xii) हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक मामला आया था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी कि हम इस देश में कानून द्वारा शासित हैं तथा ऋणों की वसूली अथवा वाहनों की जब्ती सिर्फ कानूनी तरीकों से ही की जा सकती है। इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि वित्तीय आस्ति का प्रतिभूतिकरण एवं

पुनर्संरचना तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में न केवल जमानत हित लागू करने से संबंधित क्रियाविधियों को सुपरिभाषित किया गया है बल्कि जमानत हित लागू करने के बाद चल और अचल संपत्ति की नीलामी के लिए भी क्रियाविधियां सुनिश्चित की गयी हैं। अतः यह वांछनीय है कि बैंक ऐसे संबंधित कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध कानूनी उपायों का ही सहारा लें, जिनके अनुसार न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना जमानत हित लागू करने की बैंकों को अनुमति दी गयी हो।

- (xiii) जहां बैंकों ने ऋणकर्ता के साथ की गयी संविदा में पुनः कब्जा संबंधी खंड शामिल किया हो और अपने अधिकारों को लागू करने के लिए ऐसे पुनः कब्जा खंड पर विश्वास किया हो वहां उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा पुनः कब्जा खंड कानूनी रूप से वैध है तथा भारतीय संविदा अधिनियम के उपबंधों का पूर्णतः पालन करता है। यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि संविदा करते समय इस पुनः कब्जा संबंधी खंड के बारे में स्पष्ट रूप से ऋणकर्ता को अवगत करा देना चाहिए। साथ ही, संविदा की शर्तें पूर्णतः वसूली नीति के अनुसार ही होनी चाहिए और उनमें निम्नलिखित के संबंध में उपबंध शामिल किये जाने चाहिए। (क) कब्जा लेने से पहले ग्राहकों को दिये जानेवाले नोटिस की अवधि (ख) किन परिस्थितियों में नोटिस अवधि में छूट दी जा सकती है (ग) प्रतिभूति को कब्जे में लेने के लिए अपनायी जानेवाली क्रियाविधि (घ) संपत्ति की बिक्री/नीलामी के पहले ऋण की चुकोती के लिए उधारकर्ता को दिये जानेवाले अंतिम मौके के संबंध में प्रावधान (ङ) उधारकर्ता को पुनः कब्जा प्रदान करने की क्रियाविधि और (च) संपत्ति की बिक्री/नीलामी की क्रियाविधि।

लोक अदालत मंच का उपयोग

- (xiv) सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि 10 लाख रुपये से कम के ऋण, व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट कार्ड तथा आवास ऋण के मामले लोक अदालतों को भेजे जा सकते हैं। इस संबंध में बैंकों का ध्यान 3 अगस्त 2004 के परिपत्र बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 21/09.06.002/2004-05 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें उन्हें यह सूचित किया गया था कि वे ऋणों की वसूली के लिए सिविल न्यायालयों द्वारा गठित लोक अदालतों के मंच का उपयोग करें। बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार 10 लाख रुपये से कम के व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट कार्ड ऋण अथवा आवास ऋणों की वसूली के लिए वरीयतः लोक अदालतों के मंच का उपयोग करें।

ऋण परामर्शदाताओं की सेवाओं का उपयोग

(xv) जहां किसी विशिष्ट उधारकर्ता के मामले पर सहानुभूतिपूर्ण विचार किया जाना उचित प्रतीत होता हो, वहां उधारकर्ताओं को समुचित परामर्श प्रदान करने के लिए ऋण परामर्शदाताओं की सेवाओं का लाभ उठाने हेतु एक प्रणाली विकसित करने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित किया जाए।

2.6.3 बैंक/उनके वसूली एजेंटों के खिलाफ शिकायत

बैंक मूल स्वामी के रूप में अपने एजेंटों द्वारा किये गये कार्य/कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हैं। अतः उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके ऋणों की वसूली के लिए नियुक्त उनके एजेंट ऋणों की वसूली की प्रक्रिया अपनाते समय बीसीएसबीआई संहिता सहित उपर्युक्त दिशानिर्देशों तथा अनुदेशों का पूरी तरह पालन करें।

2.6.4. उपर्युक्त दिशानिर्देशों के उल्लंघन तथा बैंकों के वसूली एजेंटों द्वारा अपनायी जानेवाली गलत परिपाटियों के संबंध में रिज़र्व बैंक को प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा। रिज़र्व बैंक संबंधित बैंक पर यह प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकता है कि वह सीमित समय के लिए संबंधित क्षेत्र में आधिकारिक अथवा कार्यात्मक वसूली एजेंट नियुक्त न करें। उक्त दिशानिर्देशों के लगातार उल्लंघन किये जाने के मामले में रिज़र्व बैंक प्रतिबंध की अवधि अथवा क्षेत्र बढ़ाने पर विचार कर सकता है। इसके अलावा, वसूली प्रक्रिया से संबंधित नीति, परिपाटी अथवा क्रियाविधि के संबंध में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी बैंक अथवा उसके निदेशकों/अधिकारियों/एजेंटों के विरुद्ध कोई टिप्पणी की जाती है अथवा दंड लगाया जाता है तो ऐसी ही पर्यवेक्षी कार्रवाई की जाएगी।

2.6.5. यह अपेक्षा की जाती है कि बैंक सामान्यतः यह सुनिश्चित करेंगे कि ऋण वसूली प्रक्रिया के दौरान उनके कर्मचारी भी उपर्युक्त दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हैं।

2.6.6. आवधिक समीक्षा

वसूली एजेंटों की नियुक्ति करनेवाले बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि वे अनुभव से सीखने, सुधार लाने तथा दिशानिर्देशों को बेहतर बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को सुझाव देने हेतु उक्त व्यवस्था की आवधिक समीक्षा करें।

नियंत्रित पदार्थों की सूची

(पैराग्राफ 2.2.3.1 देखें)

| समूह | पदार्थ | ओज़ोन समाप्त करने की संभाव्यता * |
|---|----------------|----------------------------------|
| समूह I | | |
| CFCl ₃ | (CFC-11) | 1.0 |
| CF ₂ Cl ₂ | (CFC-12) | 1.0 |
| C ₂ F ₃ Cl ₃ | (CFC-113) | 0.8 |
| C ₂ F ₄ Cl ₂ | (CFC-114) | 1.0 |
| Cl | (CFC-115) | 0.6 |
| समूह II | | |
| CF ₂ BrCl | (हेलोन - 1211) | 3.0 |
| CF ₃ Br | (हेलोन -1301) | 10.0 |
| C ₂ F ₄ Br ₂ | (हेलोन -2402) | 6.0 |
| * ओज़ोन समाप्त करने की इन संभाव्यताओं का अनुमान मौजूदा जानकारी के आधार पर लगाया गया है। समय-समय पर इनकी समीक्षा की जायेगी और इनमें संशोधन किया जाएगा। | | |

नियंत्रित पदार्थों की सूची

(पैराग्राफ 2.2.3.1 देखें)

| समूह | पदार्थ | ओज़ोन समाप्त करने की संभाव्यता |
|--|--|--------------------------------|
| समूह I | | |
| CF ₃ Cl | (CFC-13) | 1.0 |
| CF ₂ Cl ₅ | (CFC-111) | 1.0 |
| C ₂ F ₂ Cl ₄ | (CFC-112) | 1.0 |
| C ₂ FCl ₇ | (CFC-211) | 1.0 |
| C ₂ F ₂ Cl ₆ | (CFC-212) | 1.0 |
| C ₃ F ₃ Cl ₅ | (CFC-213) | 1.0 |
| C ₃ F ₄ Cl ₄ | (CFC-214) | 1.0 |
| C ₃ F ₅ Cl ₃ | (CFC-215) | 1.0 |
| C ₃ F ₆ Cl ₂ | (CFC-216) | 1.0 |
| C ₃ F ₇ Cl | (CFC-217) | 1.0 |
| समूह II | | |
| CCl ₄ | कार्बन टेट्राक्लोराइड | 1.1 |
| समूह III | | |
| C ₂ H ₃ Cl ₃ * | 1,1,1 - ट्राइक्लोरोईथेन (मिथाइल क्लोरोफार्म) | 0.1 |
| * यह फार्मूला 1,1,2 - ट्राइक्लोरोईथेन को संदर्भित नहीं करता। | | |

चयनात्मक ऋण नियंत्रण
अन्य परिचालनात्मक विनिर्देश

[पैराग्राफ 2.2.4.4(iv) देखें]

1. बैंकों को चयनात्मक ऋण नियंत्रण संबंधी पण्यों में लेनदेन करने वाले ग्राहकों को ऐसी किसी ऋण सुविधा की अनुमति नहीं देनी चाहिए जिससे इस निदेश के प्रयोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुष्प्रभावित हों। बही ऋणों/प्राप्य राशियों और जीवन बीमा निगम की पालिसियों, शेयरों और स्टॉकों एवं भूसंपत्ति जैसी संपार्श्विक प्रतिभूतियों की जमानत पर ऐसे ऋणकर्ताओं के पक्ष में अग्रिम देने पर विचार नहीं करना चाहिए।
2. हालांकि चयनात्मक ऋण नियंत्रण संबंधी पण्यों के लाने-ले जाने के संबंध में आहरित मांग दस्तावेजी बिलों की जमानत पर या उसकी खरीद के द्वारा दिये जाने वाले अग्रिम छूट प्राप्त हैं, तथापि बैंक को संबंधित बीजकों तथा परिवहन परिचालकों द्वारा जारी रसीदों, आदि का सत्यापन कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रस्तावित बिल माल को वस्तुतः लाने-ले जाने से संबंधित हैं।
3. चयनात्मक ऋण नियंत्रण संबंधी पण्यों की बिक्री से संबंधित मीयादी बिलों को जारी किये गये निदेशों में विनिर्दिष्ट रूप से अनुमत सीमा तक ही भुनाया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं।
4. निदेशों में विनिर्दिष्ट कुछ शर्तों पर उचित सीमा तक बेजमानती तार अंतरण खरीद सुविधा की अनुमति दी जाये।
5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम भी चयनात्मक ऋण नियंत्रण संबंधी निदेशों द्वारा/के अंतर्गत समाविष्ट किये गये हैं।
6. जहां एक से अधिक पण्य और/या किसी अन्य प्रकार की प्रतिभूति की जमानत पर ऋण सीमाएं मंजूर की गयी हों, उन मामलों में प्रत्येक पण्य की जमानत पर दी गयी ऋण सीमाओं को अलग-अलग किया जाना चाहिए तथा निदेशों में दिये गये प्रतिबंध ऐसी प्रत्येक अलग-अलग सीमा पर लागू किये जाने चाहिए।
7. चयनात्मक ऋण नियंत्रण संबंधी निदेशों के अंतर्गत आनेवाले अग्रिमों के संबंध में ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए बैंक स्वतंत्र है।
8. बैंक चयनात्मक ऋण नियंत्रण संबंधी पण्यों में लेनदेन करनेवाले ऋणकर्ताओं को ऋण स्वीकृत कर सकते हैं बशर्ते संयंत्र और मशीनरी जैसी ब्लॉक आस्तियां अर्जित करने के लिए मीयादी ऋणों का उपयोग किया जाए तथा बैंकों द्वारा सामान्य मूल्यांकन और अन्य मानदंडों का अनुसरण किया जाए।

9. भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वीय पूल के लिए और उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर खाद्यान्नों की सरकारी खरीद करने के लिए भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य सरकारों को ऋण सीमाएं प्राधिकृत करता है। चूंकि मार्जिन के बिना ऋण सीमाएं प्राधिकृत की जाती हैं, अतः उधार बिक्री (क्रेडिट सेल), बही ऋण, सरकारी सब्सिडी, आदि की जमानत पर ऋण नहीं लिया जा सकता।
10. बैंकों को समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चयनात्मक ऋण नियंत्रण संबंधी उपायों के संबंध में जारी निदेशों का संदर्भ लेना चाहिए।

**स्वर्ण आयात के लिए नामित बैंकों की सूची
(पैराग्राफ 2.3.13.1)**

| | बैंक का नाम |
|----|---------------------------------|
| 1 | इलाहाबाद बैंक |
| 2 | आंध्रा बैंक |
| 3 | अक्सिस बैंक लि. |
| 4 | बैंक ऑफ बड़ौदा |
| 5 | बैंक ऑफ इंडिया |
| 6 | बैंक ऑफ महाराष्ट्र |
| 7 | बैंक ऑफ नोवा स्काटिया |
| 8 | केनरा बैंक |
| 9 | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया |
| 10 | सिटि यूनियन बैंक लि. |
| 11 | कार्पोरेशन बैंक |
| 12 | धनलक्ष्मी बैंक लि. |
| 13 | फेडरल बैंक लि. |
| 14 | एचडीएफसी बैंक लि. |
| 15 | आइसीआइसीआइ बैंक लि. |
| 16 | इंडियन बैंक |
| 17 | इंडियन ओवरसीज़ बैंक |
| 18 | इंडसइंडबैंक लि. |
| 19 | आईएनजी वैश्य बैंक लि. |
| 20 | करूर वैश्व बैंक लि |
| 21 | कोटक महेंद्र बैंक लि. |
| 22 | ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स |
| 23 | पंजाब एंड सिंध बैंक |
| 24 | पंजाब नैशनल बैंक |
| 25 | साउथ इंडियन बैंक लि. |
| 26 | स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक |
| 27 | स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर |

| | |
|----|-------------------------|
| 28 | स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद |
| 29 | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया |
| 30 | स्टेट बैंक ऑफ मैसूर |
| 31 | स्टेट बैंक ऑफ पटियाला |
| 32 | स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर |
| 33 | सिंडिकेट बैंक |
| 34 | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया |
| 35 | येस बैंक लि. |
| 36 | देना बैंक |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 की प्रयोज्यता से संबंधित मुद्दे एवं स्पष्टीकरण

प्रश्न

क्या कोई विदेशी बैंक भारत में ऐसी फर्मों तथा कंपनियों को ऋण या अग्रिम मंजूर कर सकता है जबकि विदेश स्थित उस बैंक के निदेशक मंडल के किसी निदेशक जो विदेशी मूल का हो या भारतीय राष्ट्रिक, का भारत स्थित उक्त फर्म अथवा कंपनियों में हित निहित हो अथवा वह ऐसी कंपनियों के बोर्ड में हो?

उत्तर

यह स्पष्ट किया जाता है कि विदेशी बैंकों भारत में जिनकी शाखाएं हैं, द्वारा भारत की कंपनियों को स्वीकृत या मंजूर की गई ऋण सविधाएं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 की भावना के अनुपालन में होनी चाहिए। तदनुसार, किसी विदेशी बैंक की भारत स्थित शाखा द्वारा भारत की किसी ऐसी फर्म/कंपनी को ऋण नहीं दिया जाना चाहिए यदि उस विदेशी बैंक के विदेश स्थित निदेशक मंडल के किसी निदेशक का (i) उस फर्म/कंपनी में हित निहित हो अथवा (ii) यदि वह कंपनी किसी ऐसी मूल भारतीय/विदेशी कंपनी की अनुषंगी कंपनी है जिसमें निदेशक का हित निहित है।

यह नोट किया जाए कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 के अनुसार किसी कंपनी में किसी निदेशक का हित निहित होना माना जाएगा यदि वह संबंधित कंपनी में निदेशक/प्रबंध एजेंट/प्रबंधक/कर्मचारी या गारंटीकर्ता हो और किसी फर्म में उसका हित निहित माना जाएगा यदि वह संबंधित फर्म में भागीदार/ प्रबंधक/कर्मचारी या गारंटीकर्ता हो।

प्रश्न

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20(1) (ख) किस पर लागू नहीं होगा?

उत्तर

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20(1) (ख) निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी।

क) बैंकिंग कंपनी की अनुषंगी, अथवा

ख) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी, अथवा
ग) सरकारी कंपनी

प्रश्न

क्या धारा 20 के उपबंध अनुषंगी कंपनियों/होल्डिंग कंपनियों पर लागू होंगे?

उत्तर

यदि कोई बैंकिंग कंपनी होल्डिंग कंपनी की किसी अनुषंगी कंपनी को कोई ऋण मंजूर कर रही है तो धारा 20 के उपबंध लागू होंगे यदि उस बैंकिंग कंपनी का कोई भी निदेशक उस होल्डिंग कंपनी का निदेशक हो, भले ही बैंकिंग कंपनी का कोई निदेशक अनुषंगी कंपनी का निदेशक हो या न हो।

प्रश्न

क्या धारा 20 के उपबंध साझा निदेशक की नियुक्ति से पहले मंजूर किए गए अग्रिमों/की गई प्रतिबद्धताओं पर लागू होंगे?

उत्तर

बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 के उपबंध उस मामले में नहीं लागू होंगे जब बैंक ने किसी कंपनी को अग्रिमों की मंजूरी अथवा वचनबद्धता बैंक के निदेशक मंडल में उस कंपनी के निदेशक की नियुक्ति के पहले की हो।

प्रश्न

क्या किसी कंपनी के निदेशक को बैंक के निदेशक मंडल में शामिल करने के बाद यदि ऋण को नवीकृत/ऋण सीमाओं में वृद्धि की गई हो तो क्या धारा 20 के उपबंध लागू होंगे?

उत्तर

बैंकों को समय-सीमा के बाद ऋण/सीमा को नवीकृत करने अथवा उसकी सीमा में वृद्धि करने से प्रतिबंधित किया गया है जिनकी मंजूरी किसी कंपनी के निदेशक के बैंक का निदेशक बनने की तारीख से पहले दी गई हो क्योंकि नवीकरण/वृद्धि/शर्तों में परिवर्तन का तात्पर्य बैंक द्वारा नई प्रतिबद्धता करना होगा। प्रकरांतर से, निदेशक को बैंक अथवा कंपनी में से किसी एक के निदेशक का पद छोड़ना होगा।

प्रश्न

क्या धारा 20 नामिती निदेशक पर लागू होगी?

उत्तर

धारा 20 के अंतर्गत निदेशकों के बीच उनके द्वारा प्रदर्शित हित के आधार पर कोई अंतर नहीं किया गया है। इसलिए, धारा 20 के अंतर्गत निर्धारित प्रतिबंध नामिती निदेशकों पर भी लागू होंगे।

प्रश्न

क्या असमाशोधित लिखतों पर आहरण करने पर धारा 20 लागू होगी?

उत्तर

चेकों की खरीद को विशेष रूप से धारा 20 के प्रतिबंधात्मक उपबंधों से मुक्त रखा गया है। तथापि, समाशोधन के लिए प्रस्तुत चेकों पर आहरण देना अग्रिम की मंजूरी है और इसलिए उस पर धारा 20 के उपबंध लागू होंगे।

प्रश्न

क्या धारा 20 डेरिवेटिव लेनदेन पर लागू होगी?

उत्तर

डेरिवेटिव लेनदेन तुलनपत्रेतर मर्दे हैं और उन्हें गैर-निधि आधारित लेनदेन के समान माना जाता है और वे धारा 20 की परिधि से बाहर हैं बशर्ते बैंकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि लेनदेन सामान्य व्यवसायिक अपेक्षाओं (न कि सट्टेबाजी की अपेक्षाएं) से उत्पन्न वास्तविक बचाव व्यवस्था लेनदेन हैं और इससे बैंकों पर कोई देयता अंतरित नहीं होती। बैंकों को कंपनियों के अंतर्निहित एक्सपोजर की वास्तविकता से संतुष्ट होना चाहिए। बैंकों को 30 जुलाई 2004 के मास्टर परिपत्र बैंपविवि.डीआईआर. बीसी/20/13.03.00/2002-03 के पैराग्राफ 1.2.7 में निहित अनुदेशों तथा 13 दिसंबर 2002 के परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी.48/21.03.004/2002-03 में "डेरिवेटिव उत्पादों के ऋण एक्सपोजर के मापन" संबंधी दिशानिर्देशों का भी पालन करना चाहिए।

प्रश्न

क्या धारा 20 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार पर लागू होगी?

उत्तर

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार को धारा 20 के अंतर्गत कोई छूट नहीं दी जाती है। इसलिए, धारा 20 के उपबंध प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र पर भी लागू होंगे।

प्रश्न

यदि किसी उधारकर्ता न्यास का कोई न्यासी ऋणदात्री बैंक के निदेशक मंडल का सदस्य हो तो क्या धारा 20 के उपबंध लागू होंगे ?

उत्तर

यदि वह न्यास सार्वजनिक न्यास है तो धारा 20 के उपबंध लागू नहीं होंगे।

बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत वित्त के लिए प्रस्ताव करते समय उधारकर्ता संस्था द्वारा बैंकों को घोषित की जानेवाली न्यूनतम जानकारी (पैरा 2.3.17)

क. अन्य बैंकों से उधार की व्यवस्था का ब्योरा
(संस्था-वार तथा सुविधा-वार)

| | | |
|------|---|--|
| I. | बैंक/संस्था का नाम और पता | |
| II. | प्राप्त सुविधाएं | |
| अ. | निधि आधारित ऋण सुविधाएं (सुविधाओं के स्वरूप उदाहरणार्थ कार्यशील पूंजी/मांग ऋण/मीयादी ऋण/अल्पावधि ऋण/विदेशी मुद्रा ऋण, कार्पोरेट ऋण/ऋण व्यवस्था / चैनल वित्तपोषण, बिलों की भुनाई, आदि राशि तथा प्रयोजन दर्शाएं। | |
| आ. | डेरिवेटिव से इतर गैर-निधि आधारित सुविधाएं (सुविधाओं के स्वरूप उदाहरण, एल/सी, बीजी, डीपीजी (आइ एंड एफ) आदि, राशि तथा प्रयोजन दर्शाएं) | |
| इ. | बैंक के साथ की गई डेरिवेटिव संविदाएं (संविदा का स्वरूप, परिपक्वता, राशि तथा प्रयोजन दर्शाएं) | |
| III. | स्वीकृति की तारीख | |
| IV. | वर्तमान बकाया (डेरिवेटिव संविदाओं के मामले में ऋणात्मक एमटीएम अर्थात् जो निपटान के लिए नियत नहीं है को दर्शाएं) | |
| V. | अतिदेय संबंधी स्थिति, यदि कुछ हो (डेरिवेटिव संविदाओं के मामले में ऋणात्मक एमटीएम अर्थात् संविदा के अंतर्गत बैंक को देय राशि जिसका अब तक भुगतान नहीं किया गया है, दर्शाएं) | |
| VI. | चुकौती की शर्तें (मांग ऋण, मीयादी ऋण, कार्पोरेट ऋण, परियोजना-वार वित्त के लिए) | |

| | | |
|---|---|--|
| VII. | दी गई जमानत परियोजना-वार वित्त/ जुटाये गये ऋण से होने वाले विनिर्दिष्ट नकदी प्रवाह तथा व्यक्तिगत/कार्पोरेट गारंटी सहित प्राथमिक और संपाशिवक जमानत के संपूर्ण ब्यरे दिए जाएं | |
| VIII. | सुविधाओं के लिए आवेदन जो प्रक्रियाधीन हैं | |
| ढवाणिज्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से घरेलू तथा विदेशी उधार हेतु दी जानेवाली जानकारीज् | | |

ख. विविध ब्योरे

(करोड़ रुपये में)

| | | |
|-------|---|--|
| I. | वर्ष के दौरान जुटाये गये वाणिज्यिक पेपर (सीपी) तथा वर्तमान बकाया | |
| II. | बैंकिंग प्रणाली के बाहर से प्राप्त वित्तपोषण, उदाहरणार्थ साख-पत्रों की भुनाई, के ब्योरे | |
| III. | अरक्षित (हेज न किए गए) विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की राशि (कृपया नीचे दिए गए फॉर्मेट में मुद्रा-वार स्थिति दें) | |
| (i) | अल्पावधि एक्सपोजर (एक वर्ष से कम) | |
| (क) | लॉन्ग पोजिशन | |
| (ख) | शार्ट पोजिशन | |
| (ग) | निवल अल्पावधि एक्सपोजर (क-ख) | |
| (ii) | दीर्घावधि एक्सपोजर (एक वर्ष तथा उससे अधिक) | |
| (क) | लॉन्ग पोजिशन | |
| (ख) | शार्ट पोजिशन | |
| (ग) | निवल दीर्घावधि एक्सपोजर (क-ख) | |
| (iii) | प्रत्येक मुद्रा के लिए समग्र निवल स्थिति (i-ii) | |

| | | |
|-------|--|--|
| | | |
| (iv) | सभी मुद्राओं में समग्र निवल स्थिति | |
| | | |
| IV. | मुख्य तथा संबद्ध कार्यकलाप तथा उनके स्थान | |
| V. | बिक्री का क्षेत्र तथा बाजार शेयर | |
| VI. | वित्तीय पहलू के ब्योरे जिसमें अन्य ऋणदाताओं के साथ सहमत/स्वीकृत महत्वपूर्ण वित्तीय समझौता यदि कोई हो तथा बैंक की आवश्यकता के अनुसार जहां कहीं लागू डीएससीआर अनुमान शामिल हैं । | |
| VII. | वित्तपोषण करनेवाले बैंकों के भीतर/बाहर परिचालित किये जा रहे सीआइडी खाते, यदि कोई हो | |
| VIII. | सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा मांग/उनकी वर्तमान स्थिति | |
| IX. | अनिर्णीत मुकदमे | |
| X. | वित्तपोषण करने वाले अन्य बैंकों के साथ सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए बैंक को प्राधिकृत करने वाली घोषणा । | |

बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत संशोधित फार्मेट ऋण सूचना का आदान प्रदान

भाग I

कंपनी का बायो-डाटा

| | | | |
|-------|---|--------|--|
| I. | उधारकर्ता पार्टी का नाम और पता | | |
| II. | गठन | | |
| III. | निदेशकों/भागीदारों के नाम | | |
| IV. | कारोबारी गतिविधि | | |
| | * | मुख्य | |
| | * | संबद्ध | |
| V. | वित्तपोषण करने वाले अन्य बैंकों के नाम | | |
| VI. | निदेशकों/भागीदारों की निवल मालियत | | |
| VII. | समूह संबद्धता, यदि कोई हो | | |
| VIII. | सहयोगी संस्थाओं के ब्योरे, यदि वे एक ही बैंक के साथ लेन-देन कर रही हों | | |
| IX. | पूर्ववर्ती रिपोर्ट की तुलना में शेयरधारिता तथा प्रबंधन में परिवर्तन, यदि कोई हो | | |

भाग II

ऋण की गुणवत्ता के मुख्य संकेतक

| | | |
|------|--|----------------------------------|
| I. | आइआरएसी वर्गीकरण | |
| II. | वर्णन के साथ आंतरिक क्रेडिट रेटिंग | |
| III. | बाहरी क्रेडिट रेटिंग, यदि कोई हो | |
| IV. | उधारकर्ता की अद्यतन उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट | दिनांक ----- की स्थिति के अनुसार |

भाग III

डेरिवेटिव से इतर एक्सपोजर के ब्योरे

| | | |
|-------|--|--|
| i) | ऋण सुविधाओं का प्रकार, उदाहरणार्थ कार्यशील पूंजी ऋण/मांग ऋण/मीयादी ऋण/अल्पावधि ऋण/ विदेशी मुद्रा ऋण, कार्पोरेट ऋण/ऋण व्यवस्था/ चैनल वित्तपोषण, आकस्मिक सुविधाएं जैसे एलसी, बीजी तथा डीपीजी (आई और एफ) आदि । साख पत्र बिलों की भुनाई/ परियोजना-वार लिये गये वित्त के बारे में भी ब्योरे दें । | |
| ii) | ऋण का प्रयोजन | |
| iii) | ऋण सुविधाओं की तारीख (अस्थायी सुविधाएं शामिल करते हुए) | |
| iv) | स्वीकृत राशि (सुविधा-वार) | |
| v) | बकाया राशि (सुविधा-वार) | |
| vi) | चुकौती की शर्तें | |
| vii) | दी गयी जमानत <ul style="list-style-type: none"> • प्राथमिक • संपाशिवक • व्यक्तिगत/कार्पोरेट गारंटियां • नकदी प्रवाह पर नियंत्रण की सीमा | |
| viii) | मीयादी प्रतिबद्धताओं/पट्टा किराया/अन्य में चूक | |
| ix) | कोई अन्य विशेष जानकारी जैसे कि कोर्ट केस, सांविधिक देयराशियाँ, बड़ी चूक, आंतरिक/बाह्य लेखा परीक्षा की प्रतिकूल टिप्पणियां | |

भाग - IV

एक्सपोजर के ब्योरे - डेरिवेटिव लेनदेन

(करोड़ रुपये)

| क्र. सं. | डेरिवेटिव लेनदेन का स्वरूप | संविदाओं की आनुमानिक राशि | संविदाओं की भारित औसत परिपक्वता | बैंक के लिए धनात्मक एमटीएम की राशि (जो निपटान के लिए नियत नहीं है) | अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत संविदाओं की राशि | पुनर्रचित बकाया संविदाओं की आनुमानिक राशि | पुनर्रचना के मुख्य कारण (संक्षेप में) |
|----------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|
| अ. | प्लेन वॉनिला संविदाएं | | | | | | |
| 1. | फॉरेक्स फॉर्वर्ड संविदाएं | | | | | | |
| 2. | ब्याज दर स्वैप्स | | | | | | |
| 3. | विदेशी मुद्रा ऑप्शन | | | | | | |
| 4. | कोई अन्य संविदाएं (कृपया स्पष्ट करें) | | | | | | |
| आ. | विभिन्न प्रकार के ऑप्शनों के मिश्रणों | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| | सहित कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव जिन्हें लागत घटाने / लागत शून्य रचनाओं के रूप में बनाया गया है | | | | | | |
| 1. | केवल ब्याज दर डेरिवेटिव वाली संविदाएं | | | | | | |
| 2. | अन्य संविदाएं जिनमें विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव वाली संविदाएं शामिल हैं | | | | | | |
| 3. | अन्य कोई संविदाएं (कृपया स्पष्ट करें) | | | | | | |

भाग - V

मुद्रा-वार ब्योरों सहित उधारकर्ता के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

(करोड़ रुपये)

| | | |
|-----|---|--|
| I | अल्पावधि एक्सपोजर (एक वर्ष से कम) | |
| (क) | लॉन्ग पोजिशन | |
| (ख) | शार्ट पोजिशन | |
| (ग) | निवल अल्पावधि एक्सपोजर (क-ख) | |
| | | |
| II | दीर्घावधि एक्सपोजर (एक वर्ष तथा उससे अधिक) | |
| (क) | लॉन्ग पोजिशन | |
| (ख) | शार्ट पोजिशन | |
| (ग) | निवल दीर्घावधि एक्सपोजर (क-ख) | |
| | | |
| III | प्रत्येक मुद्रा के लिए समग्र निवल स्थिति (I-II) (कृपया प्रत्येक मुद्रा से संबंधित समग्र निवल स्थिति इस फॉर्मेट में दें) | |
| | | |
| IV | सभी मुद्राओं में समग्र निवल स्थिति | |

भाग VI

उधारकर्ता के साथ अनुभव

| | | |
|--|---|--|
| I | निधि सुविधाओं का संचालन (नकद प्रबंधन/अधिनिकासी की प्रवृत्ति पर आधारित) | |
| II | आकस्मिक सुविधाओं का संचालन (भुगतान के पूर्ववृत्त पर आधारित) | |
| III | वित्तीय समझौतों का अनुपालन | |
| IV | कंपनी की आंतरिक प्रणाली तथा कार्यपद्धति | |
| V | प्रबंधन की गुणवत्ता | |
| VI | समग्र मूल्यांकन | |
| (उपर्युक्त को अच्छा, संतोषजनक अथवा औसत से कम के रूप में ही निर्धारित किया जाए) | | |
| (*) इस शीर्ष के अंतर्गत टिप्पणियाँ शामिल करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश अगले पृष्ठ पर दिये गये हैं | | |

भाग VI के अंतर्गत टिप्पणियाँ शामिल करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश

ऋण सूचना रिपोर्ट का (अनुभव)

| | | अच्छा | संतोषजनक | औसत से नीचे |
|-----|---|-----------------|------------------|--------------------|
| I. | निधिक सुविधाओं का संचालन | | | |
| | * अधिआहरण (कितनी बार) | 4 बार तक | 5 से 6 बार | 6 से अधिक बार |
| | * समायोजन की औसत अवधि | 1 महीने के भीतर | 2 महीने के भीतर | 2 महीने से अधिक |
| | * अधिआहरण की सीमा (ऋण सीमा का प्रतिशत) | 10 प्रतिशत तक | 10 से 20 प्रतिशत | 20 प्रतिशत से अधिक |
| II. | आकस्मिक सुविधाओं का संचालन | | | |

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|---|--|--|--|
| | (डेरिवेटिव से इतर) | | | | |
| | * | चूक की संख्या | 2 बार तक | 3 से 4 बार | 4 बार से अधिक |
| | * | समायोजन की औसत अवधि | 1 सप्ताह के भीतर | 2 सप्ताह के भीतर | 2 सप्ताह से अधिक |
| | | | | | |
| III. | डेरिवेटिव लेनदेन का संचालन | | | | |
| | * | उन संविदाओं की संख्या जहां बैंक को देय धनात्मक एमटीएम मूल्य 30 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहा। | संविदाओं की कुल संख्या के 25 प्रतिशत से कम * | संविदाओं की कुल संख्या का 25 से 50 प्रतिशत | संविदाओं की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक |
| | * | उन संविदाओं की संख्या जहां बैंक को देय धनात्मक एमटीएम मूल्य 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहा और खाते को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करना पड़ा (लेकिन उस खाते को बाद में नियमित किया गया और सूचना के आदान-प्रदान की तारीख को वह अनर्जक आस्ति नहीं है) टिप्पणी : उन सभी मामलों में जहां किसी भी संविदा का अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकरण किया गया है और जो सूचना के आदान-प्रदान की तारीख को भी अनर्जक आस्ति ही है, उन्हें औसत से नीचे दर्शाया जाए। | संविदाओं की कुल संख्या के 1 प्रतिशत से कम | संविदाओं की कुल संख्या का 1 से 5 प्रतिशत | संविदाओं की कुल संख्या के 5 प्रतिशत से अधिक |
| | * | संबंधित अवधि के दौरान पुनर्चित संविदाओं की संख्या | संविदाओं की कुल संख्या के 25 प्रतिशत से | संविदाओं की कुल संख्या का 25 से 50 प्रतिशत | संविदाओं की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक |

| | | | | | |
|------------|---|------------------------------|-----------------------------|---|--|
| | | | कम | | |
| IV. | वित्तीय समझौतों का अनुपालन | | | | |
| | * | स्टाक विवरण / वित्तीय आंकड़े | समय पर | 15 दिन तक विलंब | 15 दिन से अधिक विलंब |
| | * | ऋण भार सृजित करना | तुरंत | 2 महीने तक विलंब | 2 महीने से अधिक विलंब |
| V. | कंपनी की आंतरिक प्रणाली और क्रियाविधियां | | | | |
| | * | माल सूची प्रबंधन | पर्याप्त प्रणालियां हैं | पर्याप्त प्रणालियां हैं परंतु अनुपालन नहीं किया जाता है | पर्याप्त प्रणालियां नहीं हैं |
| | * | प्राप्य राशियों का प्रबंधन | -वही- | -वही- | वही |
| | * | संसाधन का विनियोजन | -वही- | वही | -वही- |
| | * | सूचना पर नियंत्रण | -वही- | वही | -वही- |
| VI. | प्रबंधन की गुणवत्ता | | | | |
| | * | ईमानदारी | विश्वसनीय | प्रतिकूल कुछ नहीं | पिछले स्तंभों में श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सकता |
| | * | विशेषज्ञता क्षमता/वचनबद्धता | व्यावसायिक तथा भविष्यो-मुखी | आवश्यक अनुभव है | - वही - |
| | * | पिछला कार्यनिष्पादन रिकार्ड | समय पर | कार्यनिष्पादन | - वही- |

भाग : 1

सावधानी रिपोर्ट

प्रबंधक

----- (बैंक का नाम)

----- को समाप्त छमाही की स्थिति के अनुसार मैंने/हमने -----
----- लिमिटेड (कंपनी) के रजिस्ट्रारों, अभिलेखों, बहियों और कागजातों की जांच की है, जिन्हें कंपनी अधिनियम 1956 (अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों, विभिन्न कानूनों के यथाप्रयोज्य प्रावधानों, कंपनी के बहिर्नियम और अंतर्नियम में उल्लिखित प्रावधानों तथा मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों के साथ कंपनी ने यदि कोई सूचीबद्धता करार किया हो तो उसमें उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार रखा जाता है। मेरे/हमारे विचार में तथा मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा मेरे/हमारे द्वारा की गयी जांच तथा कंपनी, उसके अधिकारियों और एजेंटों द्वारा मुझे/हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार मैं/हम उपर्युक्त अवधि के संबंध में रिपोर्ट करते हैं कि

1. (क) कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति हैं :
(ख) समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित परिवर्तन हुए:
2. (क) कंपनी की शेयरधारिता का स्वरूप इस प्रकार है:
(ख) समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित परिवर्तन हुए:
3. कंपनी ने (i) समीक्षाधीन अवधि के दौरान संस्था के बहिर्नियम के निम्नलिखित प्रावधानों को बदला है तथा अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया है
(ii) समीक्षाधीन अवधि के दौरान संस्था के निम्नलिखित अंतर्नियमों को बदला है तथा अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया है।
4. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उन व्यावसायिक संस्थाओं के साथ निम्नलिखित लेनदेन किया, जिनमें निदेशकों का हित निहित था ।
5. कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान अपने निदेशकों को और/अथवा ऐसे व्यक्तियों

या फर्मों या कंपनियों को, जिनमें निदेशकों का हित निहित था, ----- रुपये का ऋण दिया, गारंटी दी और जमानत दी।

6. कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नानुसार अन्य व्यावसायिक संस्थाओं को ऋण और निवेश दिया या गारंटी दी या जमानत दी:
7. कंपनी द्वारा निदेशकों, सदस्यों, जनता, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों और अन्य से लिये गये उधार की राशि कंपनी की उधार सीमा के भीतर है। कंपनी के उधार का ब्यौरा निम्नानुसार है :
8. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने जनता की जमाराशि या गैर-जमानती ऋणों की चुकौती में कोई चूक नहीं की है तथा कंपनी अथवा उसके निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक की चूककर्ता सूची या ईसीजीसी की विशिष्ट अनुमोदन सूची में शामिल नहीं हैं।
9. कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी की आस्तियों पर निम्नानुसार ऋण भार सृजित किया, संशोधित किया अथवा उनकी पूर्ति की :
10. कंपनी का विदेशी मुद्रा एक्सपोजर और विदेशी उधार इस प्रकार है :
11. कंपनी ने सभी प्रतिभूतियां पात्र व्यक्तियों को जारी की हैं, ऑफर की हैं और आबंटित की हैं तथा संबंधित व्यक्तियों को इससे संबंधित पत्र, कूपन, वारंट और प्रमाणपत्र जारी किये हैं तथा अपने अधिमान शेयर/डिबेंचर छुड़ाये हैं और (जहां लागू हो) निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए निर्धारित समय के भीतर अपने शेयर वापस खरीदे हैं।
12. कंपनी ने अपनी रक्षित आस्तियों सहित सभी आस्तियों का बीमा कराया है।
13. कंपनी ने ऋण सुविधा लेने के समय तथा ऋण चालू रहने के दौरान ऋण देनेवाली संस्था द्वारा निर्धारित निबंधन और शर्तों का अनुपालन किया है तथा निधि का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया है जिनके लिए उक्त उधार लिया गया था।
14. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार लाभांश की घोषणा की है और अपने शेयरधारकों को उनका भुगतान किया है।
15. कंपनी ने अपनी सभी सांविधिक देय राशियों का भुगतान किया है तथा इस संबंध में कोई बकाया राशि नहीं है।
16. कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 372 क में अंतर-कंपनी ऋण और निवेश से

संबंधित निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन किया है ।

17. कंपनी ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लागू अनिवार्य लेखा मानकों का अनुपालन किया है ।
18. कंपनी ने निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि में सभी अदत्त लाभांशों तथा ऐसी अन्य राशियों को जमा किया है, जिनके संबंध में ऐसी अपेक्षा की गयी है ।
19. अधिनियम के अंतर्गत आरोपित अपराधों के लिए कंपनी के विरुद्ध आरंभ किये गये अभियोग या कंपनी को प्राप्त कारण बताओ नोटिसों तथा ऐसे मामलों में कंपनी पर लगाये जुर्माने और अर्थदंड या कोई अन्य दंड की एक सूची संलग्न है ।
20. कंपनी ने यथाप्रयोज्य सूचीबद्धता करार के विभिन्न खंडों का अनुपालन किया है ।
21. कंपनी ने निर्धारित प्राधिकारियों के पास भविष्य निधि में कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों के अंशदान जमा किये हैं ।

टिप्पणी : यदि कोई परिवर्तन सूचक, आपत्ति सूचक या प्रतिकूल टिप्पणी हो तो उसका यथास्थान उल्लेख किया जाए ।

स्थान :

हस्ताक्षर :

तारीख :

कंपनी सेक्रेटरी का नाम :

सी. पी. सं.

भाग II

सनदी लेखाकारों /कंपनी सेक्रेटरी द्वारा उधार लेनेवाली कंपनियों का प्रमाणन

- i) बैंकों द्वारा स्टॉक की लेखा परीक्षा की विचारार्थ मर्दे स्पष्ट रूप में बतायी जानी चाहिए, ताकि सनदी लेखाकार ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
- ii) यदि सांविधिक लेखा परीक्षक उधार दी गयी राशि के अंतिम उपयोग का सत्यापन करते हैं तो यह बैंकों के लिए अच्छा आश्वासन होगा।

- iii) चूँकि बैंक अक्सर गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के साथ कारोबार करते हैं, अतः एक विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के संबंध में प्रकटीकरण अपेक्षाएँ सूचीबद्ध कंपनियों पर लागू अपेक्षाओं के समान की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए समेकित तुलनपत्र, खंड रिपोर्टिंग आदि। बड़ी शेयरधारिता के संबंध में सूचना भी उपयोगी होगी।
- iv) इसके अलावा, सनदी लेखाकार या कंपनी सेक्रेटरी से निम्नलिखित अतिरिक्त प्रमाणन पर भी विचार किया जा सकता है :
- (क) चूककर्ता सूची (भा.रि.बैं/ईसीजीसी) /इरादतन चूककर्ता सूची आदि में कंपनी निदेशकों का नाम शामिल न होना।
- (ख) एक विनिर्दिष्ट उच्चतम सीमा से अधिक राशि वाले मुकदमों के ब्योरे
- (ग) कंपनी अधिनियम की धारा 372(क)के अनुपालन के संबंध में एक विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र, संभवतः कंपनी सेक्रेटरी से।
- (घ) कंपनी की आस्तियों के संबंध में ऋण भार के सृजन/परिवर्तन/संतुष्टि से संबंधित ब्यौरे, बीमा से संबंधित स्थिति, प्राप्त कारण बताओ नोटिस, लगाये गये जुर्माने और अर्थदंड के ब्यौरे।
- v) लेखा परीक्षकों को बारी-बारी से बदलने के संबंध में परिचालनगत सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह सुझाव दिया जाता है कि उन्हें प्रत्येक 3 वर्ष के बजाय प्रत्येक 5 वर्ष में बदला जाए।
- vi) यदि समूह का टर्न ओवर 100 करोड़ रुपये से अधिक हो तो संकेंद्रण से बचने के लिए समूह कंपनियाँ अलग-अलग सांविधिक/आंतरिक लेखा परीक्षक रख सकती हैं।

ऋण और अग्रिम - सांविधिक तथा अन्य प्रतिबंध पर मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

भाग क

| क्र. सं. | परिपत्र सं. | दिनांक | विषय |
|----------|--|------------|---|
| 1 | बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.104/21.04.48/2011-12 | 10.05.2012 | उधार खातों का एक बैंक से दूसरे बैंक में अंतरण |
| 2 | बैंपविवि.सं.सीआईडी.बीसी.84/20.16.042/2011-12 | 05.03.2012 | "पंजीकरण प्रमाणपत्र" प्रदान करना - ऋण संबंधी सूचना प्रदान करने का कारोबार जारी रखने के लिए - क्रेडिट इन्फर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड |
| 3 | बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.79/21.01.001/2011-12 | 03.02.2012 | बैंकों के निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम मंजूर करना और ठेके प्रदान करना |
| 4 | मेल-बॉक्स स्पष्टीकरण | 21.12.2011 | साख पत्र के अंतर्गत भुनाये गए बिल-एक्सपोजर मानदंड |
| 5 | बैंपविवि. डीआइआर. बीसी. 96/ 13.03.00/2010-11 | 25-05-2011 | इंडियन डिपॉजिटरी रसीद (आईडीआर) पर ऋण/अग्रिमों के लिए वित्त तथा ऋण/अग्रिम |
| 6 | मेल-बॉक्स स्पष्टीकरण | 19-05-2011 | वाणिज्य बैंकों द्वारा सहकारी बैंकों के ग्राहकों को बैंक गारंटी (बीजी)/साख-पत्र (एलसी) जारी करना |
| 7 | मेल-बॉक्स स्पष्टीकरण | 05-04-2011 | विशेष रूप से टकसाल में डाले गए स्वर्ण सिक्कों की जमानत पर अग्रिम |
| 8 | बैंपविवि.सं.सीआईडी.बीसी.64/20.16.042/2011-12 | 01.12.2010 | "पंजीकरण प्रमाणपत्र" प्रदान करना - ऋण संबंधी सूचना प्रदान करने का कारोबार जारी रखने के लिए - हाई मार्क क्रेडिट इन्फर्मेशन सर्विसेस |

| | | | |
|----|--|------------|---|
| | | | प्राइवेट लिमिटेड |
| 9 | बैंपविवि. एलईजी. बीसी. 61/ 09.07.005/2010-11 | 12.11.2010 | ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश - प्रोसेसिंग शुल्क/प्रभार संबंधी सूचनाएं प्रकट करना |
| 10 | बैंपविवि. बीपी. बीसी. 42/ 21.04.141/2010-11 | 27-09-2010 | प्रवर्तकों के अंशदान के वित्तपोषण के लिए बैंक ऋण |
| 11 | एफईडी. मास्टर परिपत्र सं. 14/ 2010-11 | 01.07.2010 | जोखिम प्रबंध और अंतर-बैंक लेनदेन |
| 12 | बैंपविवि. डीआइआर. बीसी. 88/ 13.3.00/2009-10 | 09.04.2010 | आधार दर संबंधी दिशानिर्देश |
| 13 | मेल-बॉक्स स्पष्टीकरण | 09.04.2010 | इंफ्रास्ट्रक्चर उधार की परिभाषा |
| 14 | बैंपविवि.सं.डीएल.बीसी.83/ 20.16.042/2009-10 | 31.03.2010 | "पंजीकरण प्रमाणपत्र" प्रदान करना - ऋण संबंधी सूचना प्रदान करने का कारोबार जारी रखने के लिए - ईक्विफैक्स क्रेडिट इन्फर्मेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड |
| 15 | बैंपविवि.सं.डीएल.बीसी.15214 / 20.16.042/2009-10 | 04.03.2010 | "पंजीकरण प्रमाणपत्र" प्रदान करना - ऋण संबंधी सूचना प्रदान करने का कारोबार जारी रखने के लिए - एक्सपेरियन क्रेडिट इन्फर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 16 | मेल-बॉक्स स्पष्टीकरण | 20.08.2009 | बैंकिंग उत्पादों पर आर्थिक प्रोत्साहन देने पर प्रतिबंध |
| 17 | बैंपविवि. बीपी. बीसी. 110/ 08.12.001/2008-09 | 10.02.2009 | संघीय सहायता व्यवस्था/बहुल बैंकिंग व्यवस्थाओं के अंतर्गत उधार |
| 18 | बैंपविवि. बीपी. बीसी. 94/ 08.12.001/2008-09 | 08.12.2008 | संघीय सहायता व्यवस्था/बहुल बैंकिंग व्यवस्थाओं के अंतर्गत उधार |
| 19 | बैंपविवि.एलईजी. सं. बीसी. 86/ 09.07.005/2008-09 | 25.11.2008 | ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश - प्रोसेसिंग शुल्क/प्रभार संबंधी सूचनाएं प्रकट करना |
| 20 | बैंपविवि. डीआइआर. बीसी. 66/ 13.03.00/2008-09 | 24.10.2008 | 7% बचत बांड 2002, 6.5% बचत बांड 2003 (कर योग्य नहीं) और 8% बचत (कर योग्य) |

| | | | |
|----|---|------------|---|
| | | | बांड 2003 - संपादितवक सुविधा |
| 21 | बैंपविवि. बीपी. बीसी. 65/ 21.06.001/2008-09 | 20.10.2008 | जमा प्रमाण पत्रों (सीडी) की जमानत पर म्यूचुअल फंडों को ऋण देना तथा जमा प्रमाण पत्रों की वापस खरीद |
| 22 | बैंपविवि. बीपी. बीसी. 59/ 21.03.009/2008-09 | 14.10.2008 | जमा प्रमाण पत्रों (सीडी) की जमानत पर म्यूचुअल फंडों को ऋण देना तथा जमा प्रमाण पत्रों की वापस खरीद |
| 23 | बैंपविवि. बीपी. बीसी. 46/ 08.12.001/2008-09 | 19.09.2008 | संघीय सहायता व्यवस्था/बहुल बैंकिंग व्यवस्थाओं के अंतर्गत उधार |
| 24 | बैंपविवि. बीपी. बीसी. 30/ 08.12.14/2008-09 | 06.08.2008 | इंफ्रास्ट्रक्चर - वित्तपोषण के लिए मानदंड |
| 25 | बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 75/ 09.07.05/2007-08 | 24.04.2008 | वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति की मध्यावधि समीक्षा : बैंकों द्वारा नियुक्त वसूली एजेंट |
| 26 | बैंपविवि. बीपी. बीसी. 55/ 21.04.117/2007-08 | 30.11.2007 | अनर्जक परिसंपत्तियों के समझौता निपटान संबंधी दिशानिर्देश - न्यायालय से सहमति आदेश (कन्सेंट डिक्री) प्राप्त करना |
| 27 | बैंपविवि. बीपी. 48/ 21.04.048/ 2007-08 | 06.11.2007 | बैंकों का परियोजना वित्त संविभाग |
| 28 | बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 28/09.07.005/2007-08 | 22.08.2007 | उधारदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश - ऋण करार की प्रतिलिपि देना |
| 29 | बैंपविवि. आइबीडी. बीसी. 95/ 23.67.002/2006-07 | 08.05.2007 | स्वर्ण सिक्कों के आयात के लिए प्राधिकार - तालजोड़ (टाइ-अप) व्यवस्थाएं |
| 30 | बैंपविवि. आइबीडी. बीसी. 71/ 23.67.001/2006-07 | 03.04.2007 | स्वर्ण (धातु) ऋण की अवधि |
| 31 | बैंपविवि. डीआइआर. बीसी. 69/ 13.03.00/2006-07 | 14.03.2007 | किसान विकास पत्रों (केवीपी) के अधिक्रहण के लिए ऋणों की मंजूरी |
| 32 | बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 65/ 09.07.005/2006-07 | 06.03.2007 | उधारदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता |
| 33 | बैंपविवि. बीपी. 40/21.04.158/ 2006-07 | 03.11.2006 | बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउट-सोर्सिंग में जोखिम |
| 34 | बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 81/ 09.11.013/2005-06 | 20.04.2006 | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की |

| | | | |
|----|--|------------|--|
| | | | धारा 20 से छूट - बैंक के निदेशकों को क्रेडिट कार्ड जारी करना |
| 35 | बैंपविवि. बीपी. बीसी. 73/ 21.03.054/2005-06 | 24.03.2006 | साख-पत्र के अंतर्गत भुनाए गए बिल - जोखिम-भार तथा एक्सपोजर मानदंड |
| 36 | बैंपविवि. बीपी. बीसी. 65/ 08.12.01/2005-06 | 01.03.2006 | स्थावर संपदा क्षेत्र को बैंक का एक्सपोजर |
| 37 | बैंपविवि. सं. आइबीडी. बीसी. 663/ 23.67.001/2005-06 | 02-11-2005 | स्वर्ण भूषणों और गहनों पर अग्रिम |
| 38 | बैंपविवि. सं. आइबीडी. बीसी. 33/ 23.67.001/2005-06 | 05.09.2005 | स्वर्ण (धातु) ऋण |
| 39 | बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 30/ 09.11.013/2005-06 | 31.08.2005 | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 - भारतीय समाशोधन निगम लि. को लाइन ऑफ क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट सुविधा |
| 40 | बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी.98/ 09.11.013/2004- 05 | 24.06.2005 | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 - भारतीय समाशोधन निगम लि. को लाइन ऑफ क्रेडिट/ ओवरड्राफ्ट सुविधा (एनएससीसीएल) |
| 41 | बैंपविवि. डीआइआर. सं. बीसी. 93/ 13.07.05/2004-05 | 07.06.2005 | विदेशी कंपनियों में ईक्विटी के अधिग्रहण का वित्तपोषण |
| 42 | मेल-बॉक्स स्पष्टीकरण | 18.10.2004 | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 लागू करने के संबंध में मुद्दे तथा स्पष्टीकरण |
| 43 | बैंपविवि. बीपी. बीसी. 100/ 21.03. 054/2003-04 | 21.6.2004 | वर्ष 2004-05 का वार्षिक नीति वक्तव्य - बैंकों द्वारा विवेकपूर्ण ऋण एक्सपोजर सीमाएं |
| 44 | बैंपविवि. बीपी. बीसी. 97/ 21.04.141/03-04 | 17.6.2004 | वर्ष 2004-05 का वार्षिक नीति वक्तव्य - बेजमानती एक्सपोजरों पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश |
| 45 | बैंपविवि. बीपी. बीसी. 92/ 21.04.048/03-04 | 16.6.2004 | वर्ष 2004-05 का वार्षिक नीति वक्तव्य - इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण पर दिशानिर्देश |
| 46 | आइईसीडी. सं .9/ 08/12.01/2003-04 | 11.3.2004 | मास्टर परिपत्र - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उधार |
| 47 | बैंपविवि. बीपी. बीसी. 34/ 21.04.0137/03-04 | 15.10.2003 | सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (वीएसयू) विनिवेशों |

| | | | |
|----|--|------------|---|
| | | | के लिए बैंक वित्त संबंधी दिशानिर्देश |
| 48 | बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 104/ 09.07.007/2002-03 | 05.05.2003 | उधारदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता संबंधी दिशानिर्देश |
| 49 | आइईसीडी. सं. 17/ 08.12.01/ 2002-03 | 05.04.2003 | गारंटियां और सह-स्वीकृतियां |
| 50 | बैंपविवि. बीपी. बीसी. 83/ 21.04.137/02-03 | 21.03.2003 | सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) विनिवेशों के लिए बैंक वित्त संबंधी दिशानिर्देश - शेयरों के लिए अवरुद्धता अवधि का निर्धारण |
| 51 | बैंपविवि. बीपी. बीसी. 67/ 21.04.048/02-03 | 04.02.2003 | इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण पर दिशानिर्देश |
| 52 | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 62/ 13.07.09/2002-03 | 24.01.2003 | बैंकों द्वारा बिलों की भुनाई/पुनर्भुनाई |
| 53 | बैंपविवि. बीपी. बीसी. 17/ 21.04.137/02-03 | 16.08.2002 | भारत सरकार के पीएसयू विनिवेशों के लिए बैंक वित्त संबंधी दिशानिर्देश |
| 54 | आइईसीडी. सं. 16/ 08.12.01/ 2001-02 | 20-02-2002 | इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का वित्तपोषण |
| 55 | बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 72/ 13.03.00/2000-2001 | 17.01.2001 | मास्टर परिपत्र - गारंटियां और सह- स्वीकृतियां |
| 56 | आइईसीडी. सं.10/ 08.12.01/2000-2001 | 08.01.2001 | मास्टर परिपत्र - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को उधार |
| 57 | बैंपविवि/एफएससी/बीसी.145/ 24.01.013- 2000 | 07.03.2000 | मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंडों (एमएमएफ) संबंधी दिशानिर्देश |
| 58 | बैंपविवि. बीपी. बीसी. 144/ 21.04.048/2000 | 29.02.2000 | टेक आउट - वित्त |
| 59 | बैंपविवि. सं.डीआइआर. सीएस. बीसी.2/13.07.05/ 99-2000 | 16.08.1999 | कंपनियों द्वारा अपनी प्रतिभूतियों की वापस खरीद (बाई-बैंक) के लिए उनको ऋण पर प्रतिबंध |
| 60 | आइईसीडी.सं.29/ 08.12.01/ 98-99 | 25.05.1999 | गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उधार |
| 61 | आइईसीडी.सं.26/08.12.01/ 98-99 | 23.04.1999 | इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का वित्तपोषण |
| 62 | बैंपविवि.सं.26/08.95.005/ 99 | 01.04.1999 | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 - सामान्य आदेश |

| | | | |
|----|---|----------|---|
| 63 | आरपीसीडी. पीएलएनएफएस. बीसी. 73/06.02.31/97-98 | 01.03.99 | लघु उद्योगों (एसएसआइ) को ऋण और अग्रिम |
| 64 | बैंपविवि. बीसी.सं.11/ 08.95.005/98-99 | 15.02.99 | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 - विशेष आदेश/सामान्य आदेश |
| 65 | बैंपविवि.सं.938/08.95.005/99 | 08.02.99 | सामान्य आदेश |
| 66 | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 107/13.07.05/98-99 | 11.11.98 | बैंकों द्वारा बिलों की पुनर्भुनाई |
| 67 | बैंपविवि.सं.415/08.95.005/98 | 29.09.98 | सामान्य आदेश |
| 68 | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 90/13.07.05/98 | 28.08.98 | शेयर तथा डिबेंचरों पर बैंक वित्त - मास्टर परिपत्र |
| 69 | आइईसीडी/6/08.12.01/96-97 | 08.08.98 | सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर उद्योग को कार्यशील पूंजी वित्त |
| 70 | आरपीसीडी. पीएलएनएफएस. बीसी. 127/06.02.31/97-98 | 08.06.98 | लघु उद्योगों (एसएसआइ) को ऋण और अग्रिम |
| 71 | आइईसीडी/12/08.12.01/96-97 | 21.10.97 | बैंक ऋण प्रदायगी के लिए ऋण प्रणाली |
| 72 | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 102/21.01.001/ 97 | 05.09.97 | ओजोन क्षरण वस्तुएं उत्पादित/खपत करने वाले उद्योगों को वित्तीय सहायता |
| 73 | आइईसीडी/22/08.12.01/ 96-97 | 15.04.97 | बैंक ऋण प्रदायगी के लिए ऋण प्रणाली |
| 74 | आइईसीडी.सं.21/08.12.01/ 96-97 | 21.02.97 | पावर वित्त निगम लि. (पीएफसी) द्वारा संचालित बिल भुनाई/पुनर्भुनाई योजनाएं |
| 75 | बैंपविवि.सं.733/09.11.013/97 | 14.02.97 | विशेष आदेश |
| 76 | आइईसीडी.सं. 17/ 03.27.026/96-97 | 06.12.96 | मौजूदा आस्तियों की खरीद/पट्टा के लिए बैंक वित्त |
| 77 | बैंपविवि.सं. डीआइआर. बीसी. 45/ 13.01.04/96 | 08.04.96 | जमाराशि संबद्ध अग्रिम |
| 78 | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 23/ 21.01.001/96 | 01.03.96 | अन्य बैंकों के निदेशकों को ऋण और अग्रिम की मंजूरी और ठेका देना |
| 79 | आइईसीडी. सं. 8/03.27.25/95-96 | 27.09.95 | सरकार से बजटीय सहायता वाली आवासीय परियोजनाओं के लिए मीयादी ऋणों की मंजूरी - अनुमति नहीं |
| 80 | आइईसीडी. सं.37/ | 23.02.95 | वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में बैंक गारंटियों का |

| | | | |
|----|---|----------|--|
| | 08.12.01/94-95 | | निर्गम |
| 81 | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 139/13.07.05/94 | 26.11.94 | शेयर और डिबेंचरों पर अग्रिम |
| 82 | आइईसीडी. सं. 21/08.12.01/94-95 | 01.11.94 | भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संचालित बिल भुनाई योजनाएं |
| 83 | बैंपविवि. सं. बीसी. 110/ 21.01.001/ 94 | 10.10.94 | अन्य बैंकों के निदेशकों को ऋण और अग्रिम की मंजूरी और ठेका देना |
| 84 | आइईसीडी. सं. 15/08.12.01/94-95 | 06.10.94 | इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के निर्माण / विस्तार/ आधुनिकीकरण से संबद्ध परियोजनाओं का वित्तपोषण |
| 85 | बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 28/ 24.01.001/ 94 | 09.03.94 | बैंकों की अनुषंगी संस्थाओं/म्यूचुअल फंडों के निदेशक/न्यासी - प्रायोजक बैंकों के साथ उधारी व्यवस्थाएं |
| 86 | बैंपविवि. सं. बीसी. 8/ 16.13.100/92-93 | 27.07.92 | बैंकों द्वारा बिलों की भुनाई /पुनर्भुनाई |
| 87 | आइईसीडी. सं. पीएमडी.बीसी. 12/ सी.446 (सी एंड पी)- 90/91 | 21.09.90 | वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में सह-स्वीकृति/गारंटियों का निर्गम - ऋण योजना का क्रेता लाइन |
| 88 | आइईसीडी.सं.आइआरडी.26 / आइआर-ए/89-90 | 09.04.90 | रुग्ण/कमजोर/औद्योगिक इकाइयों का पुनर्वास |
| 89 | बैंपविवि. सं. जीसी. बीसी. 25/ सी.408सी(59) एस-86 | 03.03.86 | अन्य बैंकों के निदेशकों को ऋण और अग्रिम की मंजूरी और ठेका देना |
| 90 | बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 77/ सी.235सी-85 | 05.07.85 | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 |
| 91 | बैंपविवि. सं. जीसी. बीसी. 21/सी.408सी(59) एस-85 | 28.02.85 | बैंकों के अधिकारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के रिश्तेदारों को अग्रिम |
| 92 | बैंपविवि. सं. जीसी. बीसी. 34/ सी.408सी(59) एस-84 | 12.04.84 | अन्य बैंकों के निदेशकों को ऋण और अग्रिम की मंजूरी और ठेका देना संबंधी दिशानिर्देश |
| 93 | बैंपविवि. सं. एपीपी. बीसी.22/ 318(बी)-84 | 16.03.84 | निजी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में - गैर-आधिकारिक निदेशकों की भूमिका तथा कार्यसंबंधी दिशानिर्देश |
| 94 | आइसीडी. सं. सीएडी | 14.01.83 | इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का निर्माण |

| | | | |
|-----|---|----------|---|
| | (पीएमएस). 48//सी.446 (पीएमएस) -83 | | |
| 95 | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 13/सी.96-80 | 22.01.80 | स्वर्ण/चांदी पर अग्रिम - सट्टेबाजी की प्रवृत्तियों की रोकथाम |
| 96 | बैंपविवि. सं. एलईजी.बीसी. 96/ सी.235सी-78 | 25.07.78 | बैंककरी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 - सामान्य आदेश |
| 97 | बैंपविवि. सं. एलईजी. 320/ सी.235सी-78 | 25.07.78 | सामान्य आदेश |
| 98 | बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 95/ सी.124(पी)-78 | 22.07.78 | सोना और स्वर्णभूषणों पर अग्रिम |
| 99 | बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 35/सी.235-75 | 30.04.75 | बैंककरी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 - सामान्य आदेश |
| 100 | बैंपविवि. सं. एलईजी. 195/ सी.235-75 | 29.04.75 | सामान्य आदेश |
| 101 | बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 108/ सी.235सी-74 | 24.10.74 | बैंककरी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 - सामान्य आदेश |
| 102 | बैंपविवि. सं. एलईजी. 417/ सी.235सी-74 | 24.10.74 | सामान्य आदेश |
| 103 | बैंपविवि. सं. एससीएच. 1140/ सी.96-69 | 12.07.69 | चांदी की जमानत पर अग्रिम |
| 104 | बैंपविवि. सं. एलईजी. 39/सी.233-69 | 01.02.69 | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग विधियां (संशोधित), 1968 द्वारा यथासंशोधित |
| 105 | बैंपविवि. सं. एलईजी. 33/सी.233-69 | 01.02.69 | सामान्य आदेश |

भाग ख

सांविधिक तथा अन्य प्रतिबंध पर मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

| सं. | परिपत्र सं. | दिनांक | विषय |
|-----|---|----------|--|
| 1. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 52/ 13.08.01/00-01 | 23.11.00 | संवेदनशील पण्यों का लेनदेन करने वाले उधारकर्ताओं को नई /अतिरिक्त सीमाएं मंजूर करने पर चुनिंदा ऋण नियंत्रण - शक्तियों का प्रत्यायोजन |
| 2. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. 53/ 13.08.01/2000-01 | 27.11.00 | चीनी के लेवी/खुली बिक्री/बफर स्टॉक पर न्यूनतम मार्जिन पर चुनिंदा ऋण नियंत्रण - (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों पर लागू) |
| 3. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 126/ 13.08.01/ 97 | 21.10.97 | चीनी पर अग्रिमों पर चुनिंदा ऋण नियंत्रण न्यूनतम मार्जिन |
| 4. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 125/ 13.08.01/ 97 | 21.10.97 | चीनी पर अग्रिमों पर चुनिंदा ऋण नियंत्रण न्यूनतम मार्जिन |
| 5. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 27/ 13.08.01/97 | 07.04.97 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - गेहूँ पर अग्रिमों पर पुनः नियंत्रण लगाना |
| 6. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 26/ 13.08.01/97 | 07.04.97 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - गेहूँ पर अग्रिमों पर पुनः नियंत्रण लगाना |
| 7. | आईसीडी. सं. 11/03.27.04/96-97 | 22.10.96 | चीनी उद्योग को बैंक ऋण - स्टॉक का मूल्यन |
| 8. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 138/ 13.08.01/ 96-97 | 19.10.96 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 9. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 137/ 13.08.01/ 96-97 | 19.10.96 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 10. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. | 01.07.96 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर |

| | | | |
|-----|--|----------|---|
| | 94/ 13.08.01/96 | | अग्रिम - ऋण के मार्जिनो/स्तरों में परिवर्तन |
| 11. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 93/ 13.08.01/96 | 01.07.96 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 12. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 37/ 13.08.01/96 | 03.04.96 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 13. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 36/ 13.08.01/96 | 03.04.96 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 14. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 50/ 13.08.01/95 | 17.04.95 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 15. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 49/ 13.08.01/95 | 17.04.95 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 16. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 32/ 13.08.01/95 | 24.03.95 | संवेदनशील पण्यों का लेनदेन करने वाले उधारकर्ताओं को नई /अतिरिक्त सीमाएं मंजूर करने पर चुनिंदा ऋण नियंत्रण - शक्तियों का प्रत्यायोजन |
| 17. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 150/ 13:08:01/ 94 | 26.12.94 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 18. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 149/ 13:08:01/ 94 | 26.12.94 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 19. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 139/ 13.07.05/94 | 26.11.94 | शेयरों एवं डिबेंचरों पर अग्रिम |
| 20. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 115/ 13:07:01/ 94 | 17.10.94 | अग्रिमों पर ब्याज दरें |
| 21. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 114/ 13:07:01/ 94 | 17.10.94 | अग्रिमों पर ब्याज दरें |
| 22. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 113/ 13:08:01/ 94 | 17.10.94 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 23. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 112/ 13:08:01/ 94 | 17.10.94 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 24. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 108/ 13:08:01/ 94 | 01.10.94 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - खद्य तिलहन तथा तेलों पर अग्रिम |
| 25. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. | 02.09.94 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - आयातित चीनी |

| | | | |
|-----|--|----------|---|
| | 101/ 13.08.01/ 94 | | |
| 26. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 71/ 13.08.01/94 | 26.05.94 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - आयातित चीनी |
| 27. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 57/ 13.08.01-94 | 16.05.94 | चुनिंदा ऋण का नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम - आयातित चीनी |
| 28. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 56/ 13.08.01-94 | 14.05.94 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 29. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 55/ 13.08.01-94 | 14.05.94 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 30. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 42/ 13.08.01/94 | 12.04.94 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम - कपास कॉटन एवं कपास |
| 31. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 17/ 13.08.01/94 | 18.02.94 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 32. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 16/ 13.08.01:94 | 18.02.94 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम - कपास कॉटन एवं कपास |
| 33. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 175/ 13.08.01/ 93 | 11.10.93 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 34. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 174/ 13.08.01/ 93 | 11.10.93 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 35. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 169/ 13.08.01-93 | 21.09.93 | संवेदनशील पण्यों का लेनदेन करने वाले उधारकर्ताओं को नई /अतिरिक्त सीमाएं मंजूर करने पर चुनिंदा ऋण नियंत्रण - शक्तियों का प्रत्यायोजन |
| 36. | बैंपविवि. सं. बीसी. 151/13.08.01/93 | 20.08.93 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम मंजूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन तथा अन्य अपेक्षाएं |
| 37. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 135/ 13.08.01/ 93 | 23.06.93 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 38. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 134/ 13.08.01/ 93 | 23.06.93 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 39. | बैंपविवि. सं. बीसी. 108/ 12.01.001/93 | 07.04.93 | अधिसूचना |

| | | | |
|-----|--|----------|---|
| 40. | बैंपविवि. सं. बीसी. 102/13.08.01-93 | 07.04.93 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 41. | बैंपविवि. सं. बीसी. 101/13.08.01-93 | 07.04.93 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 42. | बैंपविवि. सं. बीसी. 67/13.08.01-93 | 19.01.93 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 43. | बैंपविवि. सं. बीसी. 66/13.08.01-93 | 19.01.93 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 44. | बैंपविवि. सं. बीसी. 61/ 13.08.01-92 | 30.12.92 | संवेदनशील पण्यों का लेनदेन करने वाले उधारकर्ताओं को नई /अतिरिक्त सीमाएं मंजूर करने पर चुनिंदा ऋण नियंत्रण - शक्तियों का प्रत्यायोजन |
| 45. | बैंपविवि.सं. बीसी.58/ 13.08.01 -92 | 10.12.92 | कॉटन तथा कपास पर चुनिंदा ऋण नियंत्रण |
| 46. | बैंपविवि. सं. बीसी. 57/13.08.01-92 | 10.12.92 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 47. | बैंपविवि. सं. बीसी. 110/ 13.08.01/92 | 21.04.92 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 48. | बैंपविवि. सं. बीसी. 109/13.08.01/92 | 21.04.92 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 49. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 98/13-08-01/92 | 11.03.92 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 50. | बैंपविवि. सं. बीसी. 97/13.08.01/92 | 11.03.92 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 51. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 81/13-08-01/92 | 10.02.92 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम और गेहूं |
| 52. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 80/ 13.08.01/92 | 10.02.92 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 53. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 36/ सी. 218-91 | 08.10.91 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 54. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. | 08.10.91 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर |

| | | | |
|-----|--|----------|--|
| | 35/ सी. 218-91 | | अग्रिम |
| 55. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 22/ सी. 218-91 | 03.09.91 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - धान/चावल, गेहूं, दालों तथा अन्य खाद्यान्नों पर अग्रिम |
| 56. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 21/ सी. 218-91 | 03.09.91 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - धान/चावल, गेहूं, दालों तथा अन्य खाद्यान्नों पर अग्रिम |
| 57. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 124/ सी. 218-91 | 08.05.91 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम -चीनी |
| 58. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 123/ सी.218-91 | 08.05.91 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 59. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 107/ सी. 218-91 | 12.04.91 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 60. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 106/ सी. 218-91 | 12.04.91 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 61. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 75/ सी. 218-91 | 01.02.91 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 62. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 64/ सी. 218-91 | 07.01.91 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 63. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 63/ सी. 218-91 | 07.01.91 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 64. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 59/ सी. 218-90 | 06.12.90 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 65. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 30/ सी. 218-90 | 09.10.90 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 66. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 29/ सी. 218-90 | 09.10.90 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 67. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 125/ सी. 218-90 | 02.07.90 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 68. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 124/सी.218-90 | 02.07.90 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - गेहूं, तिलहल तथा वनस्पति तेलों (वनस्पति सहित) पर ऋण |
| 69. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 108/ सी.218-90 | 03.05.90 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |

| | | | |
|-----|---|----------|--|
| 70. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 107/ सी.218-90 | 03.05.90 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण |
| 71. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 98/ सी.218-90 | 18.04.90 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को शक्तियों का प्रत्यायोजन |
| 72. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 92/ सी.218-90 | 12.04.90 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 73. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 91/ सी.218-90 | 12.04.90 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण -गेहूं, कॉटन तथा कपास पर अग्रिम |
| 74. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 73/ सी.218-90 | 06.02.90 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों का लेनदेन करने वाले उधारकर्ताओं को नई /अतिरिक्त सीमाएं मंजूर करना |
| 75. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 62/ सी.218-89 | 29.12.89 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 76. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 61 / सी.218-89 | 29.12.89 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण |
| 77. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 47/ सी.218-89 | 21.11.89 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों का लेनदेन करने वाले उधारकर्ताओं को नई /अतिरिक्त सीमाएं मंजूर करना |
| 78. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 3/ सी.218-89 | 19.07.89 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 79. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 2/ सी.218-89 | 19.07.89 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण |
| 80. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 114/ सी.218-89 | 21.04.89 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 81. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 113/ सी.218-89 | 21.04.89 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - धान/चावल, गेहूं, दालों तथा अन्य खाद्यान्नों पर अग्रिम |
| 82. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 104/ सी.218-89 | 03.04.89 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 83. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 98/ सी.218-89 | 27.03.89 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |

| | | | |
|-----|---|----------|---|
| 84. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 97 सी.218-89 | 27.03.89 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण |
| 85. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 71/ सी.218-89 | 09.02.89 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - तिलहन/वनस्पति तेलों पर अग्रिम |
| 86. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 72/ सी.218-89 | 09.02.89 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - तिलहन/वनस्पति तेलों पर अग्रिम |
| 87. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 35/ सी.218-88 | 08.10.88 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम 'ब्याज दर' |
| 88. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 34/ सी.218-88 | 08.10.88 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - ब्याज दर |
| 89. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 28/ सी.218-88 | 19.09.88 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 90. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 27/ सी.218-88 | 19.09.88 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण |
| 91. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 149/ सी.218-88 | 08.06.88 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - गेहूं पर अग्रिम-मार्जिन में अंतर |
| 92. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 148/सी.218-88 | 08.06.88 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - गेहूं पर अग्रिम-मार्जिन में अंतर |
| 93. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 141/ सी.218-88 | 27.05.88 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण |
| 94. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 140/ सी.218-88 | 27.05.88 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण |
| 95. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 125/ सी.218-88 | 09.04.88 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - नियंत्रण के अंतर्गत गेहूं शामिल करना |
| 96. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 124/ सी.218-88 | 09.04.88 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - धान/चावल, गेहूं, दालों तथा अन्य खाद्यान्नों पर अग्रिम |
| 97. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 117/ सी.218-88 | 02.04.88 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 98. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 116/ सी.218-88 | 02.04.88 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - धान/चावल, दालें, अन्य खाद्यान्न, कॉटन तथा कपास, तिलहन तथा वनस्पति सहित वेजिटेबल तेलो पर |

| | | | |
|------|---|----------|--|
| | | | अग्रिम |
| 99. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 69/ सी.218-87 | 03.12.87 | नई स्थापित प्रसंस्करण/विनिर्माण इकाइयों को संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 100. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 53/ सी. 218-87 | 17.10.87 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण |
| 101. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 52/ सी. 218-87 | 17.10.87 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण |
| 102. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 34/ सी. 218-87 | 17.09.87 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण |
| 103. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 23/ सी.218-87 | 14.08.87 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 104. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 22/ सी.218-87 | 14.08.87 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - दालों, धान/चावल, अन्य खाद्यान्नों, तिलहनों, कॉटन तथा कपास चीनी, गुड तथा खांडसारी के लिए ऋण |
| 105. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 8/ सी. 218-87 | 14.07.87 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 106. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 7/ सी. 218-87 | 14.07.87 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - दाल अन्य खाद्यान्नों, तिलहनों, तेलों, चीनी, गुड तथा खांडसारी के लिए अग्रिम |
| 107. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 39/ सी. 218-87 | 31.03.87 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम |
| 108. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 38/ सी. 218-87 | 31.03.87 | चुनिंदा ऋण नियंत्रण - दाल अन्य खाद्यान्नों, तिलहनों, तेलों, चीनी, गुड तथा खांडसारी के लिए अग्रिम |